



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009' के कार्यान्वयन पर निष्पादन
लेखापरीक्षा



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 5

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		v
कार्यपालन सारांश		vii
अध्याय I		
प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	4
लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र और कवरेज	1.3	4
लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली	1.4	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना	1.6	5
अभिस्वीकृति	1.7	5
अध्याय II		
वित्तीय प्रबंधन		
बजट प्राक्कलन और व्यय	2.1	7
13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 537 करोड़ के अनुदान जारी नहीं किए गए	2.2	10
भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कम निधियां जारी करना	2.3	10
वित्तीय सीमा का निर्धारण	2.4	11
गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति	2.5	12
अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को फीस की अनियमित प्रतिपूर्ति	2.6	15
अनुशंसाएं	2.7	15
अध्याय III		
निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा		
शैक्षिक संकेतकों की स्थिति	3.1	17
बालकों की पहचान	3.2	21

बालकों की विद्यालय तक पहुंच	3.3	23
लक्षित जनसंख्या का नामांकन	3.4	26
शासकीय एवं निजी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकन	3.5	29
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण और ट्रांजिशन	3.6	30
विद्यालय से बाहर बच्चे (Out of School Children) एवं उनको मुख्य धारा में लाना	3.7	34
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	3.8	38
आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा	3.9	41
अनुशंसाएँ	3.10	42
अध्याय IV		
शिक्षक		
शिक्षकों की उपलब्धता	4.1	45
अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति	4.2	48
शिक्षकों की अर्हता	4.3	49
अतिथि शिक्षक की नियुक्ति	4.4	51
शिक्षकों का प्रारंभिक / सेवाकालीन प्रशिक्षण	4.5	51
शिक्षक का उत्तरदायित्व	4.6	52
शिक्षकों का अन्य कार्यों में परिनियोजन	4.7	53
अनुशंसाएँ	4.8	54
अध्याय V		
राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता		
विद्यालयों में अधोसंरचना	5.1	57
विद्यालय भवन और कक्षाओं की उपलब्धता	5.2	59
प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया	5.3	65
अध्ययन वृद्धि उपकरण	5.4	65
राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एस.एल.ए.एस.)	5.5	70
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.)	5.6	70
प्रतिभा पर्व: गुणवत्ता सुधार के लिए एक पहल	5.7	71
बेसलाईन और एण्डलाईन टेस्ट	5.8	73
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना	5.9	73

अनुशंसाएँ	5.10	73
अध्याय VI		
राज्य शासन के विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन		
निजी क्षेत्र के विद्यालयों को मान्यता	6.1	75
गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बालकों का प्रवेश	6.2	79
अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश	6.3	81
विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश	6.4	83
अनुशंसाएँ	6.5	83
अध्याय VII		
निगरानी एवं शिकायत निवारण		
राज्य सलाहकार परिषद का गठन	7.1	85
विद्यालय प्रबंधन समिति	7.2	85
माता-पिता की भूमिका	7.3	87
प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका	7.4	87
जन शिक्षक द्वारा विद्यालयों की निगरानी	7.5	88
विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर विद्यालयों की निगरानी	7.6	89
आर.टी.ई. अधिनियम का मूल्यांकन अध्ययन / प्रभावी आंकलन	7.7	90
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग	7.8	91
शिक्षकों की शिकायत निवारण	7.9	92
बालकों के अधिकारों का संरक्षण	7.10	92
अनुशंसाएँ	7.11	93
अध्याय VIII		
निष्कर्ष		95

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	संगठनात्मक संरचना	99
1.2	चयनित जिलों एवं विकासखण्डों की सूची	100
1.3	चयनित विद्यालयों की सूची	102
3.1	नमूना जांच किये गये जिलों में 2015–16 के दौरान शैक्षिक संकेतकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	114
3.2	नमूना जांच किये गये जिलों में विद्यालयीन सुविधा रहित बसाहरे	115
3.3	प्रशिक्षण में शामिल एवं मुख्य धारा में जोड़े गये शाला से बाहर के बच्चों की दर्शित स्थिति	116
3.4	नमूना जांच किये जिलों में विद्यालय से बाहर के बच्चों, प्रशिक्षण एवं विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	117
4.1	नमूना जांच किये जिलों में प्रतिकूल पी.टी.आर. वाले प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	118
4.2	नमूना जांच किये गये प्रतिकूल पी.टी.आर. वाले प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	119
4.3	शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	120
5.1	नमूना जांच किये गये विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	123
5.2	नमूना जांच किये गये विद्यालयों में जिलेवार अनुपलब्ध सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	124
5.3	मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच किये गये जिलों में अपूर्ण निर्माण कार्यों की स्थिति	125
5.4	मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच किये गये जिलों में अप्रारम्भ निर्माण कार्यों की स्थिति	126
5.5	विद्यार्थियों की भाषा, गणित एवं अंग्रेजी विषय में योग्यता से संबंधित एण्डलाईन टेस्ट (कक्षा I से VIII) के परिणाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	127
7.1	नमूना जांच किये गये विद्यालयों में देखी गयी विसंगतियों की स्थिति	128
संक्षिप्तों की शब्दावली		129

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को समाहित करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा 2010–11 से 2015–16 की अवधि के लिए की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2015–16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (संशोधित 1992), 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के सार्वभौमिक प्रतिधारण, सार्वभौमिक पहुँच और प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन और बच्चों को अध्ययन के लिए आवश्यक स्तर को हासिल करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षा के गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर देता है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, भारत के मिलिनियम डेवलपमेंट गोल्स (एम.डी.जी.) में से एक था, जिसका उद्देश्य 2015 तक हर जगह के बच्चों, लड़के—लड़कियों को समान रूप से, प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के योग्य बनाना सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितम्बर 2000 में अभिग्रहित किए गए मिलेनियम घोषणा से एम.डी.जी. का उद्भूत हुआ था।

संवैधानिक (86 वां संशोधन) अधिनियम, 2002 से अनुच्छेद 21(क) को भारत के संविधान में जोड़ा गया, जो प्रावधान करता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, छह से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. अधिनियम) संसद द्वारा अगस्त 2009 में अधिनियमित हुआ जो कि 1 अप्रैल 2010 को प्रवृत्त हुआ। आर.टी.ई. अधिनियम आगे, प्रारंभिक शिक्षा हेतु सर्वव्यापी पहुँच, बालकों के अनिवार्य नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता के लिए प्रेरणा देता है। आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (एम.पी.आर.टी.ई.नियम), मार्च 2011 में बनाया था।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमने राज्य में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की थी। निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2016 एवं अगस्त 2016 के मध्य की गई थी। आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन के प्रारंभ से वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर.टी.ई. अधिनियम के अधिनियमित होने के छह वर्ष बाद भी राज्य में सभी बालकों को सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। विद्यालय से बाहर के बच्चों को पहचान करने के लिए किया गया परिवार सर्वेक्षण, उपेक्षित बालकों को नजरअंदाज करने के कारण निम्नतर था। अत्यधिक झापआउट के कारण प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक अवधारणा प्राप्त नहीं हुआ। शासकीय विद्यालयों में अधोसरंचना सुविधाओं में सुधार हुआ था एवं अधिकतर विद्यालयों में अभी भी इन सुविधाओं की कमी थी। शिक्षक, जो कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर.टी.ई. अधिनियम के मान के अनुसार उपलब्ध नहीं थे। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दर्शित है :

1. वित्तीय प्रबंधन

- राज्य में आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पृथक बजट नहीं था। आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आनेवाली गतिविधियां, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही थीं। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2010–16 के दौरान, ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार और राज्य शासन ने ₹ 7,284.61 करोड़ कम जारी किए। यद्यपि, स्कूल शिक्षा विभाग (विभाग), सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप, अत्यधिक अव्ययित शेष और भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि कम जारी की गई।

(कंडिकाएं 2.1 एवं 2.3)

- आर.टी.ई. अधिनियम विनिर्दिष्ट करता है की अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा रहे गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, उनके द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक इनमें से जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 तक निजी विद्यालयों को ₹ 357.70 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा किए गए तीन जिलों में पाया गया कि 303 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ₹ 1.01 करोड़ की शुल्क प्रतिपूर्ति की गई थी। विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के अधिक एवं दोहरे भुगतान के प्रकरण थे।

(कंडिका 2.5)

2. निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) और छात्रों का समानुपात जो कक्षा I से कक्षा V तक पहुँचे, एम.डी.जी. की उपलब्धि मापने के संकेतक माने गए। मार्च 2016 की स्थिति में राज्य का निवल नामांकन अनुपात अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम था। राज्य, उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षाएं VI से VIII) पर एन.ई.आर. में मामूली वृद्धि हासिल कर सका था। तथापि, लेखापरीक्षा में प्राथमिक स्तर (कक्षाएं I से V) पर एन.ई.आर. में 93.66 प्रतिशत (2013–14) से 79.83 प्रतिशत (2015–16) की गिरावट पाई।

आगे, क्रमशः 2010–11 और 2011–12 के दौरान कक्षा I में प्रारंभ कर 2014–15 और 2015–16 के दौरान कक्षा V में पहुँचने वाले बच्चों में से 24 प्रतिशत और 23 प्रतिशत बच्चों ने ड्रापआउट किया था इस प्रकार राज्य एम.डी.जी. लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका, यद्यपि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य था।

(कंडिका 3.1)

- स्थानीय प्राधिकारियों को नामांकन, उपस्थिति एवं सीखने के स्तर की उपलब्धि की निगरानी के लिए अभिलेखों का संधारण करना था परंतु उक्त अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था। स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को वर्णित करने के लिए विभाग अभी भी प्रक्रियारत था। शून्य से 14 वर्ष आयु के बच्चों की पहचान के लिए स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत किये गये वार्षिक परिवार सर्वेक्षण में कमजोर वर्ग के बालकों का समावेशन नहीं किया। परिणामस्वरूप राज्य में विद्यालय से बाहर के बच्चों के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे। नेशनल सेम्प्ल सर्वे ऑन एस्टीमेशन ऑफ ओ.ओ.एस.सी. (सितम्बर 2014) ने राज्य में 4.51 लाख विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रतिवेदित किया था, जबकि परिवार सर्वेक्षण 2015–16, में 0.60 लाख विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिन्हित किया गया था।

(कंडिकाएँ 3.2 एवं 3.7)

- प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित बच्चों के संकलित किए गए आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे। सम्पूर्ण स्कूल शिक्षा हेतु पूरे देश में एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डाईस) का डाटा कौचर फार्मेट के रूप में उपयोग होता था। 2011–12 से 2015–16 अवधि के परिवार सर्वेक्षण में यू-डाईस में प्रतिवेदित एवं परिवार सर्वेक्षण में प्रतिवेदित कक्षा I से VIII तक नामांकन आंकड़ों में 3.97 लाख से 16.18 लाख के मध्य अंतर लेखापरीक्षा ने पाया।

(कंडिका 3.4)

- 2010–16 के दौरान 10.25 लाख बच्चे राज्य में प्राथमिक स्तर (कक्षा V) के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिए थे जबकि 4.09 लाख बच्चे कक्षा VIII में नामांकित हुए बगैर कक्षा VII के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिए थे। इसी प्रकार, प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक प्रतिधारण हासिल नहीं हो सका।

(कंडिका 3.6)

3. शिक्षक

आर.टी.ई. अधिनियम, अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। मार्च 2016 को राज्य में 18,940 प्राथमिक विद्यालयों एवं 13,763 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा VI से VIII) में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात था। आगे, आर.टी.ई. मान के अनुसार कोई एकल शिक्षक विद्यालय नहीं होना चाहिए। तथापि, मार्च 2016 की स्थिति में 18,213 एकल शिक्षक विद्यालय संचालित थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 की स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 63,851 शिक्षकों/प्रधान अध्यापकों के पद रिक्त थे। कई जिलों/विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना के साथ–साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त थे।

(कंडिका 4.1)

4. राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

- विभाग राज्य शासन के विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक निर्धारित अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सका एवं अधिकतर विद्यालयों में मार्च 2016 तक भी इन सुविधाओं की कमी थी। मार्च 2016 तक 12,769 प्राथमिक विद्यालयों (प्रा.वि.) एवं 10,218 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (उ.प्रा.वि.) में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात था।

(कंडिकाएँ 5.1 एवं 5.2)

- विभाग ने वर्ष 2011–12 में सभी शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक निष्पादन का आंकलन एवं मूल्यांकन के लिए प्रतिभा पर्व कार्यक्रम की शुरूआत की थी। राज्य सरकार के विद्यालयों में प्रतिभा पर्व के प्रारंभ होने से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होना नहीं पाया गया, क्योंकि अवधि 2013–16 के दौरान ग्रेड अ एवं ब प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में निरंतर गिरावट आई। हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान 71 प्रतिशत माता–पिता ने कहा था कि उनके बच्चों को विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा अगस्त 2016 में आयोजित की गई इण्डिलाईन टेस्ट से परिलक्षित हुआ कि ज्यादातर छात्र पढ़, लिख एवं शब्द पहचान नहीं कर सकते थे और उनमें आयु के अनुरूप गणितीय योग्यता भी नहीं थी।

(कंडिकाएँ 5.7 एवं 5.8)

5. राज्य सरकार के विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन

- निजी विद्यालयों का प्रारंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। मान्यता संबंधी अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी एवं

विकासखण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा संधारित नहीं किए गए थे, जो कि निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान हेतु उत्तरदायी थे।

(कंडिका 6.1)

- राज्य में 67 से 71 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों ने आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत बालकों को प्रवेश दिया था। शेष विद्यालयों द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन न करने के कारणों की जानकारी विभाग को नहीं थी।

(कंडिका 6.2)

6. निगरानी एवं शिकायत निवारण

- नमूना जांच किए गए राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी) का गठन हुआ था। तथापि, नमूना जांच किए गए 390 विद्यालयों में से 87 विद्यालयों में एस.एम.सी. में माता-पिता/सरक्षकों को आवश्यक अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हितग्राही सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि कुछ माता-पिता जो एस.एम.सी. के भाग थे, एस.एम.सी. में अपनी भूमिका से अवगत नहीं थे जिससे एस.एम.सी. बनाने का उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। आगे, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(कंडिकाएँ 7.2, 7.5 एवं 7.6)

- आर.टी.ई. अधिनियम एवं एम.पी. आर.टी.ई. नियम के तहत आवश्यक शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था।

(कंडिकाएँ 7.9 एवं 7.10)

7. अनुशंसाओं का सारांश

- विभाग को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध निधियों का उपयोग के लिए प्रयास करना चाहिए।
- आर.टी.ई. अधिनियम/नियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों का सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभाग को समग्र आई.डी. जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चों को यूनिक आई.डी. के रूप में, उसके/उसकी नामांकन, उपस्थिति एवं शैक्षिक उपलब्धियों की निगरानी एवं नामांकन में दोहरीकरण को दूर करने के लिए आवंटित की गई थी के साथ आधार शीडिंग सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।
- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि युक्ति—युक्तकरण के लिए अनुदेश प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात और एकल शिक्षक विद्यालय नहीं है। रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।
- विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक प्रभावशाली अध्ययन वातावरण के लिए समस्त विद्यालय अधोसंचाना/मान का अवश्य पालन करें।
- शिक्षा पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा विकसित तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है एवं भविष्य में सुविधा के लिए मान्यता

संबंधी अभिलेख का संधारण राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के हित में निजी विद्यालयों के आरंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

- एस.एम.सी. का गठन अपेक्षित सदस्य संख्या के साथ किया जाना चाहिए। एस.एम.सी. के सदस्यों को आर.टी.ई. अधिनियम में अपने कार्यों के बारें में जागरूक होना चाहिए एवं नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा सदस्यों को सशक्त करने की आवश्यकता है।
- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

अध्याय I

प्रस्तावना

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, संसद द्वारा अगस्त 2009 में अधिनियमित हुआ था, जो कि 01 अप्रैल 2010 को प्रवृत्त हुआ। अधिनियम छह से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसके या उसकी कक्षा एक से कक्षा आठ तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रावधान करता है।

भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की संकल्पना नई नहीं है। संविधान का प्रारूप तैयार करते समय शिक्षा के अधिकार पर विस्तार से चर्चा की गई थी। मौलिक अधिकारों की संघटक उप-समिति ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया था: “खंड 23 – प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का हकदार है और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्ष के भीतर सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते” तथापि, संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत संविधान सभा की सलाहकार समिति ने इसे राज्य के नीति निदेशक तत्व के वर्ग में रखा।

वर्ष 1992 में भारत, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। इस सम्मेलन का अनुच्छेद 28, राज्यों को विनिर्दिष्ट करता है कि “प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध करें।” वर्ष 1993 में उन्निकृष्णन एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है तथा यह अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 से मिलता है। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितम्बर 2000 में अंगीकार मिलेनियम घोषणा से उत्पन्न मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना था।

संवैधानिक अधिनियम (86वां संशोधन) 2002, ने संविधान के अध्याय III में अनुच्छेद 21क को जोड़ दिया, जो कि छह से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है और जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :

“21क राज्य छह से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे उपबन्ध करेगा।”

86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा छह वर्ष से कम आयु बालकों के लिए आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 को नए अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे पढ़ा जाए:

“45 राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा”

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई. अधिनियम), भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-क और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निहित परिणामी विधि को प्रदर्शित करता है। आर.टी.ई. अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ हैं :

- समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी को आसपास के विद्यालय में छह से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति तथा उसको पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- जहां छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उस बालक को उसकी/उसके आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाना है और उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, वह विशेष प्रशिक्षण का अधिकारी होगा, जो विहित किया जाए।
- अधिनियम दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के लिए गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रथम कक्षा के संपूर्ण संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश का प्रावधान करता है।
- अधिनियम शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता, छात्र-शिक्षक अनुपात, विद्यालय के भवन एवं अधोसंरचना, विद्यालय कार्य दिवस और कार्य घंटे से संबंधित मान एवं मानकों को निर्धारित करता है।
- अधिनियम (अ) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न (ब) बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं (स) प्रति व्यक्ति शुल्क (द) शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन (इ) बिना मान्यता के स्कूल संचालन को निषेध करता है।
- अधिनियम बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संरक्षण और निगरानी का और राष्ट्रीय और राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शिकायतों के निवारण का प्रावधान करता है।

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (एम.पी.आर.टी.ई. नियम) अधिसूचित किया, जो कि मार्च 2011 में प्रवृत्त हुआ। एम.पी.आर.टी.ई. नियम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान करता है:

- बच्चों की पहचान से संबंधित राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए न्यूनतम तीन माह और अधिकतम दो वर्षों से अनधिक की कालावधि के लिए विशेष प्रशिक्षण।
- आसपास के विद्यालयों की सीमा या क्षेत्र और निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं उनके संचालन, विद्यालय विकास योजना की तैयारी और शिक्षकों की शिकायत निवारण के लिए प्रक्रियाएं।
- यह नियम गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों का कक्षा में अन्य बच्चों से पृथक्करण और इन बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय तथा पाठ्योत्तर गतिविधियों जैसी पात्रता एवं सुविधाओं से विद्यालय के अन्य बच्चों की अपेक्षा भेदभाव को निषेध करता है।

मार्च 2016 को, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग/स्थानीय निकायों द्वारा 83,838 विद्यालय, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 30,417 विद्यालय, 928 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, 25,518 गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, 164 केन्द्रीय शासकीय विद्यालय और 1,716 अन्य प्रबंधन विद्यालय संचालित थे। सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, आर.टी.ई. अधिनियम के प्रतिपादन के लिए कार्यक्रम वाहन के रूप में कार्य करता है।

आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ संरेखित करने हेतु, एस.एस.ए. कार्यान्वयन के लिए ढांचे को मार्च 2011 में पुनरीक्षित किया गया था।

1.1.1 संगठनात्मक ढांचा

राज्य में आर.टी.ई. अधिनियम के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग उत्तरदायी है। राज्य सलाहकर परिषद आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देती है। एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (आर.एस.के.), जो कि एस.एस.ए. का मिशन संचालक है, उत्तरदायी है। आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय (डी.पी.आई.) विद्यालयों के स्थापना संबंधी कार्यों अर्थात् शिक्षकों की नियुक्ति और उनके वेतन का भुगतान और शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों को अनुदान की रकम प्रदान करना इत्यादि को नियंत्रित करता है। आयुक्त, आदिम जाति विकास, आदिम जाति विकास, विभाग द्वारा प्रबंधित विद्यालयों के लिए उत्तरदायी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण नियम, 2007 के अंतर्गत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) बालकों के शिक्षा का अधिकार के निगरानी और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए उत्तरदायी है।


जिला स्तर पर, जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयक (बी.आर.सी.सी.), जो कि एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) घोषित है, विकास खण्ड स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.), विद्यालय की कार्यपद्धति की निगरानी करती है।

जिला स्तर पर एस.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए जिलाधीश, जिला मिशन संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), जिला पंचायत, जिला परियोजना संचालक होते हैं। जिला शिक्षा केन्द्र का जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों को कार्यान्वित करता है। जन शिक्षक विद्यालयों के समूह में शैक्षणिक क्रियाकलापों को समन्वित करते हैं। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संगठनात्मक चार्ट को **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.1.2 प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय

2010–16 के दौरान, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा पर ₹ 48,063.85 करोड़ का व्यय हुआ था, जिसमें केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ पर व्यय शामिल था, जैसा कि चार्ट 1.1 में दर्शित है:—

चार्ट 1.1 प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय



स्रोत: वित्त लेखे भाग-II

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन का निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए किया गया था कि :

- छह से 14 वर्ष आयु के मध्य सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर.टी.ई. अधिनियम योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया गया था एवं निगरानी की गई थी; एवं
- आवंटित निधियों का मितव्ययिता और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा रहा था।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र और कवरेज

आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा, 2010–11 से 2015–16 की अवधि को सम्मिलित करते हुए, मार्च और अगस्त 2016 के दौरान की गई थी। राज्य स्तर पर, आयुक्त, आर.एस.के., डी.पी.आई., आदिम जाति विकास, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ और अध्यक्ष, राज्य सलाहकार परिषद और एस.सी.पी.सी.आर. के कार्यालयों से जानकारी एकत्रित की गई थी एवं अभिलेख नमूना जांच किए गए थे।

राज्य के 51 जिलों में से, 13 जिले¹ प्रोबैबिलिटी प्रोर्पेसनेट सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मैथड (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा चयनित किए गए थे और इन चयनित जिलों में, 80 में से 48 विकास खण्ड और 390 विद्यालय (प्रत्येक चयनित जिले से 30 विद्यालय) सिम्पल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मैथड (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर) के आधार पर चयनित किए गए थे। चयनित विकास खण्ड और विद्यालयों का विवरण **परिशिष्ट 1.2** और **परिशिष्ट 1.3** में दर्शित है। जानकारियों का संकलन और अभिलेखों की नमूना जांच चयनित जिलों के जिला शिक्षा केन्द्र, डी.ई.ओ.; डाईट; सी.ई.ओ., जिला पंचायत; आयुक्त, नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद; सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास (ए.सी.टी.डी.) और जिलाधीश के कार्यालयों में किया गया था।

विद्यालय स्तरीय निरीक्षण शासकीय और अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों का दौरा करके किया गया था। गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों से संबंधित आवश्यक जानकारी उपयुक्त शासकीय कार्यालयों से एकत्रित की गई थी। लेखापरीक्षा ने चयनित विद्यालयों में 1,274 विद्यार्थियों और 1,007 माता-पिता के संयुक्त हितग्राही सर्वेक्षण विभागीय अधिकारियों के साथभी किया गया था।

1.4 लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

आयुक्त, आर.एस.के. और अन्य पदाधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और मानदंडों के विचार-विमर्श के लिए 11 मार्च 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग को 31 अगस्त 2016 को प्रारूप प्रतिवेदन जारी किया गया था। निर्गम सम्मेलन, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ 9 नवम्बर 2016 को आयोजित हुआ था। प्रतिवेदन में विभाग के विचार/उत्तर को उपयुक्त रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।

¹ बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ, मुरैना, पन्ना, रत्लाम, शहडोल एवं सिंगरौली।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित हैं:

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009;
- राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011;
- आर.एस.के. और डी.पी.सी. की वार्षिक कार्य योजना और बजट (ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी.);
- परियोजना अनुमोदन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.ओ.एच.आर.डी.) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के कार्यवृत्त;
- एस.एस.ए. मैनुअल ऑन फायनेशियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट, 2010;
- शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा नियम एवं शर्तों को विनियमित करने वाले नियम;
- शिक्षा के लिये एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डाईस) एवं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा;
- भारत सरकार/राज्य सरकार के वित्त नियम; और
- अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देश, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र और अनुदेश।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना

प्रतिवेदन का खाका निम्नानुसार है :—

- अध्याय II – वित्तीय प्रबंधन
- अध्याय III – निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा
- अध्याय IV – शिक्षक
- अध्याय V – राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता
- अध्याय VI – राज्य सरकार के विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन
- अध्याय VII – निगरानी एवं शिकायत निवारण
- अध्याय VIII – निष्कर्ष

1.7 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन

अधिनियम की धारा 7 (1) के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिये समर्वती उत्तरदायित्व होगा। तथापि, राज्य में आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पृथक बजट नहीं था। आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही थीं।

2.1 बजट प्राक्कलन और व्यय

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट प्रस्ताव वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट (ए.डब्लू.पी.एण्ड.बी.) के रूप में एस.एस.ए. मानदंडों में विनिर्दिष्ट समस्त क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए तैयार किये जाते हैं। एक वर्ष के लिए मदवार बजट मांग ए.डब्लू.पी.बी. में सम्मिलित की जाती है जिसकी समीक्षा एवं अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार पी.ए.बी. द्वारा राज्य के लिए अनुमोदित परिव्यय के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को निधियां जारी करती है।

13वें वित्त आयोग (एफ.सी.) ने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए ₹ 2,216.00 करोड़ आवंटित किये थे। जिसमें से 2010–14 के दौरान राज्य को ₹ 1,679 करोड़ जारी किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान के लिए पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित परिव्यय 13वें वित्त आयोग के आवंटन की सीमा तक कम किए गए तथा उसके बाद निर्धारित अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश की गणना की गई।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तपोषण पद्धति 65:35 के अनुपात में था और वर्ष 2015–16 से 60:40 था। भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 तक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां सीधे राज्य शिक्षा केन्द्र (आर.एस.के.) को जारी की थीं। वर्ष 2014–15 से निधियां राज्य सरकार को जारी की गई थीं एवं राज्य सरकार ने बजट प्रावधान के माध्यम से निधियां आर.एस.के. को अंतरित की थीं।

वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुमोदित ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. के विरुद्ध हुए निधियों के आवंटन एवं व्यय का विवरण तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:—

तालिका 2.1:— ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. के विरुद्ध व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित ए.डब्लू.पी. एण्ड बी.	निधियों का आवंटन (प्रतिशत में)	व्यय (प्रतिशत में)
2010–11	3994.39	3289.52 (82)	2181.80 (55)
2011–12	4447.36	3322.27 (75)	3623.03 (81)
2012–13	4196.88	2625.99 (63)	3462.92 (83)
2013–14	3695.35	3625.45 (98)	3692.31 (100)
2014–15	4440.84	2225.67(50)	2839.09 (64)
2015–16	4606.34	2470.65 (54)	2106.74 (46)

(स्रोत: ए.डब्लू.पी.एण्ड बी. एवं आर.एस.के. के सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपलब्ध निधि का उपयोग करने में विभाग विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक अव्ययित शेष और भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी की गई।

वर्ष 2010–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आवंटन, ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. द्वारा अनुमोदित परिव्यय के स्तर पर नहीं था। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान निधियों का आवंटन अत्यधिक कम 50 प्रतिशत और 54 प्रतिशत था। इन वर्षों के दौरान, व्यय अनुमोदित परिव्यय का क्रमशः 64 प्रतिशत और 46 प्रतिशत था। विभाग ने कम व्यय का कारण भारत सरकार और राज्य सरकार से अल्प निधि प्राप्त होना बताया (नवंबर 2016)। यद्यपि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि विभाग, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अनुगामी वर्षों में, अत्यधिक अव्ययित शेष और भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान राशि कम जारी की गई।

2.1.1 सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपलब्ध निधि के उपयोग करने में विफलता

वर्ष 2010–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपलब्ध ₹ 19171.30 करोड़ में से ₹ 17905.89 करोड़ का उपयोग हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 1265.41 करोड़ अव्ययित शेष रहा। वर्ष 2010–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के लिए कुल उपलब्ध निधि, व्यय और अव्ययित शेष का वर्षवार विवरण तालिका 2.2 और चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.2 :—सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधि, व्यय और अव्ययित शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा जारी निधियों	राज्य सरकार द्वारा जारी निधियों	13वें वित्त आयोग द्वारा जारी निधियों	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध निधियों	व्यय	अव्ययित शेष (प्रतिशत)
2010–11	1263.65	1767.83	1201.69	320.00	33.23	4586.40	2181.80	2404.60 (52)
2011–12	2404.60	1904.27	1034.00	384.00	42.20	5769.07	3623.03	2146.04 (37)
2012–13	2146.04	1353.43	820.56	452.00	69.90	4841.93	3462.92	1379.01 (28)
2013–14	1379.01	2004.09	1098.36	523.00	56.95	5061.41	3692.31	1369.10 (27)
2014–15	1369.10	1490.95	734.72	0	104.82	3699.59	2839.09	860.85 (23)
2015–16	860.85	1601.98	868.67	0	41.00	3331.91	2106.74	1225.17 (37)
योग		10122.55	5758	1679	348.10	19171.30	17905.89	

(स्रोत : आर.एस.के. के सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

चार्ट 2.1 उपलब्ध राशि, व्यय एवं अव्ययित शेष को दर्शाने वाला चार्ट



(स्रोत : आर.एस.के. की सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

जैसा कि चार्ट 2.1 से स्पष्ट है कि विभाग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। 2010–11 से 2015–16 के दौरान अव्ययित शेष, 23 प्रतिशत से 52 प्रतिशत के मध्य था। लेखापरीक्षा ने देखा कि अव्ययित शेष का मुख्य कारण असमायोजित बकाया अग्रिम और आर.एस.के. तथा जिलों को विलंब से निधियां जारी करना था। मार्च 2016 को ₹ 720.71 करोड़ की अग्रिम राशि असमायोजित रही जिसमें से ₹ 275.91 करोड़ पालक शिक्षक संघ के पास पड़ी हुई थी। सिविल कार्यों के लिए जिलों और निर्माण इकाइयों को प्रदान की गई निधियों का उपयोग नहीं हुआ था। कार्यों की धीमी प्रगति के कारण बड़ी संख्या में सिविल कार्य अपूर्ण थे।

मार्च 2016 को आर.एस.के. के बैंक खाते में ₹ 182.69 करोड़ पड़े थे और सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय बैंक खातों में ₹ 146.29 करोड़ उपलब्ध थे। आर.एस.के. ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों को कार्यान्वित नहीं किया, जिसके लिए 2010–16 के दौरान ₹ 215.02 करोड़ प्रावधानित था। जिला/ब्लॉक स्तरीय इकाइयों के बैंक खातों में बंद योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजूकेशन ऑफ गल्स एट एलीमेन्टरी लेवल (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) के ₹ 1.57 करोड़ मार्च 2016 की स्थिति में उपलब्ध थे। आर.एस.के. के आदेश (जून 2014) के बावजूद इन बकाया शेषों को आर.एस.के. को अंतरित नहीं किया गया था।

2.1.2 निधियों को जारी करने में विलंब

वर्ष 2010–2014 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंत में केंद्रांश ₹ 345.82 करोड़ और राज्यांश ₹ 433.63 करोड़ जारी किए गए थे। आगे, वर्ष 2014–15 के लिए केंद्रांश ₹ 110.31 करोड़, वर्ष 2015–16 में प्राप्त हुआ था और वर्ष 2015–16 के लिए मार्च 2016 में जारी किया गया केंद्रांश ₹ 399.12 करोड़ आर.एस.के. को राज्य से वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि आर.एस.के. ने वर्ष 2010–16 के दौरान मार्च माह में जिलों को ₹ 837.45 करोड़ जारी किए थे। इन जारी की गई निधियों में से ₹ 299.47 करोड़ वित्तीय वर्षों के अंतिम दिन जारी किए गए थे। मार्च के महीने में भारत सरकार द्वारा राज्य को एवं राज्य द्वारा जिलों को निधि जारी करने के कारण बैंक खातों में निधियां अवरुद्ध रहीं अथवा असमायोजित अग्रिम के रूप में शेष रहीं।

2.1.3 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में ऋणात्मक शेष

भारत सरकार ने वर्ष 2011–12 से सामान्य शीर्ष एवं पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत अलग से निधियां जारी की थीं। परन्तु सामान्य शीर्ष और पूँजीगत शीर्ष के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2012–13 से तैयार किये गये थे एवं भारत सरकार को भेजे गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2012–13 के लिए पूँजीगत शीर्ष के उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार करते समय मार्च 2012 के अंत में निधियों के अंतिम शेष शामिल नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत मार्च 2016 को ₹ 119.10 करोड़ की ऋणात्मक अव्ययित शेष राशि थी। आर.एस.के. ने सूचित (जून 2016) किया कि ऋणात्मक शेषों को अगले सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समायोजित किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि वित्तीय वर्ष के अंत में जारी किया गया भारत सरकार को अंश सहित राज्य का समरूप अंश कोषालय से आहरित किया गया था और जिलों को उनकी आवश्यकता अनुसार जारी किया गया था। परिणामस्वरूप, अव्ययित शेष बैंक खातों में उपलब्ध थे। अग्रिमों का समायोजन एक सतत प्रक्रिया थी और लेखों का समायोजन उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्य पूर्णता

प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के बाद किया गया था। अग्रिमों के समायोजन की कार्रवाई प्रक्रिया होनी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. में अनुमोदित कार्यों की मदों के सापेक्ष उपलब्ध निधियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। आगे, बड़ी संख्या में अनुमोदित सिविल कार्य अपूर्ण रहे, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण इकाईयों और जिलों के पास अग्रिम असमायोजित रहे।

2.2 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 537 करोड़ के अनुदान जारी नहीं किए गए

भारत सरकार ने वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए 13वें वित्त आयोग के तहत राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए ₹ 2216.00 करोड़ आवंटित किए थे। वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 320 करोड़ की निधियां बिना किसी शर्त के जारी की गई थीं। यद्यपि, वर्ष 2011–12 के लिए निधि जारी करने के लिए शर्त थी कि वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित बजट अनुमान से आठ प्रतिशत अधिक होने थे। वर्ष 2012–13 के लिए, 2012–13 के बजट अनुमान 2011–12 के पुनरीक्षित बजट अनुमान से आठ प्रतिशत अधिक होने थे और वर्ष 2010–11 का वास्तविक व्यय, वर्ष 2009–10 के वास्तविक व्यय से आठ प्रतिशत अधिक होना था। वर्ष 2013–14 से 2014–15 के दौरान निधियां जारी करने के लिए समान शर्त लागू थीं।

भारत सरकार ने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 13वें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 537 करोड़ जारी नहीं किए थे क्योंकि विभाग अनुदान जारी करने की शर्तों की पूर्ति करने में असफल रहा था।

अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2014–15 के लिए 13वें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 537 करोड़, भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी क्योंकि वर्ष 2012–13 में व्यय, वर्ष 2011–12 के व्यय से मात्र 7.36 प्रतिशत अधिक था जो कि 13वें वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने के लिए अपेक्षित मानदंड आठ प्रतिशत से कम था। वर्ष 2014–15 के लिए 13वें वित्त आयोग अनुदान को जारी करने के लिये राज्य के अनुरोध के बावजूद, भारत सरकार ने अनुदान जारी नहीं किया और बताया (फरवरी 2015) कि राज्य अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। तथ्य यह है कि विभाग, 13वें वित्त आयोग के तहत अनुदान को जारी करने की शर्तों की पूर्ति करने में असफल रहा, जिससे राज्य को वर्ष 2014–15 के दौरान 13वें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 537 करोड़ से वंचित रहना पड़ा।

2.3 भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कम निधियां जारी करना

वर्ष 2010–16 के दौरान, ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने ₹ 7284.61 करोड़ कम जारी किए।

सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय नियमावली के अनुसार भारत सरकार को आर.एस.के. को प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर में निधियां जारी करना होता है और सहभागी (participating) राज्य को अपना अंश केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर जारी करना होता है। अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. परिव्यय में से 13वें वित्तीय आयोग के आवंटन को घटाने के बाद केन्द्रांश और राज्यांश की गणना की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2010–16 के दौरान अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. परिव्यय के विरुद्ध भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधियों में कमी आई जिसका विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कम जारी की गई निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	13वें वित्त आयोग के अनुदान घटाने के पश्चात ए. डब्ल्यू. पी. एण्ड बी. का अनुमोदित परिव्यय	भारत सरकार का अंश	भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी	भारत सरकार द्वारा जारी में कमी	राज्यांश	राज्य द्वारा वास्तव में जारी	राज्य द्वारा वास्तव में जारी	राज्य द्वारा जारी में कमी	कुल कमी (प्रतिशत)
2010–11	3674.39	2388.36	1767.83	620.53	1286.04	1201.69	84.35	704.88 (19)	
2011–12	4063.36	2641.18	1904.27	736.91	1422.18	1034.00	388.18	1125.09 (28)	
2012–13	3744.88	2434.17	1353.43	1080.74	1310.71	820.56	490.15	1570.89 (42)	
2013–14	3172.35	2062.03	2004.09	57.94	1110.32	1098.36	11.96	69.90 (2)	
2014–15	3903.84	2537.49	1490.95	1046.54	1366.34	734.72	631.62	1678.16 (43)	
2015–16	4606.34	2763.80	1601.98	1161.82	1842.54	868.67	973.87	2135.69 (46)	
कुल योग	23165.16	14827.03	10122.55	4704.48	8338.13	5758	2580.13	7284.61 (31)	

(स्रोत: ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी., सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एंव आर.एस.के. द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

सर्व शिक्षा अभियान के अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के विरुद्ध 2010–16 की अवधि के दौरान केन्द्रांश की राशि ₹ 4704.48 करोड़ और राज्यांश की राशि ₹ 2580.13 करोड़ कम जारी की गई थी। अनुमोदित परिव्यय में से 13वें वित्त आयोग आवंटन को घटाने के बाद, कुल कमी ₹ 7284.61 करोड़ अनुमोदित परिव्यय का 31 प्रतिशत था। जारी राशि में वार्षिक कमी दो (2013–14) और 46 (2015–16) प्रतिशत के मध्य थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने राज्यांश के जारी करने में कमी के कारण, अनुमोदित केन्द्रांश का कम जारी होना बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में विभाग के पास बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष था, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रांश कम जारी हुआ।

2.4 वित्तीय सीमा का निर्धारण

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक योजना को प्रत्येक वर्ष राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित व्यय की सीमा के आधार पर तैयार किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान मानदंडों के सभी क्रियाकलापों को समिलित करते हुए राज्य द्वारा तैयार किया गया ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. पी.ए.बी से अनुमोदित कराया गया था। ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. में विनिर्दिष्ट अनुमोदित परिव्यय, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वित्तीय लक्ष्य है।

अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. से वित्तीय सीमा को कम निर्धारण करने से सर्व शिक्षा अभियान के लिए निधियों जारी करना प्रभावित हुआ। वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान केन्द्रांश सीधे आर.एस.के. को हस्तांतरित किया गया था और राज्यांश बजट प्रावधान के द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 2014–15 से, केन्द्रांश राज्य सरकार को जारी किया गया और सर्व शिक्षा अभियान के लिए निधियां (केन्द्रांश और राज्यांश) राज्य के बजट प्रावधान द्वारा प्रदान की गई थी। इसलिए 2010–14 के दौरान ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. में प्रस्तावित/अनुमोदित राज्यांश और 2014–16 के दौरान ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. में सर्व शिक्षा अभियान पर कुल प्रस्तावित/अनुमोदित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट के लिए सीमा राज्य योजना आयोग द्वारा तय की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010–16 के दौरान राज्य आयोजना आयोग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के लिए निर्धारित वित्तीय उच्चतम सीमा ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. में निर्धारित वित्तीय लक्ष्य से कम थी जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वित्तीय सीमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.	केंद्राश	राज्यांश	वित्तीय सीमा
2010–11	3994.39	2388.36	1286.04	863.63
2011–12	4447.36	2641.18	1422.18	1103.10
2012–13	4196.88	2434.17	1310.71	1432.00
2013–14	3695.35	2062.03	1110.32	1584.79
2014–15	4440.84	2537.49	1366.34	3000.00
2015–16	4606.34	2763.80	1842.54	3500.00

(स्रोत: ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी., सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, वर्ष 2010–12 और 2013–14 के दौरान, ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार, वित्तीय सीमा राज्यांश से कम थी। आगे, वर्ष 2014–16 के दौरान, वित्तीय सीमा, ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के कुल अनुमोदित परिव्यय से कम थी। चूंकि बजटीय प्रावधान, राज्य योजना आयोग द्वारा तय किए गए वित्तीय सीमा पर आधारित था, अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. से वित्तीय सीमा के कम निर्धारण ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जारी निधियों को प्रभावित किया।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि पी.ए.बी. ने सर्व शिक्षा अभियान का ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. अनुमोदित किया था। केन्द्रांश पी.ए.बी. अनुमोदन से कम था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य योजना आयोग और राज्य वित्त विभाग ने वित्तीय सीमा से कम के बजट प्रावधान किये। निधियों की कमी के कारण सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि आर.एस.के. ने राज्य योजना आयोग और राज्य वित्त विभाग से आगामी वर्षों के लिए राज्य बजट में पर्याप्त वित्तीय सीमा प्रदान करने का अनुरोध किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2010–16 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. में निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकी जिससे एस.एस.ए. हेतु निधियों का जारी होना प्रभावित हुआ।

2.5 गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12 प्रावधानित करता है कि अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा रहे गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, उनके द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त म.प्र. आर.टी.ई. नियम का नियम 8 विनिर्दिष्ट करता है कि प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किये गये अनुसार प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के अंत में, मार्च में की जाएगी।

विभाग द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, विद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव की प्रस्तुति, उन प्रस्तावों की डी.पी.सी. द्वारा स्वीकृति एवं विद्यालयों को भुगतान के लिए रिलीज ऑर्डर, विभाग द्वारा शिक्षा पोर्टल में विकसित ऑनलाइन आर.टी.ई. मॉड्यूल के माध्यम से किए जाते हैं। डी.पी.सी. विद्यालयों के प्रस्ताव की स्वीकृति नोडल अधिकारी के सत्यापन के पश्चात करते हैं। उसके बाद विद्यालयों के बैंक खाते में राशि अंतरित करने हेतु नोडल बैंक को रिलीज आर्डर जारी करने के लिये पोर्टल के माध्यम से एक एडवाइस बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ है कि विभाग ने प्रत्येक बालक वार्षिक व्यय 2011–12 में ₹ 2,607, 2012–13 में ₹ 3,065, 2013–14 में ₹ 3,478, 2014–15 में ₹ 3,826 एवं 2015–16 में ₹ 4,209 निर्धारित किया था। फीस की प्रतिपूर्ति के लिए जिलों को जारी ₹ 426.54 करोड़ में से मार्च 2016 तक ₹ 357.70 करोड़ का उपयोग किया गया। राज्य में 2011–12 से 2015–16 के दौरान शिक्षा पोर्टल में निजी विद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव एवं स्वीकृत प्रकरणों की संख्या तालिका 2.5 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.5: फीस प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव और स्वीकृति की स्थिति

(ऑकड़े संख्या में)

वर्ष (शैक्षणिक सत्र)	विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव		संस्वीकृत प्रकरण	
	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
2011–12	18,105	1,40,920	14,748	1,15,892
2012–13	18,430	2,88,728	17,675	2,63,288
2013–14	18,195	4,34,822	18,005	4,18,156
2014–15	19,248	5,24,837	18,939	5,28,391
2015–16*	19,950	7,04,647	19,324	6,75,537
योग	93,928	20,93,954	88,691	20,01,264

(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी) * वर्ष 2015–16 के लिए भुगतान प्रगति पर था।

इस प्रकार, राज्य में वर्ष 2011–16 के दौरान 88,691 स्कूलों के 20.01 लाख विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई थी। हालांकि, वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की संख्या से अधिक थी। लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए जिलों में फीस की प्रतिपूर्ति में निम्नलिखित कमियां पाईः

नमूना जांच किए गए तीन जिलों में 303 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ₹ 1.01 करोड़ की फीस प्रतिपूर्ति की गई थी। विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के आधिकार्य एवं दोहरे भुगतान के प्रकरण थे।

- आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत केवल मान्यता प्राप्त विद्यालय फीस की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र थे। तथापि, तीन जिलों (बुरहानपुर, धार एवं झाबुआ) में 2011–15 के दौरान 303 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के 4,361 विद्यार्थियों के लिये ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान हुआ था। हमने 2011–13 के दौरान बालाघाट के 231 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी फीस की प्रतिपूर्ति होना देखा।
- विभाग के पोर्टल पर खाता संख्या की गलत प्रविष्टि के कारण 2011–16 के दौरान चार जिलों (बालाघाट, दतिया, धार एवं रतलाम)¹ के स्कूलों को ₹ 1.63 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था एवं राशि संबंधित डी.पी.सी. के खातों में पड़ी हुई थी। परिणामस्वरूप विद्यालय उनकी वैध देय राशि से वंचित रहे।
- नमूना जांच किए गए जिलों में, फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त ₹ 132.62 करोड़ में से, ₹ 111.44 करोड़ का उपयोग हुआ और ₹ 21.18 करोड़ डी.पी.सी. के बैंक खातों में अव्ययित पड़े थे। निधियों की उपलब्धता के बावजूद, प्रतिपूर्ति समय पर नहीं की गई थी और वर्ष 2012–13 की फीस प्रतिपूर्ति वर्ष 2014–15 में एवं शैक्षणिक सत्र 2013–14 की फीस प्रतिपूर्ति 2015–16 में की गई थी।

- नमूना जांच किए गए जिलों, भोपाल एवं मुरैना को छोड़कर, 6,896 विद्यालयों के 0.97 लाख विद्यार्थियों की स्वीकृत के विरुद्ध वास्तविक प्रतिपूर्ति 7,338 विद्यालयों के 1.07 लाख विद्यार्थियों के लिये की गई थी। इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक सत्र

¹ बालाघाट (₹ 10.90 लाख), दतिया (₹ 2.06 लाख), धार (₹ 129.92 लाख) एवं रतलाम (₹ 19.68 लाख)।

2011–15 के लिए 552 स्कूलों के 10,253 अधिक विद्यार्थियों के लिये फीस की प्रतिपूर्ति हुई। अभिलेखों की संवीक्षा में बालाघाट और रतलाम जिलों में 174 प्रकरणों² में ₹ 6.12 लाख का दोहरा भुगतान होना ज्ञात हुआ। आगे, नमूना जांच किए गए जिलों में (शहडोल जिले को छोड़कर) शैक्षणिक सत्र 2011–15 के दौरान 634 स्कूलों के 13,375 विद्यार्थियों के लिये फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी यद्यपि डी.पी.सी. द्वारा स्वीकृत किया गया था।

- विभाग के निर्देशानुसार (फरवरी 2014) विद्यार्थियों की उपस्थिति की जांच और दोहरे प्रवेश नहीं किए गए हैं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी द्वारा स्कूलों का मासिक निरीक्षण किया जाना था। बी.आर.सी.सी. और डी.पी.सी. को फीस प्रतिपूर्ति प्रकरणों का यादृच्छिक सत्यापन करना था। तथापि, निगरानी तंत्र की कमी के कारण नोडल अधिकारी का निरीक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप, विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति, फीस प्रतिपूर्ति हेतु अनिवार्य जरूरत थी, विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं करवाया जा सका और विद्यालयों द्वारा किए गए दावों को अंतिम माना गया। नोडल अधिकारी द्वारा किए गए मामलों का यादृच्छिक सत्यापन बी.आर.सी.सी. और डी.पी.सी. द्वारा नहीं किया गया था।
- शुल्क की मैन्युअल प्रतिपूर्ति किया जाना निषेध थी एवं शिक्षा पोर्टल पर एडवाइस बनाकर रिलीज ऑर्डर जारी किया जाना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि डी.पी.सी. द्वारा पोर्टल पर रिलीज ऑर्डर के अनुसार भुगतान नहीं किया गया था। फीस प्रतिपूर्ति की वास्तविक राशि पोर्टल द्वारा जारी रिलीज ऑर्डर की राशि से कम थी। आगे, मैन्युअल सूचियां तैयार कर रिलीज आर्डर जारी किए गए थे। हमने पाया कि ऐसे एक प्रकरण में आर.एस.के. द्वारा डी.पी.सी. रतलाम को कारण बताओ नोटिस जारी (मई 2014) किया गया था।
- जैसा कि आर.एस.के. द्वारा निर्देशित (अप्रैल 2015) किया गया था, 11 जिलों के विद्यालयों से प्रतिपूर्ति राशि ₹ 104.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। डी.पी.सी. ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र स्कूलों से प्राप्त किए जाएंगे।
- विभाग ने विद्यालय वार विद्यार्थियों की संख्या पोर्टल पर फीड करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी एवं प्रतिपूर्ति के लिए भी समय सीमा तय नहीं की थी, इसके अभाव में समय से फीस की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी। पहले आओ पहले पाओ आधार पर विद्यालयों को प्राथमिकता दी जानी थी। परन्तु, पोर्टल पर प्रकरणों को फीड करने में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने वाला ऐसा कोई अभिलेख डी.पी.सी. कार्यालय में संधारित होना नहीं पाया गया।
- प्रारम्भिक स्तरीय उच्च कक्षाएं न होने के कारण अन्य निजी विद्यालयों से उच्च प्रारम्भिक शिक्षा हेतु स्थानांतरण पर निजी विद्यालयों में नामांकित बालक के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं था। आर.एस.के. ने सूचित किया (जून 2017) कि आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 5(1) को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रकरणों में फीस की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया कि वर्ष 2014–15 में प्रस्तुत प्रस्तावों के विरुद्ध अधिक्य स्वीकृति एक मुद्रण त्रुटि थी जो कि नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एन.आई.सी.) की सहायता से सुधार कर लिया जाएगा। विभाग ने आगे यह भी बताया कि दावे उचित सत्यापन के पश्चात् संसाधित किए गए थे। इस प्रकार, कई प्रकरणों में प्रस्तुत किए गए दावों के विरुद्ध कम भुगतान किया गया था। विभाग ने बताया कि राज्य

² बालाघाट (₹ 3.33 लाख, 29 प्रकरण) एवं रतलाम (₹ 2.79 लाख, 145 प्रकरण)।

सरकार निजी विद्यालयों को फीस की प्रतिपूर्ति अर्द्धवार्षिक आधार पर करने पर विचार कर रही है।

विभाग ने आश्वासन दिया कि आधिक्य भुगतान एवं दोहरे भुगतान के प्रकरणों की जांच की जाएगी एवं उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। जिन जिलों ने निजी विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाणपत्र एकत्रित नहीं किए थे उन्हें इसे सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2.6 अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को फीस की अनियमित प्रतिपूर्ति

आर.टी.ई अधिनियम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों को फीस की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि तीन³ जिलों के डी.पी.सी द्वारा 30 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों के 533 विद्यार्थियों के लिये राशि ₹ 13.27 लाख की फीस की प्रतिपूर्ति की गई थी जो कि अनियमित थी।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.7 अनुशंसाएँ

- वार्षिक कार्ययोजना और बजट में तय वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध निधियों के उपयोग के लिए प्रयास करना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि उपलब्ध निधियों का उपयोग समय पर सुनिश्चित करने के लिए आर.एस.के. ने सभी जिलों में गतिविधिवार मासिक व्यय योजना बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

- विभाग को विभिन्न स्तरों पर पड़े हुए बकाया अग्रिमों के समायोजन के लिए विशेष अभियान की शुरुआत करने में पहल करनी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि मासिक बैठकों का आयोजन करके, वीडियो कानफ्रॉसिंग में प्रगति की समीक्षा करके और एक विशेष कार्यक्रम अभियान की शुरुआत करके बकाया अग्रिम का समायोजन करने का प्रयास किए गए थे।

- बैंक खातों में निधियों को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयों को समय पर निधि जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राज्य के बजट में वित्तीय उच्चतम सीमा वार्षिक कार्य योजना और बजट के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि आर.एस.के द्वारा राज्य योजना आयोग और राज्य वित्त विभाग को आगामी वर्षों के लिए राज्य बजट में पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया था।

- व्यय नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

³ भोपाल (71 विद्यार्थी, ₹ 2.98 लाख), बुरहानपुर (152 विद्यार्थी, ₹ 3.27 लाख) एवं इन्दौर (310 विद्यार्थी, ₹ 7.02 लाख)।

विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि आर.एस.के. बेहतर वित्तीय निगरानी के लिए मासिक समीक्षा बैठक, वीडियो कानफ्रेसिंग, फील्ड विजिट और त्रैमासिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से व्यय नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ कर रहा था।

- विभाग को फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक बालकों की 75 प्रतिशत उपस्थिति के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी द्वारा किए जाने वाले मासिक निरीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि इस संबंध में अनुदेश जारी किए जा चुके थे।

- पोर्टल में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रकरणों को फीड करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फीस प्राप्ति प्रस्तावों के उपयुक्त अभिलेख डी.पी.सी. स्तर पर संधारित किए जाने चाहिए। विभाग को निजी विद्यालयों को समय पर फीस प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय III

निःशुल्क और

अनिवार्य प्रारंभिक

शिक्षा

अध्याय III

निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 (क), मौलिक अधिकार के रूप में छह से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (संशोधित 1992), 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणात्मक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प करती है। आर.टी.ई. अधिनियम आगे प्रारम्भिक शिक्षा हेतु सर्वव्यापी पहुँच, बालकों के अनिवार्यतः नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण और प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता के लिए प्रेरणा देता है।

3.1 शैक्षिक संकेतकों की स्थिति

आर.टी.ई. अधिनियम छह से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक उनके पड़ोस में स्थित विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा को हासिल करना, भारत के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एम.डी.जी.) में से एक था, जिसका लक्ष्य 2015 तक, हर जगह के बच्चों को, बालक और बालिकाओं को समान रूप से, प्राथमिक शिक्षा का एक पूर्ण कोर्स करने के योग्य बनाना सुनिश्चित करना था। प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio) और कक्षा एक से आरंभ कर कक्षा पाँच तक जाने वाले छात्रों का समानुपात, एम.डी.जी. उपलब्धि को मापने का संकेतक था।

3.1.1 राज्य में निवल नामांकन अनुपात की उपलब्धि

सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) और निवल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) मुख्य रूप से प्रयोग किए गए विद्यालय सहभागिता संकेतक है। किसी आयु समूह का जी.ई.आर., विशिष्ट शिक्षा स्तर (स्टेज) में अनुमानित बाल जनसंख्या के अनुपात रूप में उस आयु समूह में जो कि उस शिक्षा स्तर (स्टेज) के लिए उपयुक्त है, में नामांकित बच्चों की संख्या है। जी.ई.आर., शैक्षिक प्रणाली में सहभागिता के लिए पात्र जनसंख्या के संबंध में शैक्षिक प्रणाली के संपूर्ण कवरेज को दर्शाता है। किसी आयु समूह का निवल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) आयु उपयुक्त शिक्षा स्तर को प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या है, उस आयु समूह के अनुमानित बाल जनसंख्या का अनुपात है।

सकल नामांकन अनुपात =
$$\frac{(\text{प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या}) * 100}{(\text{छह से } 14 \text{ आयु समूह में बच्चों की संख्या})}$$

निवल नामांकन अनुपात =
$$\frac{(\text{प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आयु समूह नामांकित बच्चों की संख्या}) * 100}{(\text{आयु समूह में बच्चों की संख्या})}$$

2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य में, सभी प्रबंधन विद्यालयों में प्रारम्भिक शिक्षा में नामांकन की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शित है :—

तालिका 3.1: राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I से V)	उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा VI से VIII)	प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII)
2010–11	106.58	47.66	154.24
2011–12	103.98	49.22	153.20
2012–13	99.51	50.84	150.35
2013–14	95.03	49.92	144.95
2014–15	86.62	48.15	134.77
2015–16	80.94	46.86	127.80


(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, 2010–11 से 2015–16 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में समग्र रूप से 26.44 लाख की गिरावट थी, जिसमें कि 25.64 लाख की गिरावट प्राथमिक शिक्षा (कक्षायें I से V) नामांकन में थी और 0.80 लाख की गिरावट उच्च प्राथमिक (कक्षायें VI से VIII) शिक्षा नामांकन में थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नामांकन में गिरावट मुख्य रूप से बच्चों के झँगाउट और प्राथमिक स्तर शिक्षा से उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षा के ट्रांजिशन लास के कारण था, जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में विवेचित है।

यू-डाईस, डाटा कैचर फार्मेट के रूप में पूरे देश में सभी विद्यालयों में शिक्षा हेतु उपयोग किया जाना है। यू-डाईस के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की अन्य पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय औसत से तुलना चार्ट 3.1 में दर्शित है।

चार्ट 3.1: मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में जी.ई.आर. एवं एन.ई.आर. की तुलना

बड़ी संख्या में बच्चों के झाप आउट के कारण, एन.ई.आर. की दृष्टि से मध्य प्रदेश की उपलब्धि अखिल भारतीय औसत से कम थी।



(स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के यू-डाइस प्रतिवेदन 2015–16)

इस प्रकार, एन.ई.आर. की दृष्टि से मध्य प्रदेश की उपलब्धि अखिल भारतीय औसत और अन्य पड़ोसी राज्य, नामतः छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र से कम थी। तथापि, मध्य प्रदेश का एन.ई.आर. राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अधिक था। 2010–11 और 2015–16 के मध्य राज्य की जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की उपलब्धि तालिका 3.2 में वर्णित है:

तालिका 3.2: राज्य में जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की तुलनात्मक स्थिति

(आँकड़ा प्रतिशत में)

संकेतक	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक			
	2010–11		2015–16		2010–11		2015–16	
	राज्य	अखिल भारत	राज्य	अखिल भारत	राज्य	अखिल भारत	राज्य	अखिल भारत
जी.ई.आर.	136.65	118.62	94.47	99.21	102.11	81.15	94.02	92.81
एन.ई.आर.	अनुपलब्ध	99.89	79.83	87.30	71.54	61.82	72.31	74.74

(स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की यू-डाईस प्रतिवेदन)

जैसा कि तालिका 3.2 से स्पष्ट है, 2010–11 और 2015–16 के मध्य में, राज्य ने उच्च प्राथमिक स्तर पर एन.ई.आर. में, एक प्रतिशत का मामूली (Marginal) वृद्धि हासिल की थी। तथापि, उच्च प्राथमिक स्तर पर एन.ई.आर. के संदर्भ में राज्य की उपलब्धि, अखिल भारतीय स्तर के 21 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। आगे, 2010–16 के दौरान, उच्च प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर. आठ प्रतिशत से कम हो गया था।

प्राथमिक स्तर पर राज्य का जी.ई.आर. वर्ष 2010–11 के दौरान 136.65 प्रतिशत से घटकर, वर्ष 2015–16 के दौरान 94.47 प्रतिशत हो गया था। 2010–11 और 2015–16 के मध्य, प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर. में गिरावट की दर 31 प्रतिशत थी, जो कि उसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर जी.ई.आर. में गिरावट की दर 16 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक था। प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010–13 के लिए राज्य का एन.ई.आर. उपलब्ध नहीं था। तथापि, प्राथमिक स्तर पर एन.ई.आर. में 93.66 प्रतिशत (2013–14) से 79.83 प्रतिशत (2015–16) की गिरावट थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट के कारण, राज्य में प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात नीचे गिरा था।

ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. में जी.ई.आर. और एन.ई.आर. बढ़ाकर बताना

आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य द्वारा, भारत सरकार की यू-डाईस प्रतिवेदन की तुलना में, जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की उपलब्धि को बढ़ाकर बताया गया था। मार्च 2016 को जी.ई.आर. और एन.ई.आर. की रिपोर्टिंग में भिन्नता तालिका 3.3 में दर्शित है।

तालिका 3.3: मार्च 2016 को जी.ई.आर. और एन.ई.आर. बढ़ाकर बताना

(आँकड़े प्रतिशत में)

संकेतक	भारत सरकार के यू-डाईस प्रतिवेदन के अनुसार		राज्य के ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. के अनुसार	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
जी.ई.आर.	94.47	94.02	115	113
एन.ई.आर.	79.83	72.31	99.52	99.57

(स्रोत: आर.एस.के. का ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. 2016–17 और मानव संसाधन एंव विकास मंत्रालय, भारत सरकार का यू-डाईस प्रतिवेदन 2015–16)

आर.एस.के., राज्य के डाटा और यू-डाईस डाटा में भिन्नता का कोई उपयुक्त कारण प्रदान नहीं कर सका और सूचित किया (जून 2017) कि यू-डाईस प्रतिवेदन और ए.

डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. आंकड़ों में अंतर, बाल जनसंख्या की गणना करने के लिए अपनाए गए तरीकों में अंतर और डाटा संकलन के समय में भिन्नता के कारण हो सकता है।

3.1.2 कक्षा I से आरंभ कर कक्षा V तक पहुंचने वाले छात्रों का समानुपात

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 8 (2) के अंतर्गत, राज्य सरकार से, छह से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था। कक्षा I से आरंभ कर कक्षा V तक पहुंचने वाले छात्रों का समानुपात, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के एम.डी.जी. को मापने का एक संकेतक था।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, कक्षा I में नामांकित हुए विद्यार्थियों की संख्या और जिन्होंने उच्चतर कक्षाओं में शिक्षा जारी रखी, **तालिका 3.4** में वर्णित है।

तालिका 3.4: कक्षा I में आरंभ कर कक्षा V तक पहुंचने वाले छात्रों का समानुपात

(आंकड़े लाख में)

नामांकन वर्ष	कक्षा I में नामांकित छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या जिन्होंने अपनी शिक्षा उच्चतर कक्षाओं में जारी रखी एवं ड्रॉपआउट का प्रतिशत					समग्र ड्रॉपआउट		
		II	III	IV	V	संख्या	प्रतिशत	टिप्पणियां	
2010–11	23.38	21.85 (7)	20.55 (6)	19.42 (5)	17.83 (8)	5.55	24	कक्षा V तक ड्रॉपआउट	
2011–12	20.45	18.99 (7)	18.11 (5)	16.59 (8)	15.77 (5)	4.68	23	कक्षा V तक ड्रॉपआउट	
2012–13	20.51	19.09 (7)	17.48 (8)	16.55 (5)	—	3.96	19	कक्षा IV तक ड्रॉपआउट	
2013–14	19.27	17.20 (11)	16.28 (5)	—	—	2.99	16	कक्षा III तक ड्रॉपआउट	
2014–15	17.52	16.28 (7)	—	—	—	1.24	7	कक्षा II तक ड्रॉपआउट	

(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

बालकों के कक्षा I में नामांकन के बाद राज्य, बालकों के सार्वभौमिक प्रतिधरण एम.डी.जी. लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी, यद्यपि, आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत यह राज्य सरकार का दायित्व था कि वह प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करे।

नमूना जांच किए गए जिलों में, वर्ष 2015–16 के दौरान शैक्षिक संकेतकों की स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दर्शित है। मार्च 2016 तक, इंदौर के अलावा, नमूना जांच किए गए जिलों का जी.ई.आर., राज्य स्तरीय जी.ई.आर. से निम्न था। पाँच जिलों में, बुरहानपुर, दतिया, झाबुआ, रतलाम और पन्ना में, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर (कक्षा एक से पांच के लिए) ड्रॉपआउट दर, राज्य स्तर पर औसत ड्रॉप आउट दर से अधिक थी। जिला झाबुआ में, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर (कक्षा छह से आठ के लिए) ड्रॉपआउट दर, राज्य स्तरीय ड्रॉपआउट दर से अधिक था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने शैक्षिक संकेतकों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

3.2 बालकों की पहचान

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक द्वारा अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य के लिए, बच्चों की पहचान जिनके बाद उनका विद्यालय में नामांकन होगा एक महत्वपूर्ण आरंभिक कदम है।

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखेगा। आगे एम.पी.आर.टी.ई. नियम का नियम 6 विनिर्दिष्ट करता है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता में परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले सभी बालकों के अभिलेख संधारित करेगा। स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में बालक की पूर्व प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, पलायन और कम घनत्व की बसाहट इत्यादि के कारण बालकों के लिए आवश्यक विशेष सुविधा/आवासीय सुविधाओं की जानकारी इस निर्दिष्ट अभिलेख में सम्मिलित होगा। आगे, प्रत्येक बालक के नामांकन, उसकी उपस्थिति तथा उसके सीखने के स्तर की उपलब्धि की निगरानी के लिए प्रत्येक बालक को एक यूनिक नंबर दिया जाना था।

स्थानीय प्राधिकारियों ने, एम.पी. आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत निर्धारित, बालकों के अभिलेखों का रख—रखाव नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, बालक के जन्म से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले निर्धारित अभिलेख का रख—रखाव नहीं कर रहा था। आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा पंजी (वी.ई.आर.) और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड शिक्षा पंजी (डब्ल्यू.ई.आर.) को अद्यतन करने हेतु शून्य से 14 वर्ष के बच्चों की पहचान करने के लिए 'स्कूल चलें हम' अभियान के अंतर्गत वार्षिक घर—घर जाकर परिवार सर्वेक्षण संचालित कर रहा था। तथापि, सर्वेक्षण के पश्चात पहचान किए गए बच्चों का उनके नामांकन की निगरानी के लिए, कोई यूनिक नंबर नहीं दिया गया था। आगे, "स्कूल चले अभियान" के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के लिए निर्धारित प्रारूप में पलायन और कम घनत्व की बसाहट होने के कारण विशेष सुविधाएं/आवासीय सुविधाओं की आवश्यकता से संबंधित डाटा का कोई जिक्र नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि आयुक्त आर.एस.के. ने अप्रैल 2011 में सभी जिलाधीशों और जिला पंचायत के सी.ई.ओ. को परिवार सर्वेक्षण करने के लिए पत्र जारी किए थे। अतः यह नहीं कहा जा सकता था कि स्थानीय प्राधिकारियों ने 2011 से परिवार सर्वेक्षण नहीं किया था। विभाग ने आगे बताया कि, डी.ई.ओ. पदेन अतिरिक्त सी.ई.ओ., जिला पंचायत था और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पदेन अतिरिक्त सी.ई.ओ. जनपद पंचायत था। इस प्रकार, "स्कूल चले हम अभियान" और वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. का अद्यतन स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. एक विद्यालय में रखा गया था, जो कि एक स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय था। विभाग ने बताया कि प्रत्येक बच्चों के लिए यूनिक आई.डी. समग्र आई.डी. के रूप में जारी किए जा रहे थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों ने सूचित किया कि आर.टी.ई. अधिनियम में निर्धारित कर्तव्य शिक्षा विभाग के जिला प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। आगे, अभिलेखों की जांच से परिलक्षित हुआ कि स्कूल शिक्षा विभाग, आर.टी.ई. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के साथ—साथ नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग (यू.ए.डी.डी.) से पूर्व में अनुरोध (फरवरी 2010) कर चुका था। तथापि, पी.आर.डी.डी. ने स्कूल शिक्षा विभाग को सूचित (दिसंबर 2013) किया था कि आर.टी.ई. अधिनियम में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए सौंपे गये

कर्तव्य, स्कूल शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और फील्ड स्तरीय कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे और इन कर्मचारियों की सेवाएं स्थानीय प्राधिकारियों को अंतरित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों को आर.टी.ई. अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा समय—समय पर उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन के लिए निर्देशित (सितम्बर 2014) किया था। जैसा कि निर्गम सम्मेलन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया था, स्थानीय प्राधिकारियों के विभिन्न स्तरों में भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को वर्णित करने के लिए अधिसूचना प्रक्रिया में थी।

इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्ष बाद भी, राज्य सरकार, राज्य में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निर्धारित अभिलेखों की तैयारी सुनिश्चित नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, विद्यालय में नामांकित बच्चों, विद्यालय से बाहर बच्चों और पलायन और कम घनत्व की बसाहट इत्यादि के कारण बालकों के लिए आवश्यक विशेष सुविधाएं/आवासीय सुविधाओं से संबंधित डाटा अविश्वसनीय रहे, जैसा कि उत्तरर्वती कंडिकाओं में वर्णित है।

3.2.1 कमज़ोर वर्ग के बालकों का समावेशन

आर.टी.ई. अधिनियम के अधिनियम का एक उद्देश्य, शाला से बाहर बच्चों मुख्य रूप से अलाभान्वित समूह और मजदूरी में लगे हुए बच्चों की संख्या को कम करना था। मध्य प्रदेश के ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. 2011–12 के अनुमोदन के लिए, इसकी 162 वीं बैठक में परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में अति कमज़ोर वर्ग के बच्चों तक पहुंचने के लिए परिवार सर्वेक्षण एक प्रभावशाली रणनीति नहीं थी क्योंकि इस प्रकार के सर्वेक्षण में स्ट्रीट चिल्ड्रन, वयस्क संरक्षण विहीन बच्चों, अस्थाई या अनाधिकृत रूप से रहे पलायन वाले बच्चों तथा मजदूरी कर रहे बच्चों को अभिलेखित नहीं किया जा रहा था। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने चिंता जाहिर की कि राज्य इन बच्चों की पहचान के लिए एक विश्वसनीय रणनीति नहीं बना सका। आगे, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने अपनी 235 वीं बैठक (मार्च 2016) में बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न कमज़ोर वर्गों जैसे कि आदिम आदिवासी समूह और उनके लिए किए गए पहल से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. के अद्यतन के लिए, “स्कूल चले हम अभियान” के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के प्रारूप में कमज़ोर वर्ग के बच्चों का विवरण शामिल नहीं था। इस प्रकार, “स्कूल चले हम अभियान” के अंतर्गत विद्यालय में नामांकन के लिए कमज़ोर वर्ग के बालकों की पहचान नहीं हुई थी।

आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राष्ट्रीय बालश्रमिक परियोजना (एन.सी.एल.पी.) जो कि रोजगार से निकाले गए बच्चों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना थी, राज्य के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही थी। एन.सी.एल.पी., सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ‘विद्यालय से बाहर’ के बच्चों के वार्षिक सर्वेक्षण के साथ अभिसरण प्रावधान करता है, ताकि जिला और राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयत्नों के दोहराव को कम किया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में ऐसा कोई अभिसरण नहीं था।

आर.एस.के. ने बताया (जुलाई 2016) कि ऐसे बच्चे जो प्लेटफार्म, जो सड़क किनारे स्ट्रीट या बस स्टैण्ड पर रह रहे थे, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए श्रम विभाग द्वारा पृथक रूप से कवर किया गया था। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि नगरीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण के दौरान, गृह विहीन और स्ट्रीट में रह रहे बच्चों को भी कवर किया गया था। विभाग ने आगे बताया कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, वयस्क संरक्षण विहीन बच्चों, पलायन वाले बच्चों, जो कि अस्थाई या अनाधिकृत बस्तियों में रहे

विभाग द्वारा कमज़ोर वर्ग के बालकों की पहचान, प्रारंभिक शिक्षा में उनके नामांकन के लिए नहीं की गई थी।

रहे थे, के लिए एक विशेष अभियान वर्ष 2011 में संचालित किया गया था। सर्वेक्षण में, श्रम विभाग से अभिसरण के साथ कार्य स्थल पर बच्चों पर भी चयन केन्द्रित किया गया था। वर्ष 2016 में, यूनीफाइड डाटाबेस होने के निर्णय से शहरी क्षेत्र में बच्चों की पहचान सुनिश्चित के लिए एक अत्यधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि श्रम विभाग ने (मई 2017) सूचित किया था कि विभाग राज्य में बाल मजदूरी पर कोई सर्वेक्षण नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, श्रम आयुक्त, एन.सी.एल.पी. के अंतर्गत पहचान किए गए बाल मजदूरों और उनके पुनर्वास/शिक्षा के लिए कोई डाटा संकलित नहीं कर रहा था। आगे, आर.एस.के. ने सूचित (मई 2017) किया कि श्रम विभाग ने बाल मजदूरी पर किए गए सर्वेक्षण से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की थी। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि परिवार सर्वेक्षण अपूर्ण था क्योंकि इसने मार्जिनलाईज्ड (Marginalised) बच्चों की उपेक्षा की थी।

इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में कमज़ोर वर्ग के बच्चों को कवर नहीं किया गया था और प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनका नामांकन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.3 बालकों की विद्यालय तक पहुंच

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 6 इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक, पड़ोस में, जो विहित हो, एक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अनुसार “पड़ोस की सीमा” से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच की दशा में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो, तथा कक्षा छह से आठ की दशा में, इस सीमा से 3 किलोमीटर का क्षेत्र।

एम.पी.आर.टी.ई. नियम आगे प्रावधान करता है कि राज्य सरकार किसी बसाहट में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान करेगा, यदि उस बसाहट के एक किलोमीटर की परिधि अन्दर किसी प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है और छह से 11 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध हैं। यदि किसी बसाहट में पड़ोस की सीमा के भीतर तीन किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है और 11–14 वर्ष आयु के कम से 12 बच्चे उपलब्ध हैं तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में माध्यमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करायेगी।

मार्च 2011, मार्च 2013 और मार्च 2016 के अंत में, बसाहटों में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता **तालिका 3.5** में दर्शित है।

तालिका 3.5: बसाहटों में प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

सं. क्र.	विवरण	2010–11	2012–13	2015–16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुल बसाहट	95193	95193	95198
प्राथमिक स्तर				
2	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	82450	83144	83872
3	बसाहट, जहां एक कि.मी. के अंदर प्राथमिक विद्यालय है	94188	94211	94658

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	बसाहट जहाँ एक कि.मी. के अंदर प्राथमिक विद्यालय नहीं है	1005	982	540
5	बसाहट, जो राज्य मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के पात्र है	560	639	0
6	बसाहट जो राज्य मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए पात्र नहीं है	445	343	540
उच्च प्राथमिक स्तर				
7	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	28136	29260	30383
8	बसाहट, जहाँ तीन कि.मी. के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।	94035	94544	94912
9	बसाहट, जहाँ तीन कि.मी. के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।	1158	649	286
10	बसाहट, जो राज्य मानदण्डों के अनुसार पात्र है।	684	256	0
11	बसाहट, जो राज्य मानदण्डों के अनुसार पात्र नहीं है।	474	393	286

(स्त्रोत— राज्य के ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन 2016–17)

राज्य सरकार,
राज्य में
प्रत्येक
बसाहटों के
लिए पड़ोस में
विद्यालय
प्रदान करने में
विफल रही।

जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है, राज्य में, ऐसे 982 बसाहट थीं जहाँ मार्च 2013 तक एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार 649 बसाहटें पड़ोस में तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय के बिना थीं। इस प्रकार राज्य सरकार मार्च 2013 तक पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने में निर्धारित आर.टी.ई. अधिनियम की समय सीमा हासिल करने में असफल रही।

पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने में कमी की स्थिति मार्च 2016 में भी बनी हुई थी एवं एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय के बिना 540 बसाहटें थीं और तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय के बिना 286 बसाहटें थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तरीय ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. तथा जिला स्तरीय ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. में प्रतिवेदित बिना विद्यालयों के बसाहटों की संख्या में भिन्नता थी। मार्च 2013 तक नमूना जांच किए गए सात जिलों में, 14,445 बसाहटों में से, 3,661¹ (25 प्रतिशत) बसाहटें प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय सुविधा के बिना थे और मार्च 2016 तक चार जिलों में 340² बसाहटों में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध नहीं थीं। नमूना जांच किए गए जिलों में शिक्षा सुविधा रहित बसाहटें, **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित हैं।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने अधिनियम के कार्यान्वयन के तीन वर्ष के भीतर अपेक्षित मान के अनुसार सभी बसाहटों में विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध न कराने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, विभाग ने बताया कि 2015–16 में कुछ बसाहटों में विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी क्योंकि ये बसाहटें राज्य के मानदण्ड को पूरा नहीं करती थीं। विभाग ने आगे बताया कि जिलों से नए

¹ छिंदवाड़ा (350), दतिया (48), धार (2848), झाबुआ (314), पन्ना (28), रत्लाम (7) एवं शहडोल (66)।

² छिंदवाड़ा (269), पन्ना (45), रत्लाम (6) एवं शहडोल (20)।

विद्यालयों की मांग कई मामलों में युक्तिसंगत नहीं थी, इसलिए स्वीकार्य नहीं की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 95,198 बसाहटों के विरुद्ध मात्र 83,872 प्राथमिक विद्यालय थे और राज्य सरकार ने न तो उसके द्वारा तय किए गए पड़ोस मानदंडों के कारण शेष 11,326 बसाहटों में विद्यालय स्थापित किए और न ही बिना विद्यालय वाले इन बसाहटों में रहने वाले पहचान किए गए बच्चों की पहुंच के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी, जैसा कि कंडिका 3.3.1 में चर्चा की गयी है।

3.3.1 परिवहन व्यवस्था

एम.पी.आर.टी.ई. नियम के नियम 4(4) के अनुसार राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए छोटे बसाहट (हेमलेट) या किसी अन्य स्थान जहाँ पड़ोस की सीमा के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, वहाँ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जायेंगी जैसे निःशुल्क परिवहन, आवासीय सुविधाएं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. ने वर्ष 2011–12 में 8,906 बालकों को, वर्ष 2012–13 में 4,140 बालकों को और 2013–14 में 3267 बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित किया था। इसके अतिरिक्त, 2014–15 के दौरान 20 जिलों के 786 बसाहटों में 9,971 बच्चे और वर्ष 2015–16 के दौरान 21 जिलों के 826 बसाहटों में 9,535 बच्चे, एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत परिवहन सुविधा के लिए पात्र थे। आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने पांच जिलों, दमोह, देवास, हरदा, खंडवा और जबलपुर, जहाँ वर्ष 2012–13 के दौरान 3,740 विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान की गई थी को छोड़कर वर्ष 2011–16 के दौरान बालकों के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं की थी।

आगे, नमूना जॉच किए गए किसी भी जिलों में पड़ोस के विद्यालय के बिना वाले बसाहटों में रहने वाले बच्चों को विद्यालय पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना जॉच किए गए तीन जिलों (छिंदवाड़ा, पन्ना और शहडोल) के 334 बसाहटों के 3,929 बच्चे विद्यालय पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था प्रदान न करने के कारण, प्रभावित हुए थे।

इस प्रकार, राज्य सरकार उन बच्चों जो पड़ोस के विद्यालय से रहित बसाहटों में रह रहे थे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफल रही।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2011–12 में परिवहन की सुविधा का प्रस्ताव पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि प्रस्ताव का ओचित्य (Justification) अस्पष्ट और जटिल था। तथापि, पी.ए.बी. ने ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2012–13 में 4,140 बच्चों को परिवहन की सुविधा के लिए ₹ 1.24 करोड़ अनुमोदित किए थे। आगे, ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2013–14 में पी.ए.बी. ने परिवहन के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया क्योंकि एम.पी.आर.टी.ई. नियम ने पड़ोस की सीमा/क्षेत्र, जिसमें परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी थी, अधिसूचित नहीं की थी। लेखापरीक्षा के सवाल के जवाब में, आर.एस.के. ने सूचित किया (जून 2016) कि पड़ोस की सीमा/क्षेत्र, जिसमें परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी थी, के लिए अधिसूचना प्रक्रिया में थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि परिवहन की व्यवस्था का प्रस्ताव आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बगैर पड़ोस के विद्यालयों वाले बसाहटों की पहचान की थी किंतु विभाग ने इन पहचान किए गए बसाहटों के बच्चों के लिए

परिवहन की व्यवस्था नहीं की थी जैसा कि एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

3.4 लक्षित जनसंख्या का नामांकन

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 3(1) प्रावधान करती है कि छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। धारा 8 (क)(ii) और 9(ङ) यह विनिर्दिष्ट करती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि छह वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करना सुनिश्चित करें।

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 2010–16 की अवधि के लिए बाल जनसंख्या (6–14 वर्ष आयु समूह) और प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन **तालिका 3.6** के अनुसार थी।

तालिका 3.6: लक्षित जनसंख्या की प्रारंभिक विद्यालय नामांकन की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
छह से 14 वर्ष आयु समूह में बाल जनसंख्या	137.11	139.33	138.71	138.31	135.65	131.40
परिवार सर्वेक्षण के अनुसार नामांकन	136.40	138.06	137.97	137.67	134.63	130.80

(स्रोत: आर.एस.के. का ए.डब्ल्यू.पी.एण्डबी.)


विद्यालयों में लक्षित बाल जनसंख्या का सार्वभौमिक नामांकन हासिल नहीं हुआ था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिवार सर्वेक्षण के आधार पर वी.ई.आर./ डब्ल्यू.ई.आर. में एकत्रित नामांकन आंकड़े, यू-डाईस द्वारा प्रतिवेदित नामांकन आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे। वी.ई.आर. में नामांकन, विगत शैक्षणिक वर्ष में नामांकन की स्थिति को इंगित करता है और यू-डाईस चालू वर्षों के कक्षावार नामांकन आंकड़ों को दर्शाता है। यू-डाईस और वी.ई.आर. के नामांकन डाटा में अंतर, **तालिका 3.7, चार्ट 3.2** और **चार्ट 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.7: यू-डाईस और वी.ई.आर. के नामांकन डाटा में अंतर

(विद्यार्थियों की संख्या लाख में)

परिवार सर्वेक्षण वर्ष	राज्य स्तर			नमूना जाँच किए गए जिले		
	वी.ई.आर. के अनुसार विगत वर्षों में नामांकन	यू-डाईस नामांकन	अंतर (प्रतिशत)	वी.ई.आर. के अनुसार, विगत वर्षों में नामांकन	यू-डाईस के अनुसार नामांकन	अंतर (प्रतिशत)
2011–12	138.06	154.24	16.18 (10)	30.19	33.47	3.28 (10)
2012–13	137.97	153.20	15.23 (10)	35.21	37.93	2.72 (7)
2013–14	137.67	150.35	12.68 (8)	34.98	37.2	2.22 (6)
2014–15	134.63	144.95	10.32 (7)	34.3	36.28	1.98 (5)
2015–16	130.80	134.77	3.97 (3)	37.96	38.3	0.34 (1)

(स्रोत: आर.एस.के. और डी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार वी.ई.आर. डाटा)



(स्रोत: आर.एस.के. और डी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के अनुसार वी.ई.आर. डाटा)

जैसा कि तालिका 3.7 से स्पष्ट है कि, राज्य स्तर पर परिवार सर्वेक्षण 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान, कक्षा I से VIII के लिए विद्यार्थियों के वी.ई.आर. डाटा और यू-डाईस डाटा के नामांकन आंकड़ों में अंतर 3.97 लाख से 16.18 लाख के मध्य तक था। यह अंतर, तथापि, 10 प्रतिशत (2011–12) से तीन प्रतिशत (2015–16) तक कम हो गया था।


निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि यू-डाईस डाटा कक्षावार डाटा था जिसमें छह वर्ष से नीचे और 14 वर्ष के ऊपर के बालक सम्मिलित थे जबकि वी.ई.आर. डाटा छह से 14 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या तक सीमित था। वी.ई.आर. डाटा और यू-डाईस डाटा के नामांकन आंकड़ों की विषमता को समाप्त करने के लिए वी.ई.आर. और यू-डाईस दोनों को डाटा की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016–17 में समग्र (SAMAGRA) के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि यू-डाईस एवं परिवार सर्वेक्षण प्रतिवदन में नामांकन आंकड़ों में अत्यधिक अंतर था इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संकलित की गई बालकों के नामांकन आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

3.4.1 नामांकन में गिरावट

2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य स्तर पर यू-डाईस डाटा के अनुसार कक्षा एक से आठ के विद्यार्थियों की नामांकन स्थिति चार्ट 3.4 में दर्शित है।

चार्ट 3.4 यू-डाईस के अनुसार राज्य स्तर पर नामांकन में गिरावट



(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान, प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन लगातार कम हुआ। तथापि, 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान सात लाख से दस लाख प्रतिवर्ष की अत्यधिक गिरावट थी। विभाग ने नामांकन में कमी का कारण,

शून्य से छह वर्ष आयु-समूह में बाल जनसंख्या के घटते ट्रैंड, बच्चों का पलायन और बच्चों के ड्रॉप आउट को बताया।

अभिलेखों के संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि आर.एस.के. ने जिलाधीशों को नामांकन में आई गिरावट के कारणों का आकलन करने के लिए निर्देशित (अक्टूबर 2015 और फरवरी 2016) किया था। तदनुसार वर्ष 2013–14 से 2014–15 के दौरान 21 जिलों ने 6.94 लाख विद्यार्थियों के नामांकन में, दोहरे और फर्जी नामांकन विशेष तौर पर निजी विद्यालयों में, यू-डाईस में गलत प्रविष्टि, विद्यार्थियों के दोहरीकरण और परिवार के साथ पलायन इत्यादि के कारण गिरावट प्रतिवेदित की गयी थी। रामा ब्लॉक, झाबुआ के नमूना जॉच किए गए पॉच विद्यालयों में, (प्रा.वि. कोकावाड़, नवापाड़ा, गोपालपुरा और भूतखेड़ी और जी.एम.एस.कालीदेवी) डी.पी.सी. की जॉच रिपोर्ट में, विद्यार्थियों के दोहरे नामांकन के 14 मामले प्रतिवेदित किए गए थे। इसने इंगित किया कि यू-डाईस डाटा विश्वसनीय नहीं था।

इस प्रकार, सरकार के साथ-साथ निजी विद्यालयों द्वारा प्रतिवेदित नामांकन को यू-डाईस में शामिल करने से पहले सत्यापित नहीं किया गया था। निजी विद्यालयों में फर्जी नामांकन का पता चलने से यह इंगित हुआ कि इन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने/मान्यता को नवीकरण से पहले अपेक्षित निरीक्षण उपयुक्त रूप से नहीं किया गया था। फर्जी नामांकन के संदर्भ में आर.एस.के. ने सूचित (मई 2017) किया कि जिलों को, नामांकन में आई कमी का विद्यालयवार कारणों की वास्तविक जानकारी प्रदान करने के लिए पुनः निर्देशित किया गया था और फर्जी नामांकनों पर कार्रवाई, विद्यालयवार जानकारी की प्राप्ति के बाद की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न क्रियाकलापों यथा अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, प्रधान अध्यापक का कक्ष, गणवेश, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, अतिथि शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों तथा अतिरिक्त शिक्षकों का परिनियोजन के वित्तीय लक्ष्य/लागत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार ने भारत सरकार से लक्ष्य के विरुद्ध निधिया प्राप्त की थी, जो कि दोहरे/फर्जी नामांकनों के कारण बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त, इसने संसाधनों के संवर्धन योजना, जैसे कि विद्यालय में कक्षा एंव शिक्षक, को प्रभावित किया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि दोहरे एवं फर्जी नामांकन से बचने के लिए राज्य ने सभी परिवार एंव बच्चों को यूनिक समग्र आई.डी. आवंटित करने का कार्य किया था। फर्जी नामांकनों का विशेषकर निजी विद्यालयों में पता लगाया गया और उन दोहरे नामांकनों को हटा दिया गया था। भारत सरकार ने यू-डाईस में प्रतिवेदित वास्तविक नामांकन के आधार पर स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार व्यय किए गए थे और प्रोत्साहन यथा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक, गणवेश इत्यादि शासकीय विद्यालयों में वास्तविक रूप में नामांकित बच्चों के आधार पर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय और निजी विद्यालयों में नामांकित 11 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास समग्र आई.डी. नहीं थी। इस प्रकार, विद्यार्थियों के साथ समग्र आई.डी. को जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हासिल नहीं हुई थी। आगे, जैसा कि कंडिका 3.2 में विवेचित है, एम.पी.आर.टी.ई. नियम के नियम 6(1) के अंतर्गत, प्रत्येक बच्चे को उनके नामांकन, मूल्यांकन और अध्ययन उपलब्धि निगरानी के लिए यूनिक संख्या आवंटित करना स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया था।

3.5 शासकीय एवं निजी क्षेत्र के विद्यालयों में नामांकन

मार्च 2016 को राज्य में राज्य के शासकीय विद्यालयों एवं निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकन की स्थिति तालिका 3.8 में वर्णित है।

तालिका 3.8: राज्य के शासकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों में नामांकन


(आंकड़े संख्या में)

विद्यालय प्रबंधन	विद्यालयों की संख्या	नामांकन (लाख में)
राज्य शासकीय विद्यालय	1,14,255	78.96
निजी क्षेत्र विद्यालय	26,446	46.87
अन्य प्रबंधनों में विद्यालय (केन्द्रीय विद्यालय, सदरसा आदि)	1,880	1.97
योग	1,42,581	127.80

(स्रोत: यू-डाईस आंकड़े)

यद्यपि, शासकीय विद्यालयों की संख्या, संपूर्ण विद्यालयों का 80 प्रतिशत था, मात्र 62 प्रतिशत बच्चे इन विद्यालयों में नामांकित थे। मार्च 2016 को राज्य में, निजी क्षेत्र विद्यालयों में नामांकन, प्रारंभिक शिक्षा में संपूर्ण नामांकन का 37 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्य शासकीय विद्यालयों में नामांकन में 105.30 लाख से 78.96 लाख की गिरावट 2010–11 से 2015–16 तक थी। 2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य के शासकीय, निजी एवं अन्य प्रबंधन विद्यालयों में नामांकन का प्रवाह चार्ट 3.5 में दर्शित है।

चार्ट 3.5: राज्य शासन, निजी एवं अन्य प्रबंधन विद्यालयों में कक्ष I से VIII तक में नामांकन की तुलना



(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, मध्यान्ह भोजन का प्रदाय एवं गणवेश प्रदान करने के बावजूद भी, लोगों ने अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना पसंद किया। राज्य के शासकीय विद्यालयों में कम नामांकन का कारण इन विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या को ठहराया जा सकता था, जैसा कि उत्तरवर्ती अध्यायों में विवेचित है।

राज्य के शासकीय विद्यालयों में नामांकित बालकों के लिये विभिन्न प्रोत्साहन के बावजूद भी लोगों ने अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना पसंद किया।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि निजी विद्यालयों में प्रवेश माता-पिता का निर्णय था। यह कहना उचित नहीं था कि नामांकन में कमी शासकीय विद्यालयों की निम्न गुणवत्ता के कारण थी। अन्य कारण, माता पिता की अंग्रेजी माध्यम में रुचि और निजी विद्यालयों में पूर्व विद्यालयीन सुविधा थे। निजी विद्यालयों में विद्यार्थी, आर.टी.ई. के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण कोटा के तहत भी प्रवेश हुये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में नामांकन का बढ़ता प्रवाह था। आगे, शासकीय विद्यालयों में ड्रॉपआउट की दर निजी क्षेत्र विद्यालयों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। राज्य में, बढ़ते वर्षों में, 'ए' श्रेणी के शासकीय विद्यालयों की संख्या कम हुई थी, जैसा कि कंडिका 5.7 में विवेचित है। इनसे, शासकीय विद्यालयों में, संतोषजनक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में स्कूल शिक्षा विभाग की विफलता जाहिर हुई।

3.6 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण और ट्रांजिशन

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत, समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित था कि वे प्रत्येक बालक की उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण होने की निगरानी सुनिश्चित करें। 2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य में सभी प्रबंधन विद्यालयों में कक्षावार नामांकन की स्थिति तालिका 3.9 में दर्शाई गयी है।

तालिका 3.9: राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में कक्षावार नामांकन

(विद्यार्थियों की संख्या लाख में)

वर्ष	कक्षा								कुल नामांकन	वर्षवार ड्रॉपआउट
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
2010–11	23.38	22.30	21.14	20.44	19.32	17.13	16.17	14.36	154.24	
2011–12	20.45	21.85	21.55	20.42	19.71	17.38	16.36	15.48	153.20	7.13 ³
2012–13	20.51	18.99	20.55	20.22	19.24	17.87	16.97	16.00	150.35	7.88
2013–14	19.27	19.09	18.11	19.42	19.14	17.19	16.77	15.96	144.95	8.67
2014–15	17.52	17.20	17.48	16.59	17.83	16.61	15.95	15.59	134.77	11.74
2015–16	16.06	16.28	16.28	16.55	15.77	15.94	15.82	15.10	127.80	7.44


(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत सूचना)

तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि 2011–16 के दौरान राज्य में प्रारंभिक शिक्षा से कुल 42.86 लाख बालक ड्रॉपआउट हुये थे इसमें निजी क्षेत्र एवं अन्य प्रबंधन विद्यालयों के 14.05 लाख तथा राज्य के शासकीय विद्यालयों के 28.81 लाख ड्रॉपआउट बालक शामिल थे। 2010–16 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनरावृत्ति, प्रतिधारण और प्रोन्ति दर चार्ट 3.6 और 3.7 में दर्शित है।

³ (2010–11 के कुल नामांकन +2011–12 में कक्षा I में नामांकन)–(2010–11 में कक्षा VIII में नामांकन+2011–12 में कुल नामांकन)।


चार्ट 3.6: प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिधारण, पुनरावृत्ति एवं प्रोन्नति की स्थिति

प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में झूँप आउट और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर ट्रांजिशन हानि के कारण, राज्य प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक प्रतिधारण को हासिल नहीं कर सका।



(स्रोत: आर.एस.के. का ए.डब्लू.पी. एण्ड बी.)


चार्ट 3.7: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिधारण, पुनरावृत्ति एवं प्रोन्नति की स्थिति



(स्रोत: आर.एस.के. का ए.डब्लू.पी. एण्ड बी.)

इस प्रकार, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण, प्राथमिक स्तर से बेहतर था। वर्ष 2010–16 के दौरान, कक्षा I से V में बच्चों का प्रतिधारण 71.40 प्रतिशत से 93.69 प्रतिशत के मध्य था और कक्षा VI से VIII में यह प्रतिधारण 87.99 प्रतिशत से 97.16 प्रतिशत के मध्य था। आगे, 2010–16 के दौरान, राज्य में 10.25 लाख बालकों ने प्राथमिक स्तर (कक्षा V) के बाद विद्यालय छोड़ दिया, जबकि 4.09 लाख बच्चों ने कक्षा VII के बाद कक्षा VIII में नामांकन किए बिना विद्यालय छोड़ दिया था। 2011–16 के दौरान, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में बालकों का वर्षवार झूँपआउट 7.13 लाख और 11.74 लाख के मध्य था। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों का झूँपआउट और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ट्रांजिशन हानि चार्ट 3.8 के अनुरूप था।


चार्ट 3.8 राज्य में प्राथमिक शिक्षा से बालकों का ड्रॉपआउट



(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

प्राथमिक स्तर (कक्षा V) से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI) ट्रांजिशन स्तर, पर बालकों का ड्रॉपआउट राज्य शासकीय विद्यालयों में, निजी और अन्य प्रबंधन विद्यालयों की तुलना में अधिक था, जैसा कि चार्ट 3.9 में दर्शित है।

चार्ट 3.9 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर ट्रांजिशन का प्रतिशत



लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला स्तर पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में छह से 14 वर्ष आयु वर्ग में नामांकित विशिष्ट प्रत्येक व्यक्तिगत बालक की उपस्थिति और प्रगति निगरानी नहीं की गई थी। इस प्रकार, ड्रॉपआउट की स्थिति से निपटने के लिए विभाग की तरफ से अपर्याप्त प्रयास किए गए थे। राज्य सरकार ने जन शिक्षक को उपस्थिति प्राधिकारी के रूप में नामांकित (दिसंबर 2013) किया था, जो कि सभी विद्यार्थियों की उनके बसाहट में नामांकन, उनकी उपस्थिति, और गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता के लिए उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा ने स्वीकृत पदों के

विरुद्ध जन शिक्षकों की संख्या में कमी पाई, जिसके कारण उपस्थिति का अपर्याप्त निगरानी हुई, जैसा कि कंडिका 7.5 में विवेचित है।

आगे, आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 16 विद्यार्थियों को किसी कक्षा में रोके जाने का निषेध करती है और नो डिटन्शन पॉलिसी का प्रावधान करती है। तथापि, राज्य स्तर पर सभी विद्यालयों के यू-डाईस डाटा के विश्लेषण से 2010–16 के दौरान कक्षा एक से पॉच में 16.10 लाख विद्यार्थियों और कक्षा छः से आठ में 5.10 लाख विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति/रोका जाना परिलक्षित हुआ।

नमूना जांच किए गए जिलों में 2010–16 के दौरान कक्षा एक से पॉच में प्रतिधारण का प्रतिशत 53 से 100 प्रतिशत के मध्य और कक्षा छः से आठ में 58 से 100 प्रतिशत के मध्य था। प्राथमिक स्तर (कक्षा V) से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI) पर विद्यार्थियों का ट्रांजिशन दर 68 से 100 प्रतिशत था। जिला बुरहानपुर, धार, झाबुआ और मुरैना में, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रतिधारण दर राज्य औसत से कम थी। इसी प्रकार, जिला बुरहानपुर, दतिया, धार, मुरैना और पन्ना का उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण दर राज्य औसत से कम था। 2015–16 के दौरान छह जिलों भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, धार, झाबुआ और रतलाम में, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की ट्रांजिशन दर, राज्य स्तर पर औसत ट्रांजिशन दर से नीचे थी।

नमूना जांच किए गए जिलों के राज्य शासकीय विद्यालयों में यह पाया गया कि :

- 2010–16 के दौरान प्रतिधारण दर, प्राथमिक स्तर पर 50 से 100 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 80 से 100 प्रतिशत था। प्राथमिक कक्षाओं से उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक ट्रांजिशन दर 67 से 100 प्रतिशत था। नमूना जांच किए गए नौ⁴ जिलों में, 2010–16 के दौरान प्रवेशित 103.16 लाख विद्यार्थियों में से 5.69 लाख (छह प्रतिशत) विद्यार्थियों ने उनकी पढ़ाई विद्यालय के आखिरी कार्य दिवस तक जारी नहीं रखी थी। ड्रॉपआउट का प्रतिशत चार से सात प्रतिशत था।
- 2010–16 के दौरान नमूना जांच किए गए 390 में से 140 विद्यालयों में 3.11 लाख विद्यार्थियों में से 6,136 विद्यार्थियों ने शैक्षणिक सत्र के दौरान ड्रॉप आउट हुये थे। डी.पी.सी. ने निम्न प्रतिधारण का कारण बच्चों का उनके माता-पिता के साथ पलायन को ठहराया, जिन्होंने काम की तलाश में उनके घरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए थे।
- नमूना जांच किए गए 12 जिलों में हमने पाया कि, 2010–16 के दौरान विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का औसत प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में 54 से 95 था और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 58 से 97 था। चार जिलों मुरैना, पन्ना, रतलाम और सिंगरौली में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम थी। नमूना जांच किए गए 94 शासकीय विद्यालयों और सात अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में, दैनिक उपस्थिति का औसत प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने उच्च कक्षाओं में नामांकन में आई कमी का कारण निजी विद्यालयों में फर्जी नामांकन और बालकों का उनके माता-पिता के साथ अन्य राज्यों में पलायन को बताया। आगे, यह बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित समग्र आई.डी. प्रत्येक बच्चे के लिए यूनिक आई.डी. था और वर्ष 2013–14 से उसका प्रयोग सभी विभागों के विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निगरानी, योजना एवं लाभ अंतरण के लिये किया जा रहा था। इस आई.डी. के आने

⁴ बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, धार, झाबुआ, मुरैना, शहडोल और सिंगरौली।

से, किसी बच्चे का नकली नामांकन शासकीय और निजी विद्यालयों दोनों में से सुधार कर दिया गया था। विभाग ने आगे बताया कि बच्चों के ड्रॉप आउट के मामले ऑनलाइन निगरानी किए गए थे और पहचान किए गए ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिवार सर्वेक्षण में विद्यालय से बाहर बच्चों के होने का कारणों जैसे, कृषि मजदूरी के लिए खेतों में काम करना या अन्य मजदूरी कार्य, भाई-बहनों की देखभाल, पशुओं को चराना, दुर्बल वित्तीय स्थिति, पलायन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी इत्यादि थे। प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में उन्नयन करने के मानदंडों की समीक्षा के साथ इन मामलों के प्रति ध्यान देना राज्य सरकार से अपेक्षित था। शासकीय विद्यालयों में अपर्याप्त प्रतिधारण विद्यालय में अपर्याप्त शिक्षकों की संख्या और आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण भी था। आगे, जिला स्तर पर निगरानी में कमी और जनशिक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, राज्य के शासकीय विद्यालयों में प्रतिधारण और ट्रांजिशन में सुधार नहीं किया जा सका।

इस प्रकार राज्य, प्राथमिक स्तर पर बालकों के बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शिफ्टिंग के दौरान हुई बड़ी मात्रा में ट्रांजिशन हानि के कारण, प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक प्रतिधारण हासिल नहीं कर सका।

3.7 विद्यालय से बाहर बच्चे (Out of School Children) एवं उनको मुख्य धारा में लाना

राज्य स्तर पर परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 2010–16 की अवधि के लिए बच्चों की जनसंख्या (6–14 वर्ष आयु समूह) एवं विद्यालय से बाहर बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)⁵ की संख्या तालिका 3.10 में दी गई।

तालिका 3.10: बच्चों की जनसंख्या एवं विद्यालय से बाहर बच्चों की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
6–14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की जनसंख्या	137.11	139.33	138.71	138.31	135.65	131.40
विद्यालय से बाहर बच्चे (बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत)	0.71(0.52)	1.27(0.91)	0.74(0.53)	0.64(0.46)	1.02(0.75)	0.60(0.46)
ड्रॉप आउट(ओ.ओ.एस.सी. का प्रतिशत)	0.26(37)	0.71(56)	0.25(34)	0.21(33)	0.21(21)	0.09(15)
विद्यालय अप्रवेशित बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.का प्रतिशत)	0.45(63)	0.56(44)	0.49(66)	0.43(67)	0.81(79)	0.51(85)

(स्रोत: आर.एस.के. की ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी.)

वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान राज्य में ओ.ओ.एस.सी., 6–14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की जनसंख्या के 0.46 से 0.91 प्रतिशत के मध्य थे। मार्च 2016 को राज्य में

विद्यालय से बाहर बच्चों के डाटा विश्वसनीय नहीं थे।

⁵ विद्यालय से बाहर बच्चों में विद्यालय में अप्रवेशित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

60,124 ओ.ओ.एस.सी. थे। 2010–11 से 2015–16 के दौरान ओ.ओ.एस.सी. में से ड्राप आउट विद्यार्थियों एवं विद्यालय में अप्रेविशित बच्चों का प्रतिशत कमशः 15 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के मध्य तथा 44 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के मध्य था।

इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों के परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, 2010–11 से 2015–16 के दौरान बच्चों की जनसंख्या के संदर्भ में ओ.ओ.एस.सी. का प्रतिशत 0.03 एवं 4.70 प्रतिशत के मध्य था। तीन नमूना जांच किए गए जिलों बुरहानपुर, धार एवं झाबुआ में वर्ष 2015–16 में ओ.ओ.एस.सी. का प्रतिशत राज्य के औसत से अधिक था।

तथापि ओ.ओ.एस.सी. का आंकड़े विश्वसनीय नहीं था क्योंकि 2011–16 के दौरान राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर से बच्चों का ड्रॉप आउट 7.13 लाख से 11.74 लाख के मध्य था। इसके अतिरिक्त, नेशनल सेम्पल सर्वे ऑन एस्टीमेंशन ऑफ ओ.ओ.एस.सी. रिपोर्ट (सितम्बर 2014) ने राज्य में 4.51 लाख ओ.ओ.एस.सी. प्रतिवेदित किए जिसमें 1.04 लाख बच्चे नगरीय क्षेत्रों के एवं 3.47 लाख बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के थे। ओ.ओ.एस.सी. के आंकड़ों में विसंगति से दर्शित होता है कि परिवार सर्वेक्षण ने सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया था। आगे, यह भी देखा गया कि परिवार सर्वेक्षण के लिए आदेशों में किसी विशेष सर्वेक्षण दल के लिए ग्राम या वार्ड के भीतर क्षेत्र का सीमांकन का उल्लेख नहीं था जिससे परिवार के कवरेज में अंतराल हो सकता था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि विभाग ने पात्र बच्चे, जिन्हें आवश्यक रूप से नामांकित किया जाना चाहिए, के बारे में जानने के लिए प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण किया था। वर्ष 2016–17 में, लक्ष्य आयु समूह में सभी बच्चों जिसमें नामांकित बच्चे एवं ओ.ओ.एस.सी. दोनों शामिल थे, के प्रभावी निगरानी हेतु समग्र/व्ही.ई.आर/यू-डाईस को एकीकृत किया गया था। विभाग ने यह भी बताया कि विभाग ने परिवार सर्वेक्षण के सुदृढीकरण के लिए कदम उठाए थे जिसमें ओ.ओ.एस.सी. के प्रत्येक बच्चे का पता लगाना सम्मिलित था। परिणामस्वरूप, ओ.ओ.एस.सी. के नामावार डाटा शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओ.ओ.एस.सी. आंकड़ों में अत्यधिक विसंगतियां दर्शाती हैं कि परिवार सर्वेक्षण में छह से 14 वर्ष के सम्पूर्ण बच्चों की जनसंख्या शामिल नहीं थी। यू-डाईस एवं व्ही.ई.आर. डाटा में विसंगति के कारण नामांकन आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे। आगे, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण अंतर्गत कमजोर वर्ग के बच्चे (Vulnerable categories of children) शामिल नहीं किए जा रहे थे।

3.7.1 पहचान किए गए विद्यालय से बाहर बच्चे (*Out of School Children*) को मुख्यधारा में लाना

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 4 विनिर्दिष्ट करती है जहां छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। एम.पी. आर.टी.ई. नियम का नियम 3 विनिर्दिष्ट करता है कि स्थानीय प्राधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन विद्यालय प्रबंधन समति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम तीन माह एवं अधिकतम दो वर्षों से अधिक नहीं होगी।

2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर ओ.ओ.एस.सी. के प्रशिक्षण की स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाई गई है जो कि **तालिका 3.11** में सारांशीकृत की गई है।

**प्रशिक्षण
कार्यक्रमों के
विलंब से
व्यवस्था के
कारण सभी
पहचान किए
गए विद्यालय से
बाहर बच्चे (ओ.
ओ.एस.सी.) को
मुख्यधारा में
नहीं लाया जा
सका।**

तालिका 3.11: ओ.ओ.एस.सी. की स्थिति, प्रशिक्षण का लक्ष्य एंव मुख्यधारा में लाए गए बच्चे (आंकड़े संख्या में)

वर्ष	विगत वर्षों में पहचान किए गए ओ.ओ.एस.सी.	पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत लक्ष्य	प्रशिक्षण में नामांकन	मुख्य धारा में लाए गए बच्चे
2011–12	70,486	73,379	65,322	55,449	39,409
2012–13	1,26,485	1,21,465	1,21,465	1,83,982	1,01,524
2013–14	74,415	47,682	47,682	42,864	34,199
2014–15	63,587	39,262	39,262	33,484	25,805
2015–16	1,01,234	39,245	39,245	21,573	18,507

(स्रोत: ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. एंव आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

जैसा कि तालिका 3.11 से स्पष्ट है कि ओ.ओ.एस.सी. के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य, पहचान किए गए ओ.ओ.एस.सी. की संख्या से कम थे। पहचान किए गए विद्यालय से बाहर बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.) के विरुद्ध प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य में कमशः 2011–12 में 5,164 बच्चे, 2012–13 में 5,020, 2013–14 में 26,733 एंव 2014–15 में 24,325 तथा 2015–16 में 61,989 बच्चे सम्मिलित नहीं थे। आर.एस.के. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि पलायन वाले परिवारों में बच्चों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 2011–12 एंव 2013–16 के दौरान प्रशिक्षण के लिए नामांकित बच्चों की संख्या लक्षित ओ.ओ.एस.सी. से कम थी। तथापि, 18 प्रतिशत (2015–16) से 80 प्रतिशत (2012–13) ओ.ओ.एस.सी. मुख्यधारा में लाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बच्चों के पहचाने जाने के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम विलंब से आयोजित किए गए थे। सर्वेक्षण में चिह्नित किये गये बच्चों का प्रशिक्षण लगभग नौ माह के बाद पी.ए.बी. द्वारा प्रशिक्षण के लक्ष्य के अनुमोदन के पश्चात लक्षित किये गये थे। तथापि, विभाग के पास ओ.ओ.एस.सी. के पता लगाने के तंत्र की कमी थी। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षण के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम थी।

13 नमूना जांच किए गए जिलों में, 2010–16 के दौरान पहचाने गए 1.15 लाख ओ.ओ.एस.सी. में से 0.36 लाख बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। तथापि, प्रशिक्षण के पश्चात बच्चों के मूल्यांकन एंव विद्यालय जहाँ उन्हें आयु समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था, का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, ओ.ओ.एस.सी. के नामांकन एंव उनके प्रारम्भिक शिक्षा में निरंतरता की स्थिति का डी.पी.सी. द्वारा निगरानी नहीं की गई थी। ओ.ओ.एस.सी. के जिलेवार स्थिति, उनके प्रशिक्षण तथा विद्यालयों में मुख्यधारा में लाने का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2013–15 के दौरान आठ⁶ जिलों एंव 2010–12 के दौरान चार⁷ जिलों में कोई भी बच्चा मुख्यधारा में नहीं लाया गया था।

3.7.2 पलायन वाले परिवारों के विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए छात्रावास

ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2011–12 में पी.ए.बी. ने सेंडिंग एरिया (Sending areas) की व्यवस्थित मेपिंग विकसित करने एंव पलायन बच्चों पर अंतरा-जिला एंव अंतर-जिला जानकारी शेयर करने के लिए तंत्र की स्थापना हेतु सुझाव दिया था। आगे ए.डब्ल्यू.पी.

⁶ बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, झावुआ, इंदौर, रतलाम, और शहडोल।

⁷ बालाघाट, बुरहानपुर, दतिया और धार।

एण्ड बी. 2012–13 में, पी.ए.बी. ने बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन न करें यह सुनिश्चित करने के लिए सीजनलपलायन की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की मेपिंग करवाने एवं इंटेसिव एडवोकेसी प्रोग्राम आयोजित करने हेतु कहा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों में अधिक पलायन वाले क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी। डी.पी.सी. ने बताया कि बच्चों का अपने माता–पिता के साथ पलायन होना विद्यालय की जानकारी में नहीं था एवं उपलब्ध बच्चे प्रशिक्षण में शामिल किए गए थे। मुख्यधारा में कमी आने का कारण बच्चों का अपने माता–पिता के साथ पलायन होना था। डी.पी.सी. ने यह भी बताया कि बच्चों की अनुपस्थिति उनके माता–पिता द्वारा सूचित नहीं की गई थी एवं ओ.ओ.एस.सी. को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे ।

आर.एस.के. ने सूचित किया कि (जुलाई 2016) कि 2014–15 में 95 माइग्रेटरी छात्रावास संचालित थे। 2015–16 में पलायन रोकने के लिए 109 माइग्रेटरी छात्रावास तीन माह के लिए एवं 587 माइग्रेटरी छात्रावास छः माह के लिये संचालित थे। माइग्रेटरी छात्रावास खोलने का उददेश्य पलायन वाले परिवारों से संबंधित बच्चों को प्रवेश देकर उनके प्रतिधारण तथा उपस्थिति में वृद्धि को सुनिश्चित करना था ।

2011–16 के दौरान पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा व्यय का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12: माइग्रेटरी छात्रावास का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष	जिलों की संख्या	लक्षित बच्चों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रुकरोड में)	व्यय (रुकरोड में) (प्रतिशत)
2011–12	9	8557	7.53	0.40 (5)
2012–13	15	6359	3.18	1.34 (42)
2013–14	13	6251	2.00	1.10 (55)
2014–15	13	4689	1.50	0.55 (36)
2015–16	17	11259	5.48	0.50 (9)

(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

छात्रावासों में अस्थाई व्यवस्था होने से पलायन बच्चों के लिए छात्रावास संचालित करने का उददेश्य विफल रहा ।

2011–16 के दौरान माइग्रेटरी छात्रावासों पर व्यय का प्रतिशत पॉच से 55 प्रतिशत के मध्य रहा। माइग्रेटरी छात्रावास में 37,115 बच्चे ठहराने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 16,256 बच्चे (44 प्रतिशत) ही लाभ प्राप्त कर सके थे। पी.ए.बी. ने ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2015–16 में टिप्पणी की थी कि माइग्रेटरी छात्रावास एक अस्थाई व्यवस्था थी जिसमें पलायन से प्रभावित बच्चों को रखने के लिए कोई स्थाई (Fixed) संरचना नहीं थी। इन सुविधाओं के स्थान एवं समय निर्धारित नहीं किए गए थे ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आस पास के विद्यालयों के शिक्षक/जिला प्राधिकारी परिवार के पलायन की संभावित तिथि से अवगत नहीं थे। आगे, माइग्रेटरी छात्रावासों के संचालन की तिथिपलायन परिवारों की जानकारी में नहीं थी। आर.एस.के. से लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात जिला प्राधिकारियों ने व्यवस्था की थी। बच्चा अपने परिवार के साथ पलायन न करे यह सुनिश्चित करने के लिए इंटेसिव एडवोकेसी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप पलायन करने वाले परिवार के बच्चों को विद्यालय में रोकने की व्यवस्था सफल नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे छात्रावास प्रत्येक जिले में प्रारंभ नहीं किए गए थे। इस प्रकार, पलायन करने वाले बच्चों के लिए छात्रावास संचालित करने का उददेश्य विफल रहा ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि माइग्रेटरी छात्रावास जिलों की आवश्यकतानुसार स्थापित किए गए थे एवं प्रत्येक जिले के लिए आवश्यक नहीं थे। ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. में विगत वर्षों के अनुभव एवं जिलों के लिए नई मांग के आधार पर संभावित संख्या एवं क्षेत्र सम्मिलित थे। विभाग ने आगे बताया कि बच्चे अपने परिवार के साथ पलायन न करें यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने इंटैंसिव एडवोकेसी प्रोग्राम संबंधी विषय को टीप किया।

इस प्रकार, माइग्रेटरी छात्रावास की स्थापना की आवश्यकता का विभाग द्वारा उपयुक्तरूप से निर्धारण नहीं किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि विभाग द्वारा नामांकन में कमी का एक कारण बच्चों का अपने परिवार के साथ पलायन होना बताया गया था, राज्य में अत्यधिक पलायनवाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रयास नहीं किए गए थे।

3.8 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 3(2), निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अध्याय 5 के साथ पढ़े जाने पर, विनिर्दिष्ट करती है कि समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को प्रत्येक निःशक्त बच्चे को उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो तथा सामान्य विद्यालयों में निःशक्त विद्यार्थियों के एकीकरण के प्रयास को सुनिश्चित करना चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान के फैमवर्क एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परिवार सर्वेक्षण के द्वारा पहचान की जानी चाहिए एवं जहां तक संभव हो प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन) को आवश्यक सहायक सेवाओं के साथ नियमित विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय अथवा गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षक एवं संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संसाधन सहायता प्रदान की जा सकती थी।

सहायक सेवाएं यथा शारीरिक पहुँच, विशेष उपकरण, पठन सामग्री एवं उपचारात्मक (रेमेडियल) शिक्षण आदि प्रदान किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इन बच्चों को मानक सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए 'निःशक्त व्यक्तियों को सहायता' योजना (ए.डी.आई.पी.) प्रारंभ की थी (अप्रैल 2005)।

विकासखण्ड में नियुक्त मोबाइल रिसोर्स कंसलटेंट (एम.आर.सी.) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) की पहचान करने एवं उनकी प्रोफाइल बनाने, प्रतिधारण की निगरानी करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता को उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे विद्यालयों का भ्रमण करना होता है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नामांकित हो, एक महीने में 12 सी.डब्ल्यू.एस.एन बच्चों को गृह आधारित शिक्षा एवं माता-पिता को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है।

आर.एस.के. एवं नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान, नामांकन एवं शिक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.डब्ल्यू.एस.एन. द्वारा बच्चों की पहचान परिवार सर्वेक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा की गई थी। पी.ए.बी. ने 162वीं (अप्रैल 2011) बैठक में टिप्पणी की थी कि पहचान किए गए सी.डब्ल्यू.एस.एन. कुल जनसंख्या के 0.66 प्रतिशत थे जबकि

सी.डब्ल्यू.एस.एन. कुल जनसंख्या के 1.59 प्रतिशत होता है। नेशनल सेम्पल सर्वे ऑन एस्टीमेशन ऑफ ओ.ओ.एस.सी. रिपोर्ट (सितम्बर 2014) के अनुसार, 2014–15 में मध्य प्रदेश में 2.14 लाख सी.डब्ल्यू.एस.एन. थे जबकि राज्य के सर्वेक्षण में 1.34 लाख सी.डब्ल्यू.एस.एन. प्रतिवेदित किए गए थे। इससे दर्शित हुआ कि लक्षित जनसंख्या को परिवार सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मोबाइल रिसोर्स कंसलटेटों ने भी उनके विद्यालय भ्रमण के दौरान सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान की थी। तथापि 644 एम.आर.सी. के पदों में से राज्य स्तर पर 322 विकासखंडों में 247 पद रिक्त थे। 11 नमूना जांच किए गए जिलों में, एम.आर.सी. के 134 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 78 एम.आर.सी. कार्यरत थे।

2010–11 से 2015–16 की अवधि के दौरान राज्य में पहचान किए गए एवं स्कूल में नामांकित सी.डब्ल्यू.एस.एन. की संख्या **तालिका 3.13** में दी गई है।

तालिका 3.13: राज्य स्तर पर पहचान किए गए एवं विद्यालय में नामांकित सी.डब्ल्यू.एस.एन. (आंकड़े संख्या में)

वर्ष	पहचान किए गए सी.डब्ल्यू.एस.एन.	विद्यालय में नामांकित बच्चे	विद्यालय से बाहर रहे बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)
2010–11	90,931	87,691	3,240
2011–12	1,26,181	1,22,145	4,036
2012–13	98,838	95,051	3,787
2013–14	93,711	91,865	1,846
2014–15	1,33,834	1,31,161	2,673
2015–16	1,40,269	1,38,365	1,904

(स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन, ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. एवं आर.एस.के. के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

- तालिका 3.13 से देखा जा सकता है कि 2010–16 की अवधि के दौरान 0.91 लाख से लेकर 1.40 लाख सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान की गई थी। उनमें से 1,846 से लेकर 4,036 बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं किए गए थे। आर.एस.के. ने बताया (जुलाई 2016) कि इन बच्चों को अत्यधिक निःशक्तता एवं विविध निःशक्तता थी एवं उन्हें एम.आर.सी. द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई थी। तथापि, विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई थी, आर.एस.के. के अभिलेख में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए जिलों में एम.आर.सी. द्वारा बी.आर.सी.सी. को प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन में, उनके द्वारा गृह आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए भ्रमण करना नहीं पाया गया एवं एम.आर.सी. ने अपना अधिकतर समय बी.आर.सी.सी. कार्यालयों में कार्यालयीन कार्य करने में व्यतीत किया।
- विद्यालयों में अध्ययनरत सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था अपर्याप्त थी। जैसा कि आर.एस.के. द्वारा प्रतिवेदित किया था कि विशेष शिक्षकोंके अहंता को शिक्षक भर्ती नियम 2005 में सम्मिलित किया गया था एवं 17,296 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के विरुद्ध सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों के लिए लगभग 50 से 75 संविदाशाला शिक्षकों की भर्ती की गई थी। विद्यमान नियमित शिक्षकों को विद्यालयों में सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाय किया गया था। तथापि, 19,910 शिक्षकों के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

परिवहन एवं अनुरक्षण भत्ता

आर.एस.के. के आदेश (सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2014) के अनुसार ऐसे सी.डब्ल्यू. एस.एन. जो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं हैं एवं उनके घर के आस पास कोई विद्यालय नहीं है, जिनकी निःशक्तता प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है तथा जो छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, को ₹ 250 प्रतिमाह की दर से एक वर्ष के लिए ₹ 2500 परिवहन भत्ता दिया जाना है। इसी प्रकार अनुरक्षण भत्ता ₹ 250 प्रति माह की दर से ऐसे सी.डब्ल्यू.एस.एन. को प्रदान किया जाना है जिन्हें पहले गृह आधारित शिक्षा दी गई थी एवं वर्तमान में उन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया गया हो तथा उन्हें घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर लाने एवं ले जाने हेतु सहायक की आवश्यकता होती है।

11 नमूना जांच किए गए जिलों में, 2010–16 के दौरान 29,020 सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों को परिवहन / अनुरक्षण भत्ता दिया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि जिले में वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों की संख्या की गणना किए बिना परिवहन भत्ता एवं अनुरक्षण भत्ते का भुगतान तदर्थ आधार पर किया गया था। आर.एस.के. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि इन भत्तों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध बजट के आधार पर किया गया था।

सहायक उपकरण एवं विशेष पुस्तकें

दृष्टिहीन एवं
अल्पदृष्टि
वाले
विद्यार्थियों के
लिए ब्रेल
पुस्तकों एवं
लार्ज प्रिंट
पुस्तकों की
पर्याप्त आपूर्ति
सुनिश्चित नहीं
की गई थी।

- सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निःशक्तता प्रतिशत का मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए थे। आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, 2010–16 के दौरान 35 जिलों में 30 से 59 प्रतिशत सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों ने सहायक उपकरण प्राप्त करने हेतु शिविर में उपस्थित हुए। इस प्रकार जिला प्राधिकारी बच्चों / माता-पिता को शिविर में उपस्थित होने हेतु प्रेरित नहीं कर सके। इन शिविरों में लाभार्थी बच्चों की संख्या 32,026 थी जो कि जिलों में कुल सी.डब्ल्यू.एस.एन. की सात से 20 प्रतिशत थी।
- दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेल पुस्तकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। वर्ष 2011–16 के लिए 9,613 ब्रेल पुस्तकों के वितरण के लक्ष्य के विरुद्धवितरित की गई पुस्तकों की संख्या आर.एस.के. के पास उपलब्ध नहीं थी। आर.एस.के. द्वारा ब्रेल प्रेस को 2,157 ब्रेल पुस्तकों के आर्डर जून 2013 में विलंब से देने के कारण, शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिए जिलों को पुस्तकों की आपूर्ति मार्च 2014 तक की गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 में प्रेस द्वारा ब्रेल पुस्तकों के 2,031 सेटों की जुलाई 2014 से नवम्बर 2014 तक विलंब से आपूर्ति की गई थी। 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 4,684 दृष्टिहीन विद्यार्थियों में से 2,351 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी। नमूना जांच किए गए जिलों में, 9 जिलों⁸ के 10,162 अल्प दृष्टि वाले छात्रों में से बालाघाट जिले के 19 छात्रों को वर्ष 2015–16 में लार्ज प्रिंट पुस्तकें प्रदान की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि एम.आर.सी. के रिक्त पदों को भरा जाना विचाराधीन था। विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई थी एवं शिक्षा विभाग के सेटअप अंतर्गत विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्रवाई की जा रही थी। चूंकि सी.डब्ल्यू.एस.एन. की श्रेणी, उनकी कठिनाइयों एवं उनकी शिक्षण प्रक्रिया भिन्न थी इसीलिए अल्पावधि प्रशिक्षित शिक्षक उनके लिए सहायक थे। निधियों की कमी के कारण सभी पात्र सी.डब्ल्यू.एस.एन. को परिवहन एवं

⁸ बालाघाट–2,227, भोपाल–1,455, बुरहानपुर–994, दतिया–400, धार–1,854, इंदौर–722, झाबुआ–436, रतलाम–361 और शहडोल–1,713।

अनुरक्षण भत्ता प्रदान नहीं किया जा सका था। स्वास्थ्य मूल्यांकन शिविर में अधिक से अधिक सी.डब्ल्यू.एस.एन. विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए जानकारी के प्रसार की कार्रवाई की जाएगी।


3.9 आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा

86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करता है कि राज्य, सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते हैं आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने एवं सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते हैं आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरटी.ई. अधिनियम की धारा 11 विनिर्दिष्ट करती है कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों को निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि शासकीय विद्यालयों में विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि विद्यालय पूर्व संबंधी सभी गतिविधियां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई थी। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष की आयु समूह के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में विद्यालय पूर्व शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2010–12 के दौरान ₹ 10.05 करोड़ की वित्तीय सहायता सर्व शिक्षा अभियान से एकीकृत बाल विकास सेवाओं को की गई थी। 2012–13 में, आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा किटों के लिए सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ₹ 1.67 करोड़ अनुमोदित किए गए थे किंतु सम्पूर्ण राशि आर.एस.के. को लौटा दी गई थी। तथापि 2013–16 की अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान में कोई प्रावधान नहीं थे।

मार्च 2016 तक, राज्य में 92,210 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी संचालित थे। 2010–11 से 2015–16 के दौरान आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या को चार्ट 3.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.10: आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के नामांकन की स्थिति



(स्रोत: आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि आरभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम (ई.सी.सी.ई.) के लिए दिशानिर्देश एंव अनुदेश तैयार करने के लिए एक निर्णयन प्राधिकारी आरभिक बाल्यकाल देखभाल एंव शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) परिषद का गठन किया गया था। ई.सी.सी.ई. के लिए राज्य पाठ्यक्रम तैयार कर दिया गया था एंव ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 453 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में समन्वयक नियुक्त कर दिए गए थे।

यू-डाईस 2015–16 के अनुसार, 15,565 निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अनुभाग थे जिनमें 9.64 लाख बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु नामांकित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने या निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अनुभाग आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। आयुक्त, आई.सी.डी.एस. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रणाली, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत थी एंव इसे महिला एंव बाल विकास को अंतरित करने की कार्रवाई प्रगति पर थी। इस प्रकार, निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए मानक सुनिश्चित नहीं किए गए थे एंव ये अविनियमित रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि निजी क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए तंत्र के अभाव पर उत्तर मौन था।

3.10 अनुशंसाएँ

- आर.टी.ई. अधिनियम/एम.पी. आर.टी.ई. नियम में स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों की विभिन्न स्तर की भूमिकाओं एंव उत्तरदायित्वों का वर्णन करने वाली अधिसूचना प्रक्रिया में थी।

- विभाग को समग्र आई.डी. जोकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बालकों को यूनिक आई.डी. के रूप में उसके नामांकन, उपस्थिति एंव सीखने के स्तर की उपलब्धि एंव दोहरे नामांकन एंव नामांकन में दोहरापन को रोकने के लिए आवंटित की जाती है, के साथ आधार सीडिंग सुनिश्चित करना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि यह शिक्षा पोर्टल द्वारा किया जा रहा था।

- छह से छौदह वर्ष के आयु समूह में सभी लक्षित बाल जनसंख्या के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों (Most vulnerable categories of children) की पहचान के लिए सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों को यूनिक आई.डी. प्रदान करने के लिए उसी दिनांक को सभी जिलों में कमजोर वंचित बच्चों (Vulnerable disadvantaged children) का साथ-साथ पता लगाकर यह किया जा सकता है ताकि पलायन पर उनकी पहचान की जा सके।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि सी.डब्ल्यू.एस.एन. परिवार सर्वेक्षण में शामिल किए जा रहे थे एंव प्रविष्टियां शिक्षा पोर्टल में की गई थीं।

- तीन वर्ष से अधिक बच्चों को आरभिक बाल्यकाल देखभाल एंव शिक्षा के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व एक विभाग को स्पष्ट रूप से

निर्धारित (डिमार्केटेड) करना चाहिए। यदि यह आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाना है तब विद्यालय पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता के निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए एंव विद्यालय पूर्व शिक्षा से औपचारिक विद्यालय शिक्षा में ट्रांजिशन सुनिश्चित करना चाहिए ।

- विभाग को सत्र के अंतिम कार्य दिवस तक कक्षा में बच्चों की निरन्तरता एवं उपस्थिति की निगरानी के लिए जिलास्तर पर प्रतिधारण के अभिलेखों के संधारण एवं बच्चों की उपस्थिति की रिपोर्टिंग के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि यह शिक्षा पोर्टल द्वारा किया जा रहा था ।

- आस पास के क्षेत्र/सीमा, जिनमें बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।
- विभाग को सीजनल पलायन की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की मैपिंग करवानी चाहिए एवं इन क्षेत्रों में माइग्रेटरी छात्रावास सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पलायन करने वाले बालकों को वर्ष भर आवासी सुविधा प्रदान करने एवं संभावित ड्रापआउट को रोकने के लिए इंटेंसिव एडवोकेसी प्रोग्राम आयोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।


विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि मैपिंग की जा रही थी एवं एडवोकेसी प्रोग्राम की अनुशंसा को टीप कर लिया गया था ।

- विद्यालय से बाहर के बच्चों (ओ.ओ.एस.सी.) की पहचान के तत्काल बाद इनके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं विद्यालयों में इन बच्चों को अविलंब मुख्यधारा में लाने की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि इस संदर्भ में कार्रवाई की जा रही थी ।

- विभाग को रिक्त पदों के विरुद्ध अर्हता प्राप्त मोबाइल रिसोर्स कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सी.डब्ल्यू.एस.एन. को गृह आधारित शिक्षा एवं सी.डब्ल्यू.एस.एन. को समय से आवश्यक सुविधाएं यथा सहायक उपकरण, ब्रेल पुस्तकें तथा परिवहन /अनुरक्षण भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि वार्षिक कार्य योजना 2016–17 के अनुसार एम.आर.सी. के पदों को भरना प्रक्रियाधीन था ।



अध्याय IV

शिक्षक

अध्याय IV

शिक्षक

स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) बनाये रखना, शिक्षक की भर्ती के लिये व्यावसायिक अर्हता के लिये मान और मानक, उनके प्रशिक्षण और शिक्षकों को शैक्षिक प्रयोजनों के अलावा अन्य में परिनियोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान आर.टी.ई. अधिनियम एवं एम.पी.आर.टी.ई. नियम में किया गया है।

आर.टी.ई. अधिनियम के तहत एक विद्यालय के लिए मान और मानकों के अनुसार, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 तक प्रवेश दिये गये बालकों की संख्या हेतु दो शिक्षक, 61 से 90 के मध्य बालकों हेतु तीन शिक्षक, 91 से 120 के मध्य बालकों हेतु चार शिक्षक, 150 बालकों से अधिक हेतु पांच शिक्षक एवं एक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। इस प्रकार एक प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों तक छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय में, 200 बालकों से अधिक पर, छात्र शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए ताकि छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 के साथ (i) विज्ञान और गणित (ii) सामाजिक विज्ञान, और (iii) भाषा, प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जहां प्रवेशित बालकों की संख्या 100 से अधिक हो, में एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक भी नियुक्त किया जाना होता है। उक्त मानकों ने स्पष्ट रूप से एकल शिक्षक विद्यालयों को निषेध किया है।

4.1 शिक्षकों की उपलब्धता

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 25 में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्ष के भीतर, अर्थात् मार्च 2013 तक, विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करेंगे। विभाग ने विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश (जून 2010) जारी किए थे। आगे, एम.पी.आर.टी.ई. नियम का नियम 17 (2) निर्धारित करता है कि राज्य शिक्षा केन्द्र प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र के पूर्व शिक्षकों की स्थिति पुनर्विलोकन करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति नियमित शिक्षकों, संविदा शिक्षकों, (प्राथमिक विद्यालयों हेतु संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्ग 2) और अतिथि शिक्षकों से की गई थी। राज्य स्तर पर एवं नमूना जांच किये गये जिलों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2016 की स्थिति में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत स्थिति तालिका 4.1 में दी गई है।

तालिका 4.1 : मार्च 2016 की स्थिति में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत की स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

विवरण	स्वीकृत पद		कार्यरत शिक्षकों की स्थिति		रिक्त पद	
	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक	उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक
राज्य स्तर	2,43,342	1,19,757	2,05,409	93,839	37,933	25,918
नमूना जांच किए गये 12 जिले, इंदौर* को छोड़कर	62,010	32,226	46,942	22,203	15,068	10,023

(स्रोत : राज्य के ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. 2016–17 और जिलों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

*डी.ई.ओ., इंदौर द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की गई

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मान के अनुसार राज्य सरकार, शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

जैसा की तालिका 4.1 में विस्तृत है, राज्य के ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. के अनुसार, मार्च 2016 की स्थिति में शिक्षक / प्रधान अध्यापकों के 63,851 रिक्त पद थे, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 16 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 22 प्रतिशत रिक्त पद शामिल थे। 2015–16 के यू–डाईस आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2.85 लाख शिक्षक थे, जिसके फलस्वरूप, इन विद्यालयों में शिक्षकों के 77,611 पद रिक्त थे।

नमूना जांच किये गये जिलों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों स्तर पर क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 31 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त थे। इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के तहत दायित्व के बावजूद, राज्य सरकार, शासकीय विद्यालयों हेतु अपेक्षित शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित नहीं कर सकी। आगे, आर.एस.के. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी (जून 2016) के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- आर.टी.ई. मान के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 2.20 लाख शिक्षकों की आवश्यकता के विरुद्ध 1.96 लाख शिक्षक पदस्थ थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि तीन जिले भोपाल, इंदौर और शाजापुर में 381 शिक्षक अधिक थे, जबकि शेष 48 जिलों में 24,468 शिक्षकों की कमी थी। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक विद्यालयों में 3,284 प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता के विरुद्ध 4,124 प्रधान अध्यापक पदस्थ थे। जबकि, 29 जिलों में 1,445 प्रधान अध्यापक अधिक थे एवं 21 जिलों में 605 प्रधान अध्यापक कम थे।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 1.19 लाख शिक्षकों की आवश्यकता के विरुद्ध 70,875 शिक्षक उपलब्ध थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. मान के अनुसार न्यूनतम तीन शिक्षकों की आवश्यकता के विरुद्ध 2015–16 के दौरान 7,937 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में केवल दो शिक्षक पदस्थ थे। वर्ष 2011–12 की तुलना में ऐसे दो शिक्षकों वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 388 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वृद्धि हुई थी। आगे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 12,453 प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता के विरुद्ध 9,155 प्रधान अध्यापक पदस्थ थे। जबकि, छह जिलों में 204 प्रधान अध्यापक आर.टी.ई. मान से अधिक पदस्थ थे।

नमूना जांच किए गए जिलों एवं विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषय विशिष्ट शिक्षकों की कमी परिलक्षित हुई। 26,715 विषय विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता के विरुद्ध 16,692 शिक्षक उपलब्ध थे। नमूना जांच किए गए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 39 विद्यालयों में विज्ञान और गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे और 15 विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। आगे,

नमूना जांच किये गये जिलों में जिला शहडोल एवं सिंगरौली को छोड़कर 65 प्राथमिक विद्यालयों में 136 शिक्षक एवं 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27 शिक्षक पदस्थ थे, जहाँ कोई नामांकन नहीं था।

इस प्रकार, कई जिलों/विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना के साथ—साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त थे। हालांकि, युक्ति—युक्तकरण के लिए निर्देश जारी किए गए थे किंतु शिक्षकों की पदस्थापना हेतु अपनाया गया तंत्र उद्देश्यपरक नहीं था।

शिक्षकों के रिक्त पद के संदर्भ में डी.पी.आई ने बताया (अगस्त 2016) कि 25,356 संविदा शाला शिक्षक वर्ग—2 एवं –3 के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन हैं।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि 19,200 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं 6,500 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी थी। विभाग ने आगे बताया कि युक्ति—युक्तकरण के लिए मौजूदा तंत्र पारदर्शी और उद्देश्यपरक था जिसमें भेदभाव हेतु कोई गुंजाइश नहीं थी और शिक्षकों के युक्ति—युक्तकरण हेतु प्रत्येक वर्ष अनुदेश जारी किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, राज्य सरकार को मार्च 2013 तक आर.टी.ई. मान के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में अधिक शिक्षकों का पदस्थ होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिक्षकों की आवश्यकता को उपयुक्त रूप से पुनर्विलोकन नहीं किया गया और शिक्षकों के युक्ति—युक्तकरण हेतु जारी निर्देशों का जिला/संभाग स्तरीय अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह आर.एस.के. द्वारा शिक्षकों की पदस्थापना में निगरानी की कमी को दर्शाता है।

4.1.1 छात्र—शिक्षक अनुपात

आर.टी.ई. अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र—शिक्षक अनुपात क्रमशः 30:1 एवं 35:1 निर्धारित किया गया है। 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार के विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में छात्र—शिक्षक अनुपात तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2— राज्य सरकार के विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात
(आंकड़े संख्या में)

मार्च 2016 को
राज्य में
18,940
प्राथमिक
विद्यालयों एवं
13,763 उच्च
प्राथमिक
विद्यालयों में
प्रतिकूल छात्र
शिक्षक अनुपात
देखा गया।

विद्यालय प्रबंधन	विद्यालयों की संख्या	नामांकन	शिक्षकों की संख्या	शिक्षक प्रति विद्यालय	पी.टी.आर.
राज्य सरकार के विद्यालय	1,14,255	78,95,815	2,85,480	3:1	28:1
निजी विद्यालय	26,446	46,86,979	1,96,800	7:1	24:1

(स्रोत: यू—डाइस)

जैसा कि तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि छात्र—शिक्षक अनुपात शासकीय विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों में बेहतर था। आगे, शासकीय विद्यालयों में तीन शिक्षकों के विरुद्ध निजी विद्यालयों में प्रति विद्यालय सात शिक्षक थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2010–16 के दौरान राज्य में प्राथमिक स्तर के 18,940 से 48,132 शासकीय विद्यालयों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के 13,763 से 15,107 विद्यालयों में प्रतिकूल छात्र—शिक्षक अनुपात था। इस प्रकार, आर.टी.ई. अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र—शिक्षक अनुपात मान जो मार्च 2013 तक हासिल किए जाने थे, 2015–16 तक भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जैसा तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: राज्य में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात वाले शासकीय विद्यालयों की संख्या (आंकड़े संख्या में)

वर्ष	प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात वाले प्राथमिक विद्यालय		प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2012–13	38,759	47	15,107	52
2015–16	18,940	23	13,763	45

(स्रोत: यू-डाइस)

जैसा की तालिका 4.3 में वर्णन किया गया है प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-शिक्षक अनुपात में 2012–13 एवं 2015–16 के मध्य, सुधार हुआ और प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात वाले प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कमी आई। तथापि, राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात वाले विद्यालय थे। नमूना जांच किये गये 12 जिलों के 4,075 प्राथमिक विद्यालयों एवं 2,495 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, नमूना जांच किए गए 191 प्राथमिक विद्यालयों में से 57 प्राथमिक विद्यालयों और नमूना जांच किए गए 199 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 67 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात पाया गया। 2015–16 के दौरान, नमूना जांच किये गये जिलों एवं विद्यालयों में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां छात्र शिक्षक अनुपात नहीं बनाए रखा गया था को **परिशिष्ट 4.1 और 4.2** में दर्शाया गया है।

18,213
विद्यालयों में
एक शिक्षक
था, जो कि
आर.टी.ई.
अधिनियम के
अंतर्गत
निर्धारित मान
का उल्लंघन
था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में विषय विशिष्ट शिक्षक नहीं थे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसत विषय विशिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात भाषा में 331:1, गणित में 128:1 और सामाजिक विज्ञान में 172:1 था।

आगे, आर.टी.ई. के मान के अनुसार कोई एकल शिक्षक विद्यालय नहीं होना चाहिए। तथापि, मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में 18,213 एकल शिक्षक शासकीय विद्यालय संचालित थे। 2010–16 के दौरान, 17,938 से 20,245 एकल शिक्षक शासकीय विद्यालय थे। 2010–12 में एकल शिक्षक विद्यालय 17 प्रतिशत, 2012–13 में 18 प्रतिशत और 2014–16 में 16 प्रतिशत थे। इस प्रकार, वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या में मात्र एक प्रतिशत की कमी हुई थी। नमूना जांच किये गये नौ जिलों में, 3,110 विद्यालयों में एक शिक्षक और नमूना जांच किये गये 38 विद्यालयों में, एक शिक्षक पदस्थ था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन प्रयास कर रही है।

4.2 अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति

आर.टी.ई. मान के अंतर्गत, 100 से अधिक बालकों वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (i) कला शिक्षा, (ii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, एवं (ii) कार्य शिक्षा हेतु अंशकालिक शिक्षक होने चाहिये। स्कूल शिक्षा विभाग ने आर.टी.ई. अधिनियम के तहत आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु डी.ई.ओ. को आदेश जारी किया था (अक्टूबर 2014)। आदेशानुसार, हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों, प्रशिक्षित योग शिक्षकों/संगीत/कला शिक्षकों को, 100 से ज्यादा नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक सप्ताह में कम से कम एक दिवस हेतु संलग्न किया जाना था।

विभाग ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के मान का पालन नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये जिलों में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, शासकीय विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य को कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा, प्रत्येक हेतु 13,022 अंशकालिक शिक्षकों के पदों की स्वीकृति की आवश्यकता थी। इनमें से 26,044 पदों की स्वीकृति की जायुकी थी और अंशकालिक शिक्षकों की पूर्ति हेतु तत्काल व्यवस्था की जाएगी।

तथ्य यह है कि विभाग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत मानकों का पालन करने में विफल रहा था।

4.3 शिक्षकों की अर्हता

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 23 (1) यह विनिर्दिष्ट करती है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 23 (2) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (दिसम्बर 2011) के द्वारा राज्य को मार्च 2013 तक न्यूनतम योग्यता में शिथिलता की अनुमति प्रदान की गई थी। एक शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में, न्यूनतम अर्हताएं नहीं थी, को पांच वर्ष की अवधि के अंदर ऐसी अर्हताएं अर्जित करने की आवश्यकता थी।

ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2012–13 में राज्य ने पी.ए.बी. को सूचित किया था कि शासकीय विद्यालयों में 28,000 अप्रशिक्षित शिक्षक थे और इन शिक्षकों के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इन्नू) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.एल.ई.डी.) हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) से विशेष अनुमति प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, आर.एस.के. ने बताया (अगस्त 2016) कि 2012–13 से 1,311 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था और 1,455 शिक्षक अप्रशिक्षित थे। इस प्रकार, शेष 25,234 शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

35 जिलों के संबंध में आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि 1,188 शिक्षक निम्नलिखित कारणों से अप्रशिक्षित रहे (i) 398 शिक्षकों के उच्चतर माध्यमिक स्तर में 50 प्रतिशत से कम अंक थे, (ii) 323 शिक्षक डी.ई.एल.ई.डी. परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, (iii) 109 शिक्षक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे और (iv) 358 शिक्षक अन्य कारणों से अप्रशिक्षित थे यथा चिकित्सा आधार, अपंगता और अधिक आयु सीमा। शेष 16 जिलों के आंकड़े आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

एन.सी.टी.ई. द्वारा प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं का पालन किया जाना था। स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2015 तक शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधीश / डी.ई.ओ. को आदेश जारी किया (अगस्त 2013) था। नमूना जांच किए गए 390 विद्यालयों में, 1,599 शिक्षकों में से चार विद्यालयों के चार शिक्षकों के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं थी और 67 विद्यालयों में 174 शिक्षकों के पास व्यावसायिक अर्हता नहीं थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य में निजी क्षेत्र के विद्यालयों के 2.49 लाख शिक्षकों में से 1.26 लाख शिक्षक (51 प्रतिशत) अप्रशिक्षित थे। नमूना जांच किए

गए जिलों में, डी.ई.ओ. के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि सात¹ जिलों में निजी विद्यालयों के 18,715 शिक्षकों के पास निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताएं नहीं थी। आगे, डी.ई.ओ. दतिया ने वर्ष 2015–16 में, 13 निजी विद्यालयों जिनमें अप्रशिक्षित शिक्षक थे, की मान्यता का नवीनीकरण किया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्ष 2015–16 में 1,455 अप्रशिक्षित शिक्षक थे। विभाग ने आगे बताया कि, 2011–15 के दौरान 8,840 शिक्षकों को राज्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में प्रशिक्षित किया गया था, 1,311 शिक्षक इन्हूं के द्वारा प्रशिक्षित हुए थे और 22,800 शिक्षक पत्राचार द्वारा प्रशिक्षित हुए थे। निर्धारित अर्हता न रखने वाले शिक्षकों को अवसर प्रदाय करने हेतु राज्य ने एम.ओ.एच.आर.डी. को शिथिलता प्रदाय करने हेतु अनुरोध किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2011–15 के दौरान प्रतिवेदित प्रशिक्षित किए गए शिक्षकों की संख्या 32,951 थी जो कि मार्च 2012 को शासकीय विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों (28,000) की संख्या से अधिक थी। इस प्रकार, शिक्षकों के प्रशिक्षण के आंकड़े सही नहीं थे। आगे, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्षों की समाप्ति के बाद भी विभाग द्वारा शिक्षकों की अर्हता हेतु निर्धारित मान एवं मानकों को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

4.3.1 निजी विद्यालयों में शिक्षकों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा

निजी विद्यालयों के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हेतु कोई परीक्षा नहीं थी जबकि यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य थी।

एन.सी.टी.ई. अधिसूचना (अगस्त 2010) के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे निजी विद्यालयों के सहित किसी भी विद्यालय में एक व्यक्ति को अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिये आवश्यक अर्हताओं में से एक यह थी कि वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण होना चाहिये। आर.एस.के. द्वारा जारी निर्देशों (मई 2012) के अनुसार शासकीय तथा निजी दोनों ही विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टीईटी राज्य में आयोजित नहीं की गई थी। जबकि, मध्य प्रदेश, पंचायत संविदा शाला शिक्षक (रोजगार एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के नियम 6(2) के प्रावधान के अनुसार राज्य में 2011–12 में संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति के उद्देश्य से संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला कोई भी उम्मीदवार शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पंचायत को आवेदन कर सकता है। संविदा शाला शिक्षक के चयन के लिए, मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु इस पात्रता परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ शैक्षणिक अनुभव और व्यावसायिक अहर्ता हेतु दिए गए अंकों पर विचार किया जाना था। डी.पी.आई. द्वारा प्रदाय (अक्टूबर 2016) की गई जानकारी के अनुसार संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर वर्ष 2013–14 में 40,458 संविदा शाला शिक्षक ग्रेड–2 और ग्रेड–3 की नियुक्ति की गई थी।

आयुक्त आर.एस.के. और डी.पी.आई. ने निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टी.ई.टी. या ऐसी कोई पात्रता परीक्षा आयोजित करने के बारे में जानकारी नहीं दी। आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदाय जानकारी के अनुसार, राज्य में 36,507 निजी विद्यालयों में 2.49 लाख शिक्षक कार्यरत थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य ने एन.सी.टी.ई. के दिशानिर्देशानुसार टी.ई.टी. आयोजित की थी। निजी विद्यालयों को सूचित किया गया

¹ भोपाल (6,904), बुरहानपुर (997), बालाघाट (2,153), दतिया (2,731), धार (3,505), झाबुआ (936) एवं रतलाम (1,489)।

था कि शिक्षकों की भर्ती उन्हीं अभ्यर्थियों में से होगी जिन्होंने टी.ई.टी. उत्तीर्ण किया था। निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टी.ई.टी. आयोजित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य में टी.ई.टी. आयोजित नहीं हुई थी। शासकीय विद्यालयों में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति हेतु संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा अयोजित की गई थी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता के लिये कोई ऐसी पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी यद्यपि शासकीय एवं निजी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु टी.ई.टी. एक अनिवार्य अर्हता थी।

4.4 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति

आर.टी.ई. की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की कमी होने पर, नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने पर जहाँ शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं थी और जब नियमित शिक्षक अवकाश पर थे एवं सात दिवस से अधिक के लिए अनुपस्थित थे, के मामलों में विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी थी। वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के संबंध में किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पात्र नहीं थे। अतिथि-शिक्षकों को प्रतिदिन प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 100 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 150 का भुगतान किया जाना था।

अतिथि-शिक्षकों की नियुक्ति को किसी पद के विरुद्ध पदस्थापना के रूप में नहीं माना जाना था और यह शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक और तात्कालिक व्यवस्था थी। उन्हें कोई अनुभव प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाना था और उनके कार्यानुभव को किसी भी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में विचार नहीं किया जाना था। अतिथि-शिक्षकों का चयन एक विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए वैध था।

राज्य में, वर्ष 2015–16 में स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 75,698 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे और 7,934 अतिथि शिक्षक आदिवासी कल्याण विभाग के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए थे। कैरियर के उन्नयित के विस्तार के बिना निम्न सेवाशर्तों के कारण अतिथि शिक्षकों में निम्न अभिप्रेरण की वजह से, इस प्रकार की व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता थी।


निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अतिथि-शिक्षकों के चयन हेतु अर्हता, अन्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता जैसी ही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अतिथि शिक्षक टी.ई.टी. अर्हता प्राप्त शिक्षक नहीं थे। इसके अलावा नौकरी की सुरक्षा और सेवाकालीन प्रशिक्षण के अभाव में, अतिथि शिक्षकों से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

4.5 शिक्षकों का प्रारंभिक/सेवाकालीन प्रशिक्षण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2011–14 और 2015–16 के दौरान शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं नव नियुक्त शिक्षकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई थी (**परिशिष्ट-4.3**)। 2013–14 में नियुक्त किये गये 40,458 संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2 और 3 में से मात्र 20,746 को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था। 2011–16 के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी का प्रतिशत चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1 शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी



(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2013–14 के दौरान आर.एस.के. द्वारा शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु तीन वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना विकसित की गई थी। कक्षा III, IV और V के शिक्षकों को क्रमशः 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाना था। जबकि, गणित और अंग्रेजी में कक्षा III के लिए केवल 2014–15 में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 2015–16 में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि एस.एस.ए. के इस संघटक के अंतर्गत बजट आवंटन की कमी के कारण सेवाकालीन प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका था।

4.6 शिक्षक का उत्तरदायित्व

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 24(1) विनिर्दिष्ट करता है कि शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना चाहिए, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, देना चाहिये। यह अधिनियम आगे शिक्षकों के लिये प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे जिसके अन्तर्गत तैयारी की घंटे भी सम्मिलित हैं विनिर्दिष्ट करता है। एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या पहली से पांचवीं कक्षा के लिये 200 कार्य दिवस एवं छठी से आठवीं कक्षा के लिये 220 कार्य दिवस होना चाहिये। इसी प्रकार कक्षा एक से पांच के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे और कक्षा छह से आठ के लिए 1,000 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं।

नमूना जांच किये गए जिलों एवं विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- नमूना जांच किए गए आठ² जिलों में 11 से 46 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों और नमूना जांच किए गए आठ³ जिलों में 10 से 68 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने क्रमशः 200 कार्य दिवस और 220 कार्य दिवसों के आर.टी.ई. मान का पालन नहीं किया।
- 390 विद्यालयों में से 356 विद्यालयों में 3 घंटों से 18 घंटे के मध्य प्रति सप्ताह कार्य घंटों की कमी थी। 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11 घंटों से 168 घंटों के मध्य शैक्षणिक घंटे में कमी थी।

² बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दतिया, धार, झाबुआ और शहडोल

³ बालाघाट, भोपाल, छिंदवाडा, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ और शहडोल

- लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2015–16 के दौरान कक्षा I से VIII तक के 5.21 लाख बालकों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित किया गया था, जो कि 5,190 शासकीय विद्यालय भवनों में पाली (शिफ्ट) में संचालित थे। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, हमने देखा कि दो जिलों⁴ में तीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भवन में संचालित थे, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय (माध्यमिक विद्यालय, जमूनियाकला) हाईस्कूल भवन में संचालित था और एक प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय क्रमांक–2, बेटमा, देपालपुर, इंदौर) माध्यमिक विद्यालय भवन में संचालित था। इनमें से, एन.एम.एस.गेलारबाड़ी झाबुआ के शिक्षण घंटे कम पाए गए।
 - 2010–16 के दौरान, राज्य स्तर पर 3,946 से 4,720 विद्यालयों में एकल क्लासरूम थे एवं 17,938 से 20,245 विद्यालयों में एक शिक्षक था। इससे विद्यालयों में बहु श्रेणी कक्षाओं (मल्टीग्रेड क्लासेस) की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए 10 विद्यालयों में शिक्षकों और कक्षाओं की अनुपलब्धता या जहां विद्यालयों का युक्ति–युक्तकरण के कारण उन्नयन किया गया था, के कारण बहु श्रेणी कक्षाएं चल रही थी। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण घंटे, और कार्य घंटे बनाये रखने के आर.टी.ई. के आदेश को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
 - आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, शिक्षकों को माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करनी थी और बालकों के बारे में उपस्थिति में नियमितता, सिखने की क्षमता एवं लर्निंग में की गई प्रगति के बारे में उन्हें अवगत कराना था। जबकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि विद्यालय या विभाग द्वारा माता–पिता शिक्षक बैठक हेतु कोई समयावधि तय नहीं की गई थी। 241 (62 प्रतिशत) चयनित विद्यालयों में 2010–16 में, माता–पिता शिक्षक बैठक आयोजित नहीं हुई थी।
 - आर.टी.ई. अधिनियम के तहत शिक्षकों की जिम्मेदारियों के अनुपालन के लिए शिक्षकों से अण्डरटेकिंग लेने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किए थे (मार्च 2010 और फरवरी 2014)। जबकि, अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शिक्षकों से अपेक्षित अण्डरटेकिंग प्राप्त नहीं की गई थी।
- निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.7 शिक्षकों का अन्य कार्यों में परिनियोजन

आर.टी.ई अधिनियम की धारा 27 यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत, कार्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार (दिसंबर 2007), निर्वाचन नामावली सुधार से संबंधित अन्य कर्तव्यों में शिक्षकों का परिनियोजन छुट्टी के दिन, अशैक्षणिक दिवस और अशैक्षणिक समय के दौरान किया जायेगा।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर) ने भी मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा (मार्च 2013) कि शिक्षक, चुनाव से संबंधित कार्यों या बूथ स्तरीय अधिकारी (बी.एल.ओ.) संबंधित कर्तव्यों के बहाने का उपयोग कर, कार्य दिवस में स्कूल अवधि के दौरान बाहर न रहें। स्कूल शिक्षा विभाग

⁴ झाबुआ (एन.एम.एस. गेलारबाड़ी, एम.एस. गुढ़ा छोटा) और रत्लाम (नवीन एम.एस. जमदामिलान)।

ने जिलाधिकारियों को अनुदेश जारी किए (मार्च 2013) कि बी.एल.ओ के कार्य अन्य सरकारी कर्मचारियों को सौंपे जाए और शिक्षकों को बी.एल.ओ के कार्यों से मुक्त रखा जाए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें छुट्टी के दिन और अशैक्षणिक दिवस और उन बसाहटों में जहाँ वे विद्यालय में पदस्थ हैं, में तैनात किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जांच किये गए जिलों के डी.ई.ओ./डी.पी.सी., जिनका शिक्षकों पर प्रशासनिक नियंत्रण था, के पास 2010–16 के दौरान बी.एल.ओ. के रूप में तैनात शिक्षकों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा जिला समाहरणालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2010–16 के दौरान 10 जिलों में 3,469 शिक्षक बी.एल.ओ. के रूप में परिनियोजित किए गए थे। नमूना जांच किए गए 58 विद्यालयों में, 2010–16 के दौरान, 91 शिक्षक बी.एल.ओ. के रूप में परिनियोजित किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षक की नियुक्ति के लिए जारी किए गए आदेशों में इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि वे स्कूल समय के दौरान या उसके बाद के लिए नियुक्त किए गए थे। आगे, नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, बी.एल.ओ. ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने उपस्थिति रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज न करते हुए, बी.एल.ओ. ड्यूटी दर्ज की (प्राथमिक विद्यालय 29वी बटालियन, दतिया और पुरुषार्थी हिंदी माध्यमिक विद्यालय, बुरहानपुर)।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला चुनाव तंत्र द्वारा चुनाव से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बी.एल.ओ. के रूप में परिनियोजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग / जिलाधीशों ने शैक्षणिक समय के बाद बी.एल.ओ. के रूप में शिक्षकों का परिनियोजन सुनिश्चित नहीं किया, जैसा कि एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा निर्देशित किया गया था जिससे बालकों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ।

4.8 अनुशंसाएँ

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए अनुदेश प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात और एकल शिक्षक विद्यालय नहीं है।

- आर.टी.ई. अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त करने और कार्य शिक्षा, कला शिक्षा और स्वारस्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम लागू करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि अंशकालिक शिक्षकों के पदों की पूर्ति की व्यवस्था शीघ्र ही कर ली जावेगी।

- बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाने चाहिये और अतिथि शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि 19,200 प्राथमिक विद्यालय और 6,500 उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी।

- अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए और नए और अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु और सेवाकालीन शिक्षकों के कौशल को सुदृढ़ करने के लिए लगातार पहल की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि शिक्षकों की भर्ती के लिए निकट भविष्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नव नियुक्त शिक्षकों के लिये प्रारंभिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। राज्य ने 1,111 शिक्षकों को छोड़कर अप्रशिक्षित शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया था।

- आवश्यक न्यूनतम कार्य दिवस, शिक्षण घंटे और प्रति सप्ताह कार्य घंटे का सख्ती से पालन होना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जिलों को जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर में न्यूनतम निर्धारित दिवसों का उल्लेख है। निर्धारित कार्य दिवसों का पालन करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

- माता—पिता शिक्षक बैठक, आयोजित करने की समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए और नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि माता—पिता शिक्षक बैठक की समयावधि निर्दिष्ट करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

अध्याय V

राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

अध्याय V

राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा की गुणवत्ता बहुत से कारकों जैसे शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षण तकनीक और सहायता (aids), पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, सीखने के लिए वातावरण इत्यादि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में मार्च 2016 की स्थिति में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 1.14 लाख शासकीय विद्यालय थे। विद्यालय में सीखना उच्च गुणवत्ता का हो सकता है यदि समुचित अधोसंरचना द्वारा संरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए और प्रगति नियमित रूप से मूल्यांकित की जाए। आगे, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय में छात्रों का प्रतिधारण और उनकी नियमित सहभागिता भी सुनिश्चित करती है।

5.1 विद्यालयों में अधोसंरचना

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत मान एवं मानकों के अनुसार विद्यालय के लिए सभी मौसम वाले भवन जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और एक कार्यालय सह-भंडार सह-प्रधान अध्यापक कक्ष सुनिश्चित किया जाना था। विद्यालय की अन्य अधोसंरचनात्मक आवश्यकताएं लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बच्चों के लिए स्वच्छ पेय जल सुविधा, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाना है, वहां एक रसोईघर, पुस्तकालय, खेल का मैदान और बाउण्ड्रीवाल एवं फेन्सिंग द्वारा विद्यालय की सुरक्षा करने के लिये व्यवस्थाएं हैं।

आर.टी.ई अधिनियम की धारा 19(2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अधिनियम में विनिर्दिष्ट मान एवं मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् मार्च 2013 तक ऐसे मान एवं मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि मार्च 2013 तक, राज्य के शासकीय विद्यालयों में अपेक्षित आवश्यकताएं सुनिश्चित नहीं की गई थीं। 2012–13 और 2015–16 के मध्य, शासकीय विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं बेहतर हुई थीं। तथापि, अब भी अधिक संख्या में विद्यालय, आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत मान एवं मानकों के अनुसार निर्धारित अधोसंरचना के बिना थे, जैसा कि तालिका 5.1 में दर्शित है:—

तालिका : 5.1 राज्य में निर्धारित अधोसंरचना के बिना शासकीय विद्यालय

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	राज्य में विद्यालयों की कुल संख्या	आवश्यक सुविधाओं के बिना विद्यालयों की संख्या (प्रतिशत)							
		प्रधानाध्यापक के लिए कक्ष	लड़कों के लिए पृथक शौचालय	लड़कियों के लिए पृथक शौचालय	दोपहर के भोजन के लिए रसोईघर	पेय जल	खेल का मैदान	पुस्तकालय	बाउण्ड्रीवाल
2012–13	112404	72389 (64)	16189(14)	11001(10)	55(0.05)	5150(5)	55627(50)	31710(28)	72703(65)
2015–16	114255	64278(56)	7180(6)	5945(6)	14564(13)	5176(5)	44754(39)	10763(9)	53345(47)

(स्रोत: यू-डाइस)

नमूना जांच किये गए जिलों के, 390 चयनित विद्यालयों में पाई गई अधोसंरचनात्मक सुविधाओं में कमियां परिशिष्ट 5.1 और 5.2 में वर्णित हैं, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :


राज्य के शासकीय विद्यालयों में, आधारभूत अधोसंरचना के लिए अधिनियम में निर्धारित मान एवं मानकों का पालन नहीं किया गया।

70 विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और एक कार्यालय सह प्रधान अध्यापक का कक्ष नहीं पाया गया। 51 विद्यालयों के विद्यालय भवन सही स्थिति में नहीं थे। 43 विद्यालयों के लिए, विद्यालय पहुंचने के लिए उचित सीमांकित पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं था। 145 विद्यालयों में किचिन शेड नहीं था। 234 विद्यालयों में, बाधामुक्त पहुंच नहीं थी। 208 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल/फेन्सिंग उपलब्ध नहीं थी।

- 78 विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं था। 37 विद्यालयों में शौचालय उपयोग करने की स्थिति में नहीं था। 332 विद्यालयों में दिव्यांग अनुकूल शौचालय नहीं था।
- 37 विद्यालयों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं था। 105 विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं था। 133 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 295 विद्यालयों में डेस्क उपलब्ध नहीं थे और छात्र इन विद्यालयों में चटाई पर बैठ रहे थे।

भ्रमण किए गए विद्यालयों में, अधोसंरचना सुविधाओं की स्थिति, चार्ट 5.1 में सारांशीकृत है :

चार्ट: 5.1 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अधोसंरचना सुविधाएं



स्त्रोत:-चयनित विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

विद्यालयों में शौचालय का कार्यात्मक स्थिति में न होना	
शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सातोद, खाखनार, बुरहानपुर	शासकीय माध्यमिक विद्यालय, चंद्ररौल, भाण्डेर, दतिया

बिना बाउण्ड्रीवाल/फेन्सिंग के सड़क किनारे अवस्थित विद्यालय	
	
शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सातोद, खेड़ी, झाबुआ	शासकीय प्राथमिक विद्यालय, गेलार बाड़ी, झाबुआ

अध्ययन प्रकरण: शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जमुनियाकलां, फण्डा ग्रामीण, भोपाल शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जमुनियाकलां, फण्डा ग्रामीण, भोपाल का विद्यालय भवन पिछले पांच वर्षों से जीर्णशीर्ण स्थिति में था। वर्ष 2012–13 में लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए निर्मित शौचालय अक्रियाशील थे। विद्यालय के प्रधान अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी) ने विद्यालय की स्थिति के बारे में डी.पी.सी.को सूचित किया था (जून 2013) और बाद में डी.ई.ओ. और बी.आर.सी.सी. को सूचना दी गई थी। माध्यमिक विद्यालय की अधोसरंचना फोटोग्राफस में दर्शित है :—

	
माध्यमिक विद्यालय जमुनियाकलां का विद्यालय भवन	माध्यमिक विद्यालय, जमुनियाकलां के बालिका शौचालय की स्थिति
	
जमुनियाकलां के बालकों के शौचालय की स्थिति	
उच्च विद्यालय, जमुनियाकलां का भवन, जहाँ माध्यमिक विद्यालय को स्थानांतरित किया गया	
अगस्त 2015 से डी.ई.ओ. भोपाल के आदेशानुसार माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल जमुनियाकलां के भवन में चल रहा था। लेखापरीक्षा दल के विद्यालय के दौरे के दौरान यह	

पाया गया कि छह से आठ तक की कक्षाएं, एक ही अध्ययन कक्ष में, सुबह पाली में प्रातः सात बजे से अपराह्न एक बजे तक चल रही थी। हाईस्कूल उसी भवन में प्रातः दस बजे से सांय 5 बजे तक चल रहा था। हाईस्कूल भवन में पेय-जल और शौचालय की समस्या थी। आगे, जैसा कि प्रधान अध्यापक द्वारा बी.आर.सी.सी. को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2015) था, कक्षाओं की बुरी स्थिति और विद्यालय के दुर्गम पहुंच के कारण, हाईस्कूल भवन में कक्षाएं चलाना, बालकों के लिए सुरक्षित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि जिलाधीश को माध्यमिक विद्यालय जमुनियाकालां के लड़कों एवं लड़कियों के शौचालयों को उपयोग करने की स्थिति में लाने के लिए तथा विद्यालय भवन की मरम्मत का प्राक्कलन तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे (नवम्बर 2016)।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच किए गए 283 विद्यालयों (1,274 विद्यार्थी) में किए गए हितग्राही सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि 43 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुस्तकालय की सुविधा का उपयोग नहीं किया, 22 प्रतिशत विद्यार्थी खेल के मैदान से संतुष्ट नहीं थे, सात प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया था कि पेयजल की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं थी और 15 प्रतिशत विद्यार्थियों ने उनके विद्यालय के शौचालय को उपयोग करने की स्थिति में नहीं पाया। डी.पी.सी. ने बताया कि आवश्यक सुविधाएं निधियों की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति एवं उपलब्ध निधियों के अनुरूप निर्माण कार्य कराए गए थे। अस्वीकृत निर्माण—कार्य, अगली कार्य—योजना में भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ी, झाबुआ और शासकीय न्यू माध्यमिक विद्यालय, गोलार बदी झाबुआ के लिए बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का प्रस्ताव आगामी कार्य—आयोजना में भारत सरकार को भेजा जाएगा।

तथ्य यह है कि विभाग, आर.टी.ई. अधिनियम के तहत निर्धारित विद्यालय अधोसंरचना की उपलब्धता, विद्यालयों में ऐसी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट समयावधि में अर्थात् मार्च 2013 तक, सुनिश्चित नहीं कर सका और विद्यालयों में मार्च 2016 तक भी इन सुविधाओं की कमी थी।

5.2 विद्यालय भवन और कक्षाओं की उपलब्धता

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य में, 1.14 लाख शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 1.12 लाख विद्यालय स्वयं की भवन में चल रहे थे और शेष विद्यालय किराये के भवन एवं अन्य भवनों में चल रहे थे। आगे, 32,825 विद्यालय भवनों को लघु मरम्मत की आवश्यकता थी और 18,267 विद्यालय भवनों को बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी।

5.2.1 प्रतिकूल छात्र—कक्षा अनुपात

आर.टी.ई. अधिनियम और सर्व शिक्षा अभियान मान के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष प्रदान की जानी थी और प्राथमिक विद्यालय में 30 विद्यार्थी प्रति कक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 विद्यार्थी प्रति कक्षा, छात्र—कक्षा अनुपात (एस.सी.आर.) बनाया रखा जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में वर्ष 2010–16 के दौरान, 12,769 (2015–16) से 37,387 (2010–11) प्राथमिक विद्यालयों में और 10,218 (2015–16) से 14,669 (2011–12) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिकूल छात्र—कक्षा अनुपात परिलक्षित हुआ। आगे, मार्च 2016 की स्थिति में, 4,149 विद्यालयों के पास केवल एक ही कक्षा थी। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, 2015–16 के दौरान, 390 विद्यालयों में से 83 विद्यालयों में, छात्र—कक्षा अनुपात नहीं बनाए रखा गया था।

मार्च 2016
तक, 12,769
प्राथमिक
विद्यालयों और
10,218 उच्च
प्राथमिक
विद्यालयों में
प्रतिकूल
छात्र—कक्षा
अनुपात का
पता चला।

5.2.2 विद्यालय भवन का निर्माण और अन्य अधोसंरचना की स्थिति

राज्य शिक्षा केंद्र ने ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. में निर्माण कार्यों अनुमोदन के बाद विद्यालयों में निर्माण कार्य की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। कुछ निर्माण कार्यों में आर.एस.के. के निर्देशानुसार तकनीकी स्वीकृति जिला स्तर पर प्रदान की गई थी। निर्माण कार्यों के लिए आर.एस.के. द्वारा डी.पी.सी को निधियाँ जारी की गई थीं, जिन्होंने निर्माण एजेंसियों—ग्राम पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को निर्माण कार्यों के लिए निधियाँ जारी की थीं। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए डी.पी.सी से अपेक्षित था कि वे निर्माण कार्यों की प्रगति की शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। राज्य स्तर पर निर्माण कार्यों की स्थिति जैसे कि भवन निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्षाएं, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि और अपूर्ण कार्यों का कार्यवार विवरण तालिका 5.2 और तालिका 5.3 में दर्शित है :-

तालिका 5.2 : मार्च 2016 की स्थिति में निर्माण कार्यों की पूर्णता की स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जो शुरू नहीं हुए	लंबित कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जिसमें पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए
2001–02 से 2009–10	1,47,291	5,175	418	32	2,712
2010–11 से 2015–16	1,26,229	9,479	342	5	1,738
योग	2,73,520	14,654	760	37	4,450

(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 5.3 : मार्च 2016 की स्थिति में अपूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण

(आंकड़े संख्या में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कार्य जो आरंभ नहीं हुए	लंबित कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अतिरिक्त कक्ष (प्रा.वि. / उ.प्रा.वि. / प्रधान अध्यापक—प्रा.वि. और उ.प्रा.वि.)	1,42,133	10,915	523	21	1,779
2	विद्यालय भवन (उच्च प्रा. विद्यालय)	20,226	1,770	39	0	325
3	विद्यालय भवन (प्रा. वि.)	26,864	1,006	28	4	251
4	शौचालय (बालिका/ प्रा. वि. / उ.प्रा.वि.)	66,620	257	42	2	1,299

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	पेय जल (प्रा.वि / उ.प्रा.वि.)	5,712	114	62	9	647
6	बाउण्ड्रीवाल	6,496	547	46	0	47
7	रसोई शेड	5380	45	20	1	93
8	ब्लॉक संसाधन केंद्र भवन	32	0	0	0	5
9	के.जी.वी. वी. छात्रावास	57	0	0	0	4
योग		2,73,520	14,654	760	37	4,450

जैसा कि तालिका 5.2 और 5.3 से स्पष्ट है विद्यालयों में बड़ी संख्या में अनुमोदित निर्माण कार्य अपूर्ण थे। वर्ष 2001–16 के दौरान, 2.74 लाख स्वीकृत निर्माण कार्यों में से, 14,654 निर्माण कार्य अपूर्ण थे, जिसमें 2,776 विद्यालय भवन का निर्माण, 10,915 अतिरिक्त कक्षाएं और 547 बाउण्ड्रीवाल का निर्माण शामिल थे। 4,450 पूर्ण कार्यों के मामलों में निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे जिनमें से कि 2,712 कार्य वर्ष 2001–10 की अवधि के थे।

मार्च 2016 की स्थिति में, 11 नमूना जांच किए गए जिलों में, 2,721 निर्माण कार्य, जिनके लिए डी.पी.सी को ₹ 55.81 करोड़ जारी किए गए थे, अपूर्ण थे। इन अपूर्ण कार्यों में, 707 विद्यालय भवन, 1,709 अतिरिक्त कक्षाएं और 358 बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण सम्प्रिलित था। नमूना जांच किए गए जिलों में निर्माण कार्यों के निर्माण की स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 5.3 और 5.4** में वर्णित है। 2004–16 के दौरान नौ जिलों में, निर्माण एजेंसियों द्वारा ₹ 18.53 करोड़ की लागत के 1,100 कार्यों के लिए कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। आगे, दस जिलों में, 423 कार्य जिनके लिए 2001–15 के दौरान ₹ 3.77 करोड़ जारी किए गए थे, आरंभ नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर.एस.के. और डी.पी.सी. द्वारा निर्माण कार्यों की निगरानी में कमी थी। विद्यालयों में निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षा पोर्टल एक मात्र माध्यम था। परन्तु, डी.पी.सी द्वारा शिक्षा पोर्टल पर संबंधित जानकारी अद्यतन नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2011–16 के दौरान आर.एस.के ने 85,563 कार्यों के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए थे, जबकि शिक्षा पोर्टल पर मात्र 83,631 कार्यों की स्वीकृति दर्शायी गई थी। जारी की गई राशि, कार्यों पर हुए व्यय और कार्यों की स्वीकृत लागत का विवरण भी शिक्षा पोर्टल पर नहीं था।

पी.ए.बी. ने 162वें बैठक (अप्रैल 2011) में पंचायत को निर्माण कार्य सौंपने की समीक्षा और निर्माण कार्यों के निष्पादन की गति और कार्यों की गुणवत्ता में आई कमी को भी ध्यान में रखते हुए, इस कार्य में एस.एम.सी को सम्प्रिलित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए राज्य को निर्देशित किया था। एस.एम.सी को निर्माण कार्य हस्तांतरित करने के विषय को राज्य सरकार के साथ विवेचित करने का भी सुझाव दिया गया था क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए एस.एम.सी बनाए जा रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एजेंसी को बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि वास्तविक स्वीकृत निर्माण कार्यों और पोर्टल पर दर्शाएं गए कार्यों में विसंगति का कारण जिलों द्वारा पोर्टल पर कार्यों को अद्यतन नहीं किया गया था जिसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे (सितंबर 2016)। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए, संभागवार मासिक समीक्षा बैठकें

आयोजित की जा रही थीं। जिलों में जो कार्य आरंभ नहीं हुए थे उन्हे निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

5.2.3 निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई निधियों का अनियमित आहरण

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत विद्यालयों में निर्माण कार्यों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र, सध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों (सितंबर 2005) के अनुसार, जिला शिक्षा केन्द्र को निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों को तीन किस्तों में निधियाँ जारी करनी थी। निर्माण लागत का 50 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए खोले गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में प्रदान किया जाना था। 35 प्रतिशत की दूसरी किस्त, पहली किस्त के उपयोग होने और उप-अभियंता द्वारा कार्य के मूल्यांकन के बाद जारी की जानी थी। शेष 15 प्रतिशत की तीसरी किस्त, दूसरी किस्त के उपयोग होने और उप-अभियंता द्वारा कार्य के मूल्यांकन के बाद जारी की जानी थी। संबंधित ग्राम पंचायत कार्य को आरंभ करने और अनुबंधित समय के भीतर पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी।

आगे, पुनरीक्षित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार (सितंबर 2011) आर.एस.के. ने जिलों को पहली किस्त के रूप में कार्य लागत का 40 प्रतिशत तक, दूसरी किस्त के रूप में 70 प्रतिशत तक, तीसरी किस्त के रूप में 90 प्रतिशत तक और अंतिम किस्त की राशि, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात जोकि कार्य के वास्तविक मूल्यांकन तक सीमित हो, जारी करने को निर्देशित किया था।

नमूना जांच किए गए डी.पी.सी. में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी एवं अभिलेखों की जांच से परिलक्षित हुआ कि आठ जिलों¹ के 39 ब्लॉकों में 2005–06 से 2012–13 के दौरान 799 कार्य स्वीकृत किए गए थे। 723 कार्यों के लिए कुल राशि ₹ 18.93 करोड़ जारी की गई थी। विकास खण्ड धर्मपुरी, धार के सात कार्यों के लिए और दो विकास खण्ड पीपलोदा और सैलाना, रतलाम के 69 कार्यों के लिए जारी की गई राशि की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। 799 कार्यों में से, 701 कार्य अपूर्ण थे, 96 कार्य प्रारंभ नहीं हुए थे और दो कार्य पूर्ण हुए थे।

544 अपूर्ण कार्यों की कुल मूल्यांकन राशि ₹ 10.17 करोड़ के विरुद्ध ग्राम पंचायतों ने अपने संबंधित बैंक खातों से ₹ 17.18 करोड़ की राशि आहरित की थी। संबंधित डी.पी.सी. द्वारा की गई गणना के अनुसार निर्माण एजेंसियों से ब्याज सहित वसूली योग्य राशि ₹ 7.49 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, दो विकास खण्ड—पीपलोदा और सैलाना, रतलाम के निर्माण एजेंसियों से 112 अपूर्ण कार्यों के लिए ब्याज सहित वसूली योग्य राशि ₹ 3.22 करोड़ थी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसियों से कुल वसूली योग्य राशि ₹ 10.71 करोड़ थी।

विभाग ने दो जिलों झाबुआ और रतलाम में, निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध, 97 निर्माण कार्यों के लिए प्रकरण दर्ज किए थे और जिला झाबुआ में छह प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराए गए थे।

यह इंगित करता है कि पूर्व किस्तों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के मूल्यांकन को सुनिश्चित किए बिना ही डी.पी.सी. द्वारा उत्तरवर्ती किस्तों निर्माण एजेंसियों को जारी कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों से अधिक आहरण हुआ। इस प्रकार, डी.पी.सी. द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी में कमी और आर.एस.के. के अनुदेशों का पालन न करने के कारण निर्माण एजेंसियों द्वारा अधिक आहरण हुआ।

¹ बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ और रतलाम।

डी.पी.सी. ने बताया कि निर्माण एजेंसियों से राशि वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि अधिक राशि आहरित करने वाले निर्माण एजेंसियों से वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी और अपूर्ण कार्य एजेंसियों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

5.2.4 आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं किए गए

पी.ए.बी. ने वर्ष 2010–11 में राज्य के लिए पॉच² आवासीय विद्यालय अनुमोदित किए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि जिला भोपाल के लिए अनुमोदित आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया था और आवासीय विद्यालय के स्थान पर बेघर बच्चों, अनाथ और वयस्क संरक्षण विहीन इत्यादि बच्चों के लिए एक आवासीय छात्रावास खोला गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने भोपाल में आवासीय विद्यालय न खोले जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया।

5.2.5 निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य है। पी.ए.बी. की 162वीं (अप्रैल 2011) और 177वीं (मार्च 2012) बैठक में राज्य ने निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराने हेतु वचन दिया था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नमूना जाँच किए गए चार जिलों भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर और मुरैना में 2013–16 के दौरान निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि दस में से आठ संभागों के लिए निविदा प्राप्त हुई थी और वर्ष 2011–13 के कार्यों के लिए सात संभागों के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए अनुबंध किए गए थे। वर्ष 2013–16 के लिए कार्यों की कम संख्या और बड़ी संख्या में छोटे कार्यों के होने के कारण तृतीय पक्ष मूल्यांकन व्यवहारिक नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तृतीय पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य था और तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाने के लिए कार्य के आकार या संख्या का कोई मानदंड नहीं था।

5.2.6 रिक्त विद्यालय भवन उपयोग में न लेना

स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया (सितंबर 2013) था कि विद्यालय जो कि एक ही परिसर में स्थित है या प्राथमिक विद्यालय जिनमें नामांकन 20 से कम है और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें नामांकन दस से कम है, उन्हें पास के विद्यालयों के साथ विलय किया जाना था।

नमूना जाँच किए गए पॉच जिलों बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया और इंदौर में युक्ति-युक्तकरण के कारण 282 विद्यालयों के विलय किए गए थे और ऐसे विद्यालयों के विलयन के कारण 235 विद्यालय रिक्त हुए थे। जिनमें से, दो जिले भोपाल और दतिया में 118 भवनों का मूल्य ₹ 12.02 करोड़ था। तथापि, रिक्त हुए विद्यालय भवनों को उपयोग में नहीं लिया गया। डी.पी.सी. ने रिक्त हुये भवनों के उपयोग के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि जिलों को रिक्त हुये भवनों के उपयोग के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

² भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन।

5.3 प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 29 (1) यह विनिर्दिष्ट करती है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। आर.टी.ई. अधिनियम आगे, बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन (सी.सी.ई.) के लिए पाठ्यक्रम को अधिकथित करने का प्रावधान करती है। राज्य सरकार ने राज्य शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को इस उद्देश्य के लिए, शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया (जुलाई 2010)। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (जनवरी 2012) के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा (एन.सी.एफ.) 2005 के 'छात्र केंद्रित सिंद्वात' का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि, वर्ष 2012–15 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्य–पुस्तकों की समीक्षा एन.सी.एफ. 2005 के आधार पर डेस्क विश्लेषण द्वारा की गई थी। तथापि, भाषा और सामाजिक विज्ञान के विषयों पर डेस्क विश्लेषण के सुझावों को शामिल करने का अनुमोदन क्रमशः अगस्त 2016 और नवंबर 2016 में ही लिया गया था। कक्षा एक से आठ के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य शिक्षा और कला शिक्षा का पाठ्यक्रम फरवरी 2016 में अनुमोदित हुआ था। शेष विषयों गणित, पर्यावरण विज्ञान और विज्ञान के लिए, वर्ष 2017–18 के दौरान, एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से अपनाने का निर्णय लिया गया था।

आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सी.सी.ई. पैटर्न के तहत कक्षा एक से आठ के छात्रों के मूल्यांकन के लिए, विभाग ने नए दिशानिर्देशों (जुलाई 2011) जारी किए थे। नए दिशानिर्देश सभी निजी और शासकीय विद्यालयों पर लागू होने थे। सी.सी.ई. को ज्यादा व्यावहारिक और गुणात्मक बनाने के लिए, वर्ष 2013–14 में सी.सी.ई. अग्रगामी परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) की शुरूआत की गई थी, जिसके लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 116 चयनित विद्यालयों में और 2014–15 के दौरान 118 चयनित विद्यालयों में फील्ड ट्रायल किया गया था। तथापि, सी.सी.ई. अग्रगामी परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) के अंतर्गत प्राप्त परिणाम के आधार पर विकसित नए सी.सी.ई. दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

आर.एस.के. ने (जुलाई 2016) बताया कि मूल्यांकन दिशानिर्देश 2010–11 में क्रियान्वित किए गए थे और 2011–12 में मुद्रित हुए थे। नए सी.सी.ई. दिशानिर्देश अंतिमीकरण स्तर पर थे और परीक्षा समिति के अनुमोदन के बाद क्रियान्वित कर दिए जाएंगे। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में सी.सी.ई. क्रियान्वित कर दिया गया था।

तथ्य यह है कि आर.टी.ई. अधिनियम के क्रियान्वयन के छह वर्ष के बाद भी, पाठ्यक्रम के सुधार/समीक्षा, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था पूर्ण नहीं की गई थी। आगे, नए सी.सी.ई. दिशानिर्देश का कार्यान्वयन अभी भी प्रक्रियाधीन था।

5.4 अध्ययन वृद्धि उपकरण

5.4.1 निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण

सर्व शिक्षा अभियान नियमावली के अनुसार, शासकीय विद्यालयों/स्थानीय निकायों के कक्षा एक से आठ के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों दी जाएंगी। डी.पी.सी. से पुस्तकों की मांग प्राप्त होने के बाद आर.एस.के. ने एम.पी. पाठ्य–पुस्तक निगम, भोपाल को जिलों को पुस्तकों की आपूर्ति करने का आदेश दिया था।

पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति में कमी और देरी के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

आर.एस.के. के अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2010–16 के दौरान आर.एस.के. द्वारा 26.49 करोड़ पुस्तकों की आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध जिलों को 42.88 लाख कम पुस्तकों की आपूर्ति की गई थी। तथापि, आर.एस.के. ने पुस्तकों की कम आपूर्ति के कारण का विश्लेषण नहीं किया। जिले, जिन्हें निगम द्वारा पुस्तके प्रदान नहीं की गई थी, उन्होंने शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के बाद अतिरिक्त मांग रखी। इसके कारण बच्चों को पुस्तक वितरण करने में विलंब हुआ, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

नमूना जाँच किए गए जिलों में, यह पाया गया कि दो जिलों³ में वर्ष 2013–16 के दौरान 0.94 लाख पुस्तकें बच्चों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पॉच⁴ जिलों में, 5.36 लाख पुस्तकें और 49,025 कार्य आधारित अध्ययन किट, शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के बाद जुलाई और नवम्बर के मध्य बाटी गई थी।

डी.पी.सी. ने बताया कि विलंबित वितरण म.प्र. पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा देरी से की गई पुस्तकों की आपूर्ति के कारण था। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि ए.बी.एल. किट का मुद्रण, पाठ्य-पुस्तक के मुद्रण के बाद किया गया था और वर्ष 2016–17 में समय से आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी।

5.4.2 निःशुल्क गणवेश वितरण

आर.एस.के. द्वारा निर्देशित (जून 2011) किया गया था कि शासकीय विद्यालयों में नामांकित सभी श्रेणियों के बालक और बालिकाओं को प्रत्येक वर्ष दो जोड़ी गणवेश की लागत (₹ 400) की सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2013–14 तक सहायता की राशि जिला शिक्षा केन्द्र से एस.एम.सी. को अंतरित की गई थी और वर्ष 2014–15 से एस.एम.सी. को आर.एस.के. द्वारा राशि अंतरित की गई थी। गरीबी की रेखा के ऊपर (ए.पी.एल.) छात्रों को छोड़कर, समस्त विद्यार्थियों के लिए सहायता राशि का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान निधि से किया गया था और ए.पी.एल. छात्रों की सहायता राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। सहायता राशि छात्रों को जून माह तक जारी की जानी थी। विद्यार्थियों से वाउचर एकत्रित किए जाने थे और व्यय प्रमाण पत्र आर.एस.के. को भेजे जाने थे। वर्ष 2011–16 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें गणवेश के लिए सहायता राशि प्रदान की गई थी, तालिका 5.4 में दर्शित है।

तालिका 5.4: शासकीय विद्यालयों में गणवेश के लिए सहायता के अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों का वर्षवार विवरण

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या
2011–12	101.38	100.41
2012–13	98.76	98.03
2013–14	93.52	94.06 *
2014–15	86.56	86.55
2015–16	78.96	78.95
योग	459.18	458.00

(स्रोत:आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी) *विगत वर्ष वंचित बच्चे शामिल

³ बालाघाट 66,474 (2013–16) और रत्लाम 27,636 पाठ्यपुस्तक (2014–15)।

⁴ बालाघाट 28,963(2013–15), भोपाल 25,330(2013–14 और 2015–16), 49,025 ए.बी.एल. किट(2015–16), बुरहानपुर 2,54,764 (2013–16), दतिया 1,48,770 (2013–16) और इंदौर 77,908 (2015–16)।

आर.एस.के. के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए :

गणवेश के लिए समयोचित सहायता जारी करना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- वर्ष 2011–16 के दौरान, 1.18 लाख विद्यार्थियों को आर.एस.के. द्वारा गणवेश प्रदान करने हेतु शामिल नहीं किया गया था। आगे, वर्ष 2014–16 के दौरान, 165.52 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹ 662.08 करोड़ जारी किए जाने थे। तथापि, आर.एस.के. ने 169.44 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹ 677.77 करोड़ जारी किए, परिणामस्वरूप ₹ 15.69 करोड़ अधिक जारी हुए, जिसकी वजह से एस.एम.सी. स्तर पर बड़ी मात्रा में असमायोजित अग्रिम जमा हुआ, जिसकी कंडिका 2.1.1. में चर्चा की गई है।

- आर.एस.के. ने पी.ए.बी. बैठक में बताया कि गणवेश शैक्षणिक सत्र के आरंभ में प्रदान की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि विभाग ने एस.एम.सी. को समय से निधि जारी करना सुनिश्चित नहीं किया। शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए, आर.एस.के. ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, विभिन्न अवसरों पर मार्च 2015 तक, 1.18 लाख विद्यार्थियों की गणवेश के लिए एस.एम.सी. के खातों में ₹ 4.72 करोड़ जमा किए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान निधि से 5.64 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹ 22.56 करोड़ पाँच महीने की देरी से जारी किए गए थे।

आगे, आर.एस.के. ने शैक्षणिक सत्र 2013–14 के प्रारंभ के पश्चात् 14.20 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 56.82 करोड़ जारी किए थे। शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए, 1.38 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 5.52 करोड़ और 5.08 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 20.31 करोड़, बजट की अनुपलब्धता के कारण क्रमशः मार्च 2015 और जनवरी 2016 में जारी किए गए थे। वर्ष 2015–16 में, 2.06 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 8.23 करोड़ पाँच महीने की देरी से जारी किए गए थे।

नमूना जाँच किए गए आठ⁵ जिलों में, वर्ष 2013–16 के दौरान गणवेश गई के लिए सहायता की राशि ₹ 27.82 करोड़ एक से 19 महीने की देरी से जारी की गई थी। 19 महीने की अधिकतम देरी जिला धार में पाई गई। नमूना जाँच किए गए दो⁶ जिले भोपाल और इंदौर में, वर्ष 2013–14 में, 35,528 विद्यार्थियों को निधियों की उपलब्धता के बावजूद, गणवेश के लिए ₹ 1.42 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिला धार में वर्ष 2013–14 में, 8,500 विद्यार्थियों की निधियों के अभाव में गणवेश के लिए ₹ 34 लाख का भुगतान नहीं किया गया था।

- विद्यार्थियों को गणवेश की सहायता राशि के वास्तविक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, वाउचर एकत्रित कर वितरण प्रमाण पत्र अपेक्षित था। तथापि, यह वितरण प्रमाण पत्र एस.एम.सी. से डी.पी.सी. को प्राप्त नहीं हुआ था और आर.एस.के. को नहीं भेजा गया था।

- ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2013–14 अनुमोदित करते समय, पी.ए.बी., छात्रों को गणवेश के लिए नगद अंतरण करने के राज्य के प्रस्ताव से सहमत नहीं था, क्योंकि आर.टी.ई. एस.एस.ए प्रोग्राम के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार गणवेश की अधिप्राप्ति एवं विद्यार्थियों को वितरण एस.एम.सी. के माध्यम से की जाएगी। पी.ए.बी. ने विगत वर्ष के छात्रों जिन्हें राज्य द्वारा शामिल नहीं किया गया था, को शामिल करते हुए गणवेश के लिए ₹ 328.09 करोड़ का परिव्यय इस शर्त के साथ अनुमोदित किया था कि

⁵ बालाघाट (₹ 3.47 करोड़), भोपाल (₹ 2.02 करोड़), बुरहानपुर (₹ 2.83 करोड़), दतिया (₹ 2.52 करोड़), धार (₹ 6.16 करोड़), इंदौर (₹ 2.54 करोड़), झाबुआ (₹ 3.04 करोड़) और रतलाम (₹ 5.24 करोड़)

⁶ भोपाल (14,118 छात्र, ₹ 56.47 लाख) और इंदौर (21,410 छात्र, ₹ 85.64 लाख)

अधिप्राप्ति पूर्णतः आर.टी.ई.—एस.एस.ए. मानदण्डों के अनुसार की जाएगी। तथापि, एस.एम.सी. माध्यम से गणवेश के वितरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि ए.पी.एल. छात्रों के लिए वर्ष 2014–15 के लिये गणवेश हेतु निधियाँ राज्य योजना के अंतर्गत निधि की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2015–16 में जारी की गई थी। विभाग ने आगे बताया कि गणवेश के लिए निधियाँ, विगत वर्ष के 80 प्रतिशत नामांकन के आधार पर जून के महीने में जारी की गई थीं और शेष राशि, शिक्षा पोर्टल पर नामांकन की स्थिति की समीक्षा के पश्चात सितंबर में जारी की गई थी।

तथ्य यह है कि, देर से निधियाँ जारी होने के कारण विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए समय से सहायता प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा छात्रों को गणवेश के लिए नगद अंतरण, आर.टी.ई.—एस.एस.ए. मान के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करने में आर.एस.के. की विफलता के कारण, गणवेश के वास्तविक क्रय को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.4.3 कम्प्यूटर आधारित शिक्षा

5.4.3.1 हेड स्टार्ट कार्यक्रम

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर को समाप्त करने के लिए विभाग ने, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिए हेड स्टार्ट कार्यक्रम की शुरूआत की थी (नवम्बर 2000)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, क्लस्टर स्तर पर चयनित विद्यालयों में कंप्यूटर केंद्र स्थापित किए गए थे। हेड स्टार्ट केंद्र का एक प्रशिक्षित शिक्षक, हेड स्टार्ट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था और विकास खण्ड स्तर पर, प्रत्येक विकास खण्ड का विकास खण्ड समन्वयक, हेड स्टार्ट विकास खण्ड समन्वयक था। लिंक्ड विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार हेड स्टार्ट केन्द्र का लाभ मिलना था।

नमूना जाँच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित बातें परिलक्षित हुईः :

- नौ⁷ जिलों में 795 केन्द्रों में 5,106 कंप्यूटर और वाहय उपकरणों में से, 2,454 उपकरण क्रियाशील नहीं थे। आगे, दस जिलों⁸ में 270 केंद्र क्रियाशील नहीं थे, इनमें से छह जिलों⁹ में 64 केन्द्रों में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिलों ने केन्द्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, केन्द्रों के वार्षिक रख—रखाव के लिए निधि की मांग नहीं की।
- छह जिलों¹⁰ में 72 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नए केन्द्रों के लिए प्लेटफार्म तैयार करने के लिए ₹ 36.00 लाख जारी किए गए थे और तीन जिलों¹¹ में 32 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुराने केन्द्रों के उन्नयन के लिए ₹ 3.20 लाख जारी किए गए थे। इन विद्यालयों को जितने कम्प्यूटरों की आवश्यकता थी, उतनी आर.एस.के. द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी। प्लेटफार्म को तैयार करने और उचित अर्थिंग, जो कि कंप्यूटर कक्ष के लिए अनिवार्य थी का प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित डी.पी.सी. के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, विशिष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था।

⁷ बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ और रतलाम।

⁸ बालाघाट, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ, पन्ना, रतलाम, शहडोल और सिंगरौली।

⁹ बालाघाट, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर और झाबुआ।

¹⁰ बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और रतलाम।

¹¹ बालाघाट, धार और रतलाम।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि 2012–13 से भारत सरकार से निधियों के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हेड स्टार्ट केन्द्र उपयुक्त रूप से कार्यशील नहीं थे। कंप्यूटर उपकरणों का अपर्याप्त रख-रखाव निधियों की अनुपलब्धता के कारण था। योजना के ढांचे में परिवर्तन के कारण, कंप्यूटर लैब की स्थापना अपूर्ण थी।

इस प्रकार, कंप्यूटरों के रख-रखाव के लिए निधि प्रदान करने में विभाग की असफलता के कारण, ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के हेड स्टार्ट कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

5.4.3.2 कंप्यूटर एडेड लर्निंग

222वीं पी.ए.बी. बैठक (मार्च 2015) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित के शिक्षण के साथ कंप्यूटर एडेड लर्निंग (सी.ए.एल.) को जोड़ने और एन.सी.ई.आर.टी. के परामर्श के साथ विज्ञान और गणित किट की अधिप्राप्ति/विकसित करने की राज्य की प्रतिबद्धता थी। राज्य सरकार ने नई स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षकों की योग्यता वर्धन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया था। पी.ए.बी. ने 3,153 विद्यालयों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग और 644 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ₹ 22.14 करोड़ की लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि निधियों के अभाव के कारण, सी.ए.एल. को विज्ञान और गणित के शिक्षण से जोड़ने और विज्ञान तथा गणित किट की अधिप्राप्ति की कार्यवाही नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि कंप्यूटर अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलीकरण के पश्चात, विज्ञान, गणित और भाषा विषय की पुस्तकें पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थीं।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में नहीं था क्योंकि विभाग ने नई स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने और शिक्षकों की योग्यता वर्धन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव के संदर्भ में प्राप्त की गई/उपलब्धि के बारे में सूचित नहीं किया था।

5.4.4 आदिवासी बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री

ए.डब्ल्यू. पी. एण्ड बी. 2014–15 में, पी.ए.बी. ने राज्य को ऐसे वसाहटें (hamlets) जहाँ 90 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या हो की पहचान करने, और आदिवासी बच्चों के लिए पुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्री विकसित करने की सलाह दी थी। आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल राज्य द्वारा विकसित किया जाना था। लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, आर.एस.के. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि जिला मंडला और डिंडोरी, प्रत्येक के 15 विद्यालयों में, इन जिलों की भाषा गौड़ी और बैगा की दस पुस्तकों का चयन कर के अग्रगामी अध्ययन (Pilot study) की गई थी। कक्षा I और II की पाठ्य पुस्तक का गौड़ी और बैगा भाषा में अनुवाद और प्रशिक्षण माड्यूल का विकास प्रक्रिया में था।


निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि जिला मंडला और डिंडोरी के आदिवासी छात्रों के लिए बैगा और गौड़ी भाषा में द्विभाषी अध्ययन उपकरण तैयार कर लिए गए थे।

तथ्य यह है कि आदिवासी छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करने में कोई प्रगति नहीं थी।

5.5 राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एस.एल.ए.एस.)

वर्ष 2013–14 में किए गए राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण में राज्य का औसत उपलब्धि प्रतिशत गणित में 63.32 प्रतिशत और हिन्दी में 62.56 प्रतिशत था।

मूल्यांकन सर्वेक्षण विद्यार्थियों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श के मध्य, अध्ययन का एक माध्यम प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में, छात्रों की क्षमता के अनुसार, विशिष्ट ग्रेड स्तर पर, छात्रों के वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2013–14 में, कक्षा तीन के छात्रों के लिए हिन्दी और गणित विषय में प्रत्येक जिलों के 60 प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एस.एल.ए.एस.) किया गया था। राज्य स्तर पर औसत उपलब्धि, गणित में 63.32 प्रतिशत और हिन्दी भाषा में 62.56 प्रतिशत थी। जिलों का प्रदर्शन क्रमशः चार्ट 5.2 और चार्ट 5.3 में दर्शित है :–



(स्रोत:— आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

पी.ए.बी. बैठक (फरवरी 2014) में राज्य, प्रतिबद्ध हुआ कि ग्रेड II और ग्रेड V के अंत में, 70 प्रतिशत छात्र एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित अध्ययन परिणामों को हासिल करेंगे। इसके अतिरिक्त, ग्रेड VIII के अंत में, 70 प्रतिशत छात्र गणित और विज्ञान के निर्धारित परिणाम हासिल करेंगे। वर्ष 2014–15 में एस.एल.ए.एस. आयोजित नहीं किया गया था। वर्ष 2015–16 में प्रत्येक जिलों के 30 प्राथमिक विद्यालयों एवं 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन, पाँच और आठ प्रत्येक में 30 विद्यार्थियों का एस.एल.ए.एस. आयोजित किया गया था। एस.एल.ए.एस. प्रतिवेदन के परिणाम को नवंबर, 2016 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि वर्ष 2015–16 में किए गए एस.एल.ए.एस. का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था।

5.6 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एन.सी.ई.आर.टी.) ने वर्ष 2013 में कक्षा तीन के लिए (साइकिल 3) राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) किया था। एन.ए.एस. प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में कक्षा तीन के छात्र, भाषा विषय के 58 प्रतिशत और गणित के 64 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही से देने में सक्षम थे। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का प्रदर्शन भाषा और गणित दोनों ही में राष्ट्रीय औसत से काफी कम था, जैसा कि तालिका 5.5 में दर्शित है।

तालिका 5.5:— भाषा और गणित विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन


(आंकड़े संख्या में)

प्रदर्शन	भाषा		गणित	
	राष्ट्रीय औसत	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय औसत	मध्य प्रदेश
औसत स्कोर	257	239	252	243
प्रदर्शन प्रतिशत	64	58	66	64

(स्रोत:— राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण)

विभिन्न योग्यताओं में, राष्ट्रीय औसत की तुलना में, मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रतिशत चार्ट 5.4 में दर्शित है :—

चार्ट 5.4: भाषा एवं गणित में योग्यतावार उपलब्धि



इस प्रकार, सुनने, शब्द पहचानने और समझ के पढ़ने में विद्यार्थियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था। अधिकांश गणितीय योग्यताओं में, राष्ट्रीय औसत से विद्यार्थियों का प्रदर्शन कम था।

5.7 प्रतिभा पर्व: गुणवत्ता सुधार के लिए एक पहल

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 24 के अनुसार शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करें और अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक छात्र की अध्ययन क्षमता का आंकलन करें। विभाग ने वर्ष 2011–12 में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिभा पर्व कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों का आंकलन और मूल्यांकन करना, मौजूदा सुविधाओं के संदर्भ में विद्यालय का प्रोफाइल तैयार करना और गुणात्मक शिक्षण, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया (Teaching Learning Process) प्रदान करना था। विभाग ने विद्यार्थियों और विद्यालयों के उपलब्धियों का मूल्यांकन किया और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इन्हें अ, ब, स, द और ई ग्रेड में श्रेणीबद्ध किया।


आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और जानकारी की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि 2013–16 के दौरान, कक्षा एक से आठ के 84 प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिभा पर्व में उपरित्थित हुए थे। वर्ष 2010–11 से 2012–13 की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान, राज्य स्तर पर प्रतिभा पर्व के माध्यम से किए गए मूल्यांकन का परिणाम तालिका 5.6, चार्ट 5.5 और चार्ट 5.6 में दर्शित है।

**तालिका 5.6 : विभिन्न ग्रेड्स में विद्यार्थियों और विद्यालयों का प्रदर्शन
(आंकड़े संख्या में)**

राज्य शासकीय
विद्यालयों में
शैक्षणिक
गुणवत्ता में
सुधार नहीं हुआ
था, वर्ष
2013–16 के
दौरान ग्रेड अ
और ग्रेड ब के
विद्यार्थियों में
निरंतर गिरावट
आई।

वर्ष	विभिन्न ग्रेड में विद्यार्थियों का प्रतिशत					विभिन्न ग्रेड में विद्यालयों का प्रतिशत				
	अ	ब	स	द	ई	अ	ब	स	द	ई
2013–14	26.95	34.53	24.74	6.04	7.74	23	43	25	6	3
2014–15	26	34	25	6	8	24	44	24.4	5.3	1.6
2015–16	24	33	35	6	3	22	53	22	3	1

(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)



(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, ग्रेड अ, ब और ई के विद्यार्थियों का प्रतिशत कम हुआ और ग्रेड स के विद्यार्थियों का प्रतिशत वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2015–16 में बढ़ा। वर्ष 2013–16 के दौरान ग्रेड द के विद्यार्थियों का प्रतिशत (छह प्रतिशत) समान था। यह दर्शाता है कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ था क्योंकि ग्रेड अ और ग्रेड ब के विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हुई थी।

नमूना जांच किए गए 283 विद्यालयों में किए गए संयुक्त हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान (1,274 विद्यार्थी और 1,007 माता–पिता) क्रमशः 18 और 29 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वे क्रमशः गणित और अंग्रेजी विषय में कमज़ोर थे और 66 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। आगे, 71 प्रतिशत माता–पिता ने भी कहा कि उनके बच्चों को विद्यालय से अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

प्रतिभा पर्व कार्यक्रम में, वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान क्रमशः 603 और 1,695 शासकीय विद्यालय शामिल नहीं किए गए थे। वर्ष 2013–14 की तुलना में, वर्ष 2015–16 में ग्रेड द में विद्यालयों का प्रतिशत छह प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक कम हो गए थे और ग्रेड ई विद्यालय तीन से एक प्रतिशत तक कम हो गए थे। हालाकि, ग्रेड अ विद्यालय, एक प्रतिशत से कम हुए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि जिलाधीश को विशेष कक्षाओं के आयोजन द्वारा दी गई शैक्षणिक सहायता के अनुवर्तन अनुदेश जारी किए गए थे। आगे, विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रदान की गई शैक्षणिक सहायता को अभिलिखित करने के अनुदेश जारी किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। जैसा कि प्रतिभा पर्व के परिणामों से स्पष्ट है कि राज्य में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु, श्रेणी 'अ' के प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे और उपाय करने की आवश्यकता थी।

5.8 बेसलाईन और एंडलाईन टेस्ट

सत्र 2016–17 के प्रारंभ में, विद्यार्थियों की बुनियादी योग्यताओं की स्थिति से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए विभाग द्वारा जुलाई 2016 में बेसलाईन टेस्ट का आयोजन किया गया था। बेसलाईन टेस्ट के बाद, सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक महीने के लिए सुधार कक्षाएं आयोजित की गई थीं। तत्पश्चात्, बुनियादी योग्यताओं में सुधार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए अगस्त, 2016 के महीने में एंडलाईन टेस्ट किया गया था। एंडलाईन टेस्ट में राज्य रिपोर्ट कार्ड, **परिशिष्ट 5.5** में दर्शित है, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- कक्षा पांच में विद्यार्थियों की प्रवीणता—** भाषा परीक्षा में, 17 प्रतिशत छात्र मात्र हिन्दी वर्णमाला की पहचान कर सकते थे और उन्हें शब्दों को पढ़ने/लिखने में परेशानी थी। तथापि, 25 प्रतिशत छात्र हिन्दी शब्द पढ़/लिख सकते थे। इसके अलावा, 23 प्रतिशत छात्र मात्र अंक (1–9) पहचान सकते थे एवं 13 प्रतिशत छात्र अंक (1–9) भी नहीं पहचान सकते थे। अंग्रेजी में, 24 प्रतिशत छात्र शब्द पढ़/लिख सकते थे।
- कक्षा आठ में विद्यार्थियों की प्रवीणता—** भाषा परीक्षा में, 10 प्रतिशत छात्र मात्र हिन्दी वर्णमाला पहचानने के स्तर पर थे और 49 प्रतिशत छात्र हिन्दी कहानियां पढ़/लिख सकते थे। गणित में, 16 प्रतिशत छात्र मात्र अंक (1–9) पहचान सकते थे और 21 प्रतिशत छात्र मापन नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त, 28 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में सामान्य वाक्य पढ़/लिख सकते थे।

इस प्रकार, शासकीय विद्यालयों में, प्रारंभिक शिक्षा में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी क्योंकि ज्यादातर छात्र पढ़, लिख या शब्द पहचान नहीं कर सकते थे और उनमें आयु के हिसाब से गणितीय योग्यता भी नहीं थी।

5.9 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 30 यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे, प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम का नियम 19 यह प्रावधान करता है कि स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम् शिक्षक, निर्धारित प्रपत्र में, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए 199 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 28 विद्यालयों ने 6,447 विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण—पत्र जारी किया था। इस प्रकार, शेष 153 विद्यालयों के 39,148 विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के लिए प्रमाण—पत्र प्रदान नहीं किया गया था जो कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। इन विद्यालयों के प्रधान अध्ययापक ने बताया कि विद्यार्थियों को मात्र मार्कशीट जारी की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.10 अनुशंसाएँ

- विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्माण कार्यों का निर्माण शीघ्रता से किया जाना चाहिए। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक प्रभावशाली अध्ययन वातावरण के लिए समस्त विद्यालय अधोसंरचना मान का अवश्य पालन करे।

- नए खोले गए एवं अद्यतन किए गए विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विद्यालयों को शिफ्ट या बहुश्रेणी कक्षाओं में चलाने से बचाया जा सके।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि अधोसंरचना का निर्माण, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों पर निर्भर था। विभाग ने आगे बताया कि यह मुद्दा पूर्व में भी उठाया गया था और आगामी प्रस्तावों में भी उठाया जाएगा।

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शासकीय विद्यालय, विद्यार्थियों को लेने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित हों, ताकि उनके पास निजी विद्यालयों में जाने का एकमात्र विकल्प न हो।
- प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों के अध्ययन स्तर में सुधार करने के लिए विभाग को नियमित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए।
- आदिवासी छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाने चाहिए और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित पढ़ाई के साथ कंप्यूटर एडेड लर्निंग को जोड़ने को आरंभ किया जाना चाहिए।

अध्याय VI

राज्य शासन के

विद्यालयों के अलावा

अन्य विद्यालयों में

आर.टी.ई. अधिनियम

का कार्यान्वयन

अध्याय VI

राज्य शासन के विद्यालयों के अलावा अन्य विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा—18 विनिर्दिष्ट करती है कि प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। उस विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाएगी जो आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विद्यालय हेतु मान एवं मानकों की पूर्ति करता हो। मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने पर लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले ली जाएगी एवं इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को आस—पास के विद्यालयों में प्रवेश दिए जाएगा। मध्य प्रदेश में, जिला शिक्षा अधिकारी आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिहित अधिकारी है।

कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय चलाता है या मान्यता वापस लिए जाने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, उसके द्वारा ₹ एक लाख का जुर्माना देय था। आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 19 विनिर्दिष्ट करती है कि अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित विद्यालय मानदण्डों का पालन नहीं करता है तो ऐसा विद्यालय अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष के भीतर मानदण्डों की पूर्ति के लिए कदम उठाएगा। यदि विद्यालय मानदण्डों की पूर्ति करने में असफल रहता है तो मान्यता वापस ले ली जाएगी और विद्यालय बंद कर दिया जाएगा।

6.1 निजी क्षेत्र के विद्यालयों को मान्यता

मध्य प्रदेश शिक्षा का अधिकार नियम—11 विनिर्दिष्ट करता है कि आर.टी.ई. अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व एवं बाद में स्थापित निजी विद्यालय नियमों के प्रकाशन अर्थात् 26 मार्च 2011 से चार महीने के भीतर डी.ई.ओ. को आवेदन करेंगे। डी.ई.ओ. को संबोधित आवेदन बी.ई.ई.ओ. के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। बी.ई.ई.ओ. विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन करेगा एवं आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर मूल आवेदन फार्म को अपने प्रतिवेदन के साथ डी.ई.ओ. को भेजेगा। यदि विद्यालय आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मान एवं मानकों की पूर्ति करता है, डी.ई.ओ. विद्यालय का निरीक्षण कर या करवा सकता है। डी.ई.ओ. के संतुष्ट होने पर, इस नियम में विहित शर्तों के अधीन, मान्यता हेतु दिए गए आवेदन के दिनांक से 45 दिन के अंदर निर्धारित फार्म में मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा। मान्यता की वैधता तीन वर्षों के लिए होगी।

विद्यालयों की मान्यता वैधता अवधि समाप्ति से कम से कम 45 दिन पूर्व, मान्यता के नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा। यदि अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित विद्यालय निर्धारित मान एवं मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं तो डी.ई.ओ. ऐसे विद्यालयों को अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् मार्च 2013 तक निर्धारित प्रपत्र में अनंतिम मान्यता जारी करेगा। यदि विद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान्यता का दावा करने में असफल होता है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त हो जाएगी। यदि विद्यालय मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो डी.ई.ओ. स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमोदन से मान्यता वापस लेने के लिए आदेश जारी कर सकता है।

अभिलेखों की संवीक्षा एवं विभाग के शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित अवलोकित हुआ :

6.1.1 निजी क्षेत्र के विद्यालयों के अभिलेखों का संधारण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि निजी विद्यालयों का प्रारंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप, जब तक कि विद्यालय ने स्व घोषणा नहीं की हो या यू-डाईस नंबर आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त न हुआ हो, विभाग मान्यता प्राप्त किए बिना चल रहे विद्यालयों की संख्या का निर्धारण नहीं कर सकता था। मान्यता प्रदान किए गए निजी विद्यालयों की संख्या, अनंतिम मान्यता प्रदान किए गए स्कूलों की संख्या और बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों की संख्या से संबंधित वर्षवार आंकड़े आर.एस.के. स्तर पर उपलब्ध नहीं थे।

राज्य ने वर्ष 2010–11 से शिक्षा पोर्टल के माध्यम से निजी क्षेत्र के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया को अपनाया था। पोर्टल पर वर्तमान अवधि की मान्यता से संबंधित डाटा उपलब्ध थे लेकिन अनंतिम मान्यता प्रदान किए गए स्कूलों की संख्या से संबंधित पूर्व वर्षों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात विद्यालयों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी एवं उस जानकारी की बी.ई.ई.ओ. द्वारा डी.ई.ओ. को प्रस्तुती तथा डी.ई.ओ. द्वारा मान्यता प्रदान करने की दिनांक न तो पोर्टल पर उपलब्ध थी और न ही डी.ई.ओ. के पास थी। चूंकि पोर्टल डाटा समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा था, भविष्य में अस्पष्टता से बचने के लिए एवं मान्यता के प्रभावी अनुवीक्षण हेतु इन अभिलेखों का संधारण आवश्यक था।

निजी क्षेत्र के स्कूलों के प्रारंभ होने, संचालित एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। मान्यता संबंधी अभिलेख डी.ई.ओ. एवं बी.ई.ई.ओ. द्वारा संधारित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारियों ने अनंतिम एवं स्थायी मान्यता प्रदान किए गए विद्यालयों, मान्यता हेतु अस्वीकृत किये गये आवेदनों अथवा विद्यालय जिनकी मान्यता लंबित थी, का वर्षवार डाटा संधारित नहीं किया था। तथापि, डी.ई.ओ. छिंदवाडा, दतिया, धार, मुरैना, पन्ना, रतलाम एवं सिंगरौली द्वारा कुछ आंशिक जानकारी प्रस्तुत की थी। नमूना जांच किए गए तीन जिलों भोपाल, दतिया और इंदौर में, बी.ई.ई.ओ. द्वारा विद्यालयों के प्रस्ताव के साथ मूल आवेदन पत्र डी.ई.ओ. को प्रस्तुत करने में असफल रहने से ये दस्तावेज डी.ई.ओ. कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि बी.ई.ई.ओ./बी.आर.सी.सी. ने, मान्यता प्रदान किए गए विद्यालयों के अभिलेख एवं उनके द्वारा डी.ई.ओ. को अग्रेषित मान्यता के प्रकरणों के अभिलेख संधारित नहीं किए थे।

शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2010–16 के दौरान 13 नमूना जांच किए गए जिलों में 1,705 विद्यालयों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए थे। तथापि इन अस्वीकृत विद्यालयों के संचालित होने या बंद होने की जानकारी डी.ई.ओ. के पास उपलब्ध नहीं थी। डी.ई.ओ. द्वारा विद्यालय के मान्यता के प्रस्ताव की अस्वीकृति के संबंध में जानकारी, बी.ई.ई.ओ. की संज्ञान में नहीं थी, जिसने प्रारंभ में विद्यालयों की स्थिति को सत्यापित किया था।

आगे संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों, जिला शहडोल को छोड़कर, में 2010–13 के दौरान 350 विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन, पोर्टल में इन विद्यालयों की मान्यता की अवधि एक जनवरी, 1900 से एक जनवरी, 1900 दर्शाई गई थी। डी.ई.ओ. मान्यता की अवधि, जिसके लिए मान्यता प्रमाणपत्र वास्तव में जारी किए गए थे, को स्पष्ट न कर सके।

मान्यता प्रदान करने (डी.ई.ओ.) एवं यू-डाईस कोड का आवंटन करने (डी.पी.सी.) के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के मध्य अभिसरण नहीं था। नमूना जांच किए गए जिलों, दतिया को छोड़कर, विभाग ने 7,613 विद्यालयों के यू-डाईस कोड आवंटित किया था किंतु शिक्षा पोर्टल पर इन जिलों में मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 8,599 दर्शाई गई थी। 2015–16 तक आठ जिलों बालाघाट, भोपाल, धार, झाबुआ, मुरैना, रतलाम,

शहडोल और सिंगरौली में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या यू-डाईस कोड आवंटित विद्यालयों की संख्या से अधिक थी। तीन जिलों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा एवं इंदौर में यू-डाईस कोड आवंटित विद्यालयों की संख्या मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या से अधिक थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मान्यता संबंधी अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध थे। तथापि डी.ई.ओ. एवं बी.आर.सी.सी. को मान्यता एवं उसके अद्यतन के अभिलेख संधारित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। जिलों में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या में विसंगति को दूर करने के लिए यू-डाईस एवं शिक्षा पोर्टल दोनों को लिंक किया जाएगा। विभाग ने यह भी बताया कि विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य में प्रणाली मौजूद थी। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन की आवधिक निगरानी के लिए डी.ई.ओ. को अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.एस.के. ने स्वीकार किया था (जुलाई 2016) कि यदि कोई विद्यालय यू-डाईस या शिक्षा पोर्टल पर नहीं था तो निजी विद्यालयों के संचालित होने का पता लगाने की कोई प्रणाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जिला अधिकारियों ने निजी विद्यालयों की निगरानी के लिए किसी तंत्र के अभाव को प्रतिवेदित किया।

6.1.2 निजी क्षेत्र के विद्यालयों को अनंतिम मान्यता

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के नियम 11 के अनुसार विद्यालय जिन्होंने आर.टी.ई. मानदंडों की पूर्ति नहीं की थी और जो आर.टी.ई. अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले से स्थापित थे उन्हें मार्च 2013 तक अनंतिम मान्यता प्रदान की जानी थी। राज्य स्तर पर अनंतिम मान्यता प्रदान किए गए विद्यालयों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किए गए 12 जिलों में 1,883 विद्यालय अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले से कार्यशील थे। तथापि, इन विद्यालयों द्वारा, मान्यता के लिए आवेदन की प्रस्तुती और मान्यता प्रदान किए जाने की दिनांक एवं विद्यालयों की संख्या जिन्हें स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी, उपलब्ध नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्तमान में अनंतिम मान्यता का कोई प्रावधान नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग यह अभिनिश्चित नहीं कर सका कि आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले कार्यशील विद्यालयों को अनंतिम/स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

6.1.3 निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता में विलंब

12 नमूना जांच किए गए जिलों में 3,182 विद्यालयों ने मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के भीतर पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत (लॉक) नहीं किए थे। 5,612 प्रकरणों में बी.ई.ई.ओ. ने 15 दिन के भीतर आवेदन अग्रेषित नहीं किए थे एवं 6,074 प्रकरणों में 2010–11 से 2015–16 की अवधि के दौरान डी.ई.ओ. ने विलम्ब से मान्यता प्रदान की। आगे यह पाया गया कि 10 जिलों में 868 प्रकरणों में डी.ई.ओ. लॉकिंग दिनांक 1 जनवरी 00 दर्शाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन जिलों के 136 निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मान्यता समाप्ति की दिनांक एवं मान्यता नवीकरण की दिनांक में टाईम गैप था। इस प्रकार, ये 136 विद्यालय गैप अवधि के दौरान बगैर मान्यता के रहे। इनमें से, जिला बालाघाट में दो विद्यालय एवं जिला इंदौर में चार विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र के बाद मान्यता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर 414 प्रकरण, इस अनुदेश “लम्बे समय से लंबित–संभावित कारण, दोहरा पंजीकरण या डमी, जिला प्रोग्रामर इसकी जांच करें

लेखापरीक्षा ने
निगरानी
प्रणाली के
अभाव में निजी
क्षेत्र के
विद्यालयों की
मान्यता में
विलम्ब होना
पाया।

एवं आर.एस.के. को सूचित करें ताकि अभिलेखों में सुधार किया जा सके” के साथ लंबित थे।

डी.ई.ओ. ने बताया कि विद्यालयों ने प्रस्ताव समय से प्रस्तुत नहीं किए एवं प्रकरण बी.आर.सी.सी. स्तर पर विलंबित हुए। भविष्य में मान्यता हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मान्यता की प्रक्रिया हेतु मध्य प्रदेश शिक्षा का अधिकार नियम में निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए डी.ई.ओ. को निर्देशित किया गया था।

तथ्य यह है कि, निगरानी प्रणाली की कमी के कारण विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्रदान करने में विलंब हुआ था।

6.1.4. आर.टी.ई. मानकों की पूर्ति न करने पर विद्यालयों को बंद करना

आर.एस.के. ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि आर.टी.ई. अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण 2010–16 के दौरान 998 निजी विद्यालयों की मान्यता वापस ली गई थी। पाँच विद्यालयों ने विभाग में अपील की थी, एक विद्यालय की मान्यता वापस ली गई थी एवं चार अन्य प्रकरण अपूर्ण प्रस्ताव के कारण जिलों को वापस कर दिए गए थे जो कि प्रक्रियाधीन थे।

बिना मान्यता के स्कूल का संचालित

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जिला बुरहानपुर के दो निजी विद्यालयों (नूतन विद्या मंदिर प्राथमिक शाला, शेखापुर, खाकनेर एवं स्वामी रेवानंद जी विद्यालय, अम्बुरा, नेपानगर) ने मान्यता के लिए क्रमशः मार्च 2015 एवं सितम्बर 2014 में आवेदन किया था। मान्यता के आवेदन लम्बित थे। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि विद्यालय बिना मान्यता के संचालित थे। तथापि विभाग ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जिला बुरहानपुर के दोनों प्रकरणों की जांच करने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपयुक्त निरीक्षण के बिना विद्यालयों को मान्यता

श्री लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल, पीथमपुर, धार को सितम्बर 2015 में मान्यता प्रदान की गई थी। परन्तु, एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर, स्कूल चलाने के लिए, आवश्यक मानकों के अनुसार विद्यालय में अधोसंरचना की उपलब्धता की जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था (मार्च 2016)। समिति की रिपोर्ट के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कमियों पाई गई :

- आवासीय भवन, जहाँ विद्यालय चल रहा था विद्यालय भवन प्रतीत नहीं होता था। भवन छत विहीन एवं टीन शेड था और कम ऊँचाई थी। कमरों में रोशनी का अभाव था।
- शिक्षक व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त नहीं थे।
- भवन के प्रवेश द्वार के पास शौचालय था एवं गंदा पानी बह रहा था।

जिलाधीश ने विद्यालय की मान्यता वापस लिए जाने के निर्देश दिए थे (अप्रैल 2016) एवं तदनुसार डी.ई.ओ. ने मई 2016 में मान्यता वापस ले ली। इस प्रकार, श्री लक्ष्मी कॉन्वेंट स्कूल, पीथमपुर, धार को विद्यालय में सुविधाओं के उपयुक्त निरीक्षण के बिना सितम्बर 2015 में मान्यता प्रदान की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जांच पड़ताल के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6.1.5 मान्यता का नवीकरण

उन विद्यालयों जिनके शिक्षकों के पास मार्च 2015 तक आवश्यक न्यूनतम अर्हता नहीं थी, उनके लिए 2016–17 में शिक्षा पोर्टल पर डी.ई.ओ. होल्ड एप्लिकेशन ऑप्शन विकसित किया गया था। राज्य स्तर पर, 3,370 मान्यता नवीकरण के प्रकरण एवं 1,605 मान्यता के नए प्रकरण लंबित थे।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि इस मुद्दे को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में लाया गया था एवं शिक्षक जिनके पास व्यावसायिक अर्हता नहीं थी उन्हें अवसर देने के लिये तीन वर्ष की शिथिलता प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया था। भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात होल्ड एप्लिकेशन ऑप्शन पर रखे गए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

6.2 गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बालकों का प्रवेश

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12(1)(ग) विनिर्दिष्ट करती है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय पहली कक्षा में आस पास के दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि विभाग ने आस पास के निजी विद्यालयों में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश देने के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदेश जारी किए थे। राज्य में इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2011–12 से प्रवेश प्रारंभ हुए थे।

6.2.1 गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित न होना

लेखापरीक्षा ने आस पास के निजी क्षेत्र के विद्यालयों में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चों के प्रवेश में निम्नलिखित कमियां पाई :

- विभाग को 2011–16 के दौरान संचालित गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक अथवा प्री-स्कूल शिक्षा में इनटेक केपेसिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों के डी.पी.सी. को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार, विभाग / डी.पी.सी. ने विद्यालय में अलाभित समूहों एवं दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चों के कक्षा एक अथवा प्री-स्कूल शिक्षा में उस कक्षा के कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित नहीं किया।


निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले विद्यालयवार 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी एकत्रित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किए गए जिलों में डी.पी.सी. निजी क्षेत्र के विद्यालयों की इनटेक केपेसिटि पर जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

- आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी जानकारी के अनुसार 2011–16 के दौरान राज्य में 67 से 71 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों ने 7.01 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था। शेष विद्यालयों द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम का कार्यान्वयन न करने के कारणों की जानकारी विभाग को नहीं थी। आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नामांकित बालकों का विवरण चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है।

राज्य में 67 से 71 प्रतिशत तक क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों ने आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत बालकों का प्रवेश दिया था।

चार्ट 6.1: राज्य स्तर पर आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी अ-सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों का नामांकन का विवरण



(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

- नमूना जांच किए गए जिलों में 2011–16 के दौरान गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में 2.60 लाख विद्यार्थी नामांकित हुए थे एवं प्रवेश देने वाले विद्यालयों का प्रतिशत 83 से 88 प्रतिशत था। नमूना जांच किए गए चार जिलों में 2011–16 में प्रवेश दिए गए 61,307 विद्यार्थियों में से 58,744 विद्यार्थियों ने 2015–16 तक अध्ययन जारी रखा। तीन नमूना जांच किए गए जिलों में 2011–15 के दौरान प्रवेश दिए गए 61,594 विद्यार्थियों में से केवल 58,782 विद्यार्थी 2014–15 में अध्ययनरत होना पाए गए। डी.पी.सी. ने विद्यार्थियों के ड्रापआउट होने का कारण नहीं बताया।

सरकार द्वारा
गणवेश एवं
पाठ्यपुस्तकों
पर सहायता की
कमी के कारण
आर.टी.ई.
अधिनियम के
अंतर्गत निजी
क्षेत्र के
विद्यालयों में
नामांकित बच्चे
ड्रापआउट हो
गए थे।

राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पत्र (जून 2014) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री को बताया था कि गणवेश, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य आवश्यकताओं पर व्यय का वहन आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों के माता-पिता द्वारा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में इन बच्चों के लिए ऐसी पात्रता का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे बच्चों की प्रथम तीन वर्षों की प्रतिपुष्टि से परिलक्षित हुआ कि यदि सरकार ने ऐसे बच्चों को सहायता नहीं दी, तो वे विद्यालय से ड्रापआउट हो जायेंगे एवं ऐसे बच्चों को निजी विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का मूल उद्देश्य समाप्त हो जावेगा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि 25 प्रतिशत आरक्षण कोटे के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों में से ड्रापआउट बच्चों का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित करने पर विचार किया जा रहा था।

- मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के नियम 7(4) के अंतर्गत, जन शिक्षक को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर निजी तथा विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालय के पड़ोस की सीमाओं में वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की एक सूची संधारित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि जन शिक्षक ने निजी क्षेत्र एवं विनिर्दिष्ट प्रवर्ग विद्यालयों में वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के प्रवेशित बच्चों की जानकारी संधारित नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

- 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिये, नोडल अधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से तीन प्रतियों में प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आर.एस.के. ने डी.ई.ओ. एवं डी.पी.सी. को निर्देशित किया था (फरवरी

2014 एवं दिसम्बर 2014) एवं एक प्रति बालकों के संरक्षक को जारी की जानी थी। प्रमाण पत्र के माध्यम से संरक्षक, इस तथ्य से अवगत होंगे कि बच्चे की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि आर.एस.के. के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था एवं आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि पूर्व में जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- आर.एस.के. द्वारा निर्देशित किया गया था (अगस्त 2015) कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की जांच क्लस्टर स्तर पर एक टीम गठित कर की जानी थी। लेकिन, ऐसे जांच प्रतिवेदन न तो जिला स्तर और न ही राज्य स्तर पर उपलब्ध थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि दस जिलों से जानकारी प्राप्त हो चुकी थी एवं शेष जिलों से जानकारी एकत्रित की जाएगी।

- अधिनियम की धारा 13(1) गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया को निषेध करती है। शेष 75 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार (नवम्बर 2016) प्रत्येक विद्यालय को स्वयं की प्रवेश नीति बनानी थी एवं नीति लोकहित सूचनार्थ पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करनी थी, व्यापक प्रचार प्रसार करना था एवं विद्यालय की विवरण पुस्तिका में उल्लेख करना था। जैसा कि विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा बनाई गई प्रवेश प्रक्रिया/नियमों को डी.ई.ओ. को भेजा जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों ने उनके द्वारा निर्मित प्रवेश प्रक्रिया/नियम डी.ई.ओ. को प्रस्तुत नहीं किए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6.2.2 निजी विद्यालयों द्वारा फीस स्ट्रक्चर की घोषणा

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम का नियम 11 विनिर्दिष्ट करता है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस को अधिसूचित करना चाहिए एवं शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व इसकी सूचना डी.ई.ओ. को दी जानी चाहिए। आर.एस.के. द्वारा जारी निर्देशों (मार्च 2011) के अनुसार, निजी क्षेत्र के विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व कक्षावार सभी तरह की फीस के बारे में डी.ई.ओ. को सूचित करना था। डी.ई.ओ. को विद्यालयों से जानकारी प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर शिक्षा पोर्टल में विद्यालय फीस को अपलोड करना था। परन्तु, विद्यालयों द्वारा इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था एवं डी.ई.ओ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार विभाग, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्षों के पश्चात भी, निजी क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा, आर.टी.ई. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका।

6.3 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 12(1)(बी) विनिर्दिष्ट करती है कि अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय को उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है,

न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।

नमूना जांच किए गए जिलों में, जिला सिंगरौली को छोड़कर 389 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय संचालित थे। अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या जिलें में उपलब्ध नहीं थी। अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश को न तो डी.पी.सी. और न ही डी.ई.ओ. एवं ए.सी.टी.डी. ने सुनिश्चित किया, जिन्होंने विद्यालयों को सहायता अनुदान जारी किए थे, और न ही उनको इन विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के बारे में जानकारी थी। तथापि, नमूना जांच किए गए अनुदान प्राप्त विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि 87 विद्यालयों में से 61 विद्यालय विद्यार्थियों से फीस वसूल नहीं कर रहे थे एवं 26 विद्यालय फीस ले रहे थे। इन 26 विद्यालयों में से, 10 विद्यालयों ने आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश नहीं दिए थे एवं 10 अन्य विद्यालयों में 2011–16 के दौरान प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का प्रतिशत आवश्यक न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि 26 विद्यालयों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही थी।

6.4 विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश

शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 2(त) के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों को विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया है। नमूना जांच किए गए 10 जिलों के 11 केंद्रीय विद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के विद्यालयों में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या जिला स्तर पर डी.पी.सी. के पास उपलब्ध नहीं थी।
- आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 2(घ) के उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अलाभित समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनग्राम के पट्टाधारी परिवार एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त) हैं। इसी अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 2(ड) के उद्देश्य के लिए दुर्बल वर्ग, राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा परिभाषित गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग/गरीबी रेखा के नीचे/अन्य पिछऱ्हा वर्ग (गैर नवोन्नत वर्ग) की परिभाषा/पात्रता मानदंड संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रपत्रों में दो अधिसूचित अलाभित समूहों यथा विमुक्त जाति एवं वन ग्राम के पट्टाधारी परिवार को सम्मिलित नहीं किया गया था।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ने आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी उप आयुक्त एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन के निदेशकों को निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2012)। आदेशानुसार आर.टी.ई. कोटा अंतर्गत प्रवेश दिए गए बच्चों से फीस नहीं ली जानी थी। प्रत्येक बच्चे को एक सेट एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकें विद्यालय द्वारा प्रदाय की जानी थी एवं नोटबुक, लेखन सामग्री, गणवेश एवं परिवहन पर होने वाले अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति बच्चों के माता-पिता द्वारा उचित बिल प्रस्तुत किए जाने पर की जानी थी।

नमूना जांच किए गए केंद्रीय विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि आर.टी.ई. कोटा के अंतर्गत प्रवेश दिए गए 2,928 विद्यार्थियों में से 710 विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति नहीं की गई थी। आगे, 2010–16 के दौरान 994 विद्यार्थियों को गणवेश, 1,633 विद्यार्थियों को लेखन सामग्री एवं 1,431 विद्यार्थियों को परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि आर.टी.ई. के अंतर्गत दिए गए प्रवेश केंद्रीय विद्यालय प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिपूर्ति की गई थी।

6.5 अनुशंसाएँ

- विभाग को निजी विद्यालयों के संचालन एवं उनकी गतिविधियों की निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र विकसित करना चाहिए। विद्यार्थियों के हित में निजी विद्यालयों के आरम्भ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि निजी विद्यालयों के संचालन की निगरानी की जा रही थी। अनुशंसा के अनुसार प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

- शिक्षा पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा विकसित तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है एवं भविष्य में सुविधा के लिए मान्यता संबंधी अभिलेखों का संधारण राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी थी। डी.ई.ओ. एवं बी.आर.सी.सी. को मान्यता संबंधी अभिलेखों के संधारण एवं उनके अद्यतन हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

- गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा बनाई गई प्रवेश नीति एवं फिस स्ट्रक्चर प्राप्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रयास करने चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बसाहटवार विद्यालयों के स्थान प्रचारित करना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम में शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व निजी विद्यालयों द्वारा डी.ई.ओ. को फीस स्ट्रक्चर सूचित करने का प्रावधान था। प्रावधान के अनुपालन की निगरानी की जाएगी।



अध्याय VII
निगरानी एवं
शिकायत निवारण

अध्याय –VII

निगरानी एवं शिकायत निवारण

7.1 राज्य सलाहकार परिषद का गठन

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 34 विनिर्दिष्ट करती है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। राज्य सलाहकार परिषद के कार्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना होगा। एम.पी.आर.टी.ई. नियम का नियम 20, एक अध्यक्ष, एक सहअध्यक्ष और 12 सदस्यों सहित परिषद के गठन को प्रावधानित करता है। कोरम के लिए आवश्यक न्यूनतम आठ सदस्यों सहित परिषद की त्रैमासिक बैठक होनी थी।

राज्य
सलाहकार
परिषद की
बैठक
नियमित
अंतराल पर
नहीं हुई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन, (फरवरी 2012) मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एवं मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग, सहअध्यक्ष के रूप में 13 अन्य सदस्यों सहित, दो साल के लिए हुआ था। तथापि, नामांकित सदस्य, उनका कार्यकाल जनवरी 2014 में समाप्त होने के पश्चात भी नियुक्त नहीं किए गए थे। हमने पाया कि दस सदस्य मार्च 2015 में अर्थात् एक वर्ष से अधिक विलम्ब के पश्चात नामांकित किए गए थे।

चार वर्षों के दौरान आवश्यक 16 बैठकों के विरुद्ध मात्र पॉच बैठकें आयोजित हुई थी। 2012–13 से 2015–16 के दौरान आयोजित हुई वर्षवार बैठकें तालिका 7.1 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 7.1: वर्षवार आयोजित हुई बैठकों का विवरण

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित हुई बैठकों की संख्या	कमी
2012–13	4	3	1
2013–14	4	0	4
2014–15	4	0	4
2015–16	4	2	2
योग	16	5	11

(स्रोत : राज्य शिक्षा केन्द्र के अभिलेख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सलाहकार परिषद की 2012–13 में आयोजित तीन बैठकों में न्यूनतम आठ सदस्यों के कोरम की पूर्ति नहीं हुई थी। आगे, परिषद द्वारा दी गई सलाह पर, की गई कार्यवाही के बारे में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की गयी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि मामले को भविष्य में अनुपालन करने के लिये टीप किया गया।

7.2 विद्यालय प्रबंधन समिति

आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) विनिर्दिष्ट करती है कि गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के

निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) का गठन करेगा। एस.एम.सी. में कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता—पिता अथवा संरक्षक होंगे। एस.एम.सी. कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि विद्यालयों के कार्यप्रणाली को मानिटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानिटर करना आदि।

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम का नियम 12 यह विनिर्दिष्ट करता है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 18 सदस्यों की विद्यालय प्रबंधन समिति तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए 16 सदस्यों की विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम् शिक्षक, इस समिति का सदस्य होगा तथा समिति का पदेन सदस्य—सचिव होगा। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाएगा। आगे, सितंबर 2011 तक प्रत्येक विद्यालय में एस.एम.सी. का गठन किया जाना था और इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष में इसका पुर्णगठन किया जाना था।

**माता—पिता
की आवश्यक
संख्या के
बिना
विद्यालय
प्रबंधन
समिति
संचालित हो
रही थी।**

नमूना जांच किए गए विद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि सभी शासकीय विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया गया था। जबकि, 103 प्राथमिक विद्यालयों और 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एस.एम.सी. में आवश्यक सदस्यों की संख्या नहीं थी और प्राथमिक विद्यालयों में एस.एम.सी. सदस्यों की संख्या आठ से 17 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 से 15 के मध्य थी। इसके अलावा, 87 विद्यालयों की एस.एम.सी. में माता—पिता/संरक्षकों की आवश्यक अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 65 विद्यालयों में, एम.एस.सी. में निर्वाचित सदस्य दो से कम थे। आगे, नमूना जांच किए गए 87 अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्र के विद्यालयों में से 43 में एस.एम.सी. का गठन नहीं हुआ था।

7.2.1 एस.एम.सी. सदस्यों का प्रशिक्षण

आर.एस.के. ने एस.एम.सी. सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चार एस.एम.सी. सदस्यों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु निर्देश (दिसंबर 2013)जारी किए थे। चिह्नित प्रशिक्षण केंद्रों पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा क्लस्टर स्तर पर दो चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु जन शिक्षा केन्द्र का प्रभारी जिम्मेदार था। आर.एस.के. ने एक और निर्देश जारी किया (जनवरी 2016) जिसमें प्रत्येक एस.एम.सी. के छह सदस्यों, अध्यक्ष और सचिव सहित को, दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाना था। डी.पी.सी. द्वारा आर.एस.के. को प्रशिक्षण की समेकित रिपोर्ट भेजनी थी।

**आर.टी.ई.
अधिनियम के
अंतर्गत एस.एम.
सी. के सदस्य
अपनी भूमिका
से अवगत नहीं
थे, जिसने एस.
एम.सी. बनाने
के उद्देश्य को
खतरे में डाला।**

आर.एस.के. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 11.36 लाख एस.एम.सी. सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य में 2013–16 के दौरान 15,865 एस.एम.सी. सदस्य प्रशिक्षित नहीं किए जा सके थे। तथापि, आर.एस.के. द्वारा प्रदाय किए गये आंकड़े सही नहीं थे। नमूना जांच किए गए जिलों में, 2.09 लाख एस.एम.सी. सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के विरुद्ध 2013–16 के दौरान 1.80 लाख सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रकार, नमूना जांच किए गए जिलों में 28,208 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने में कमी थी।

माता—पिता के सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 80 माता—पिता जो एम.एस.सी. के सदस्य थे, परंतु आर.टी.ई. अधिनियम के बारे में अवगत नहीं थे। इस प्रकार, कुछ माता—पिता विद्यालयों के प्रबंधन में उनकी भूमिकाओं के बारे में ज्ञान नहीं होने पर भी एस.एम.सी. के सदस्य थे, जिसने एस.एम.सी. बनाने के उद्देश्य को खतरे में डाला।

7.2.2 एस.एम.सी. की कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी परिलक्षित हुआ कि एस.एम.सी. विद्यालयों में उपस्थिति की निगरानी नहीं कर रही थी। परिणामस्वरूप, एस.एम.सी. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयीन स्तर पर बच्चों के अत्यधिक ड्रापआउट को रोकने में विफल रही। नमूना जांच किए गए 245 विद्यालयों में पिछले पांच सालों में एस.एम.सी. की बैठकों में कमी थी।

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 22(1) और एम.पी. आर.टी.ई. नियमों के नियम 13 के अंतर्गत एस.एम.सी. ने 277 शासकीय एवं अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में तीन वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार नहीं की थी। आगे, एस.एम.सी., विद्यालयों को प्रदान कि गई निधियों के समय पर उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि विद्यालयों में एस.एम.सी. के गठन एवं विद्यालय विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। कक्षावार माता—पिता उपलब्ध न होने के कारण समिति में माता—पिता की संख्या में कमी थी। व्यक्तिगत समस्याओं के कारण एस.एम.सी. सदस्य प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे, जिन्हें अगले साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

तथ्य यह है कि, आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रत्येक विद्यालयों में एस.एम.सी. का गठन विभाग सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, डी.पी.सी., एस.एम.सी. में माता—पिता के आवश्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को प्रेरित करने में विफल रहे।

7.3 माता—पिता की भूमिका

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 10 प्रावधान करती है कि प्रत्येक माता—पिता/संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराएं। स्कूल प्रबंधन समिति का भी यह कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करें।

भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51—क को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संशोधित किया एवं निम्न खण्ड (ट) जोड़ा:

“यदि माता—पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करें।”

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान 1,007 माता—पिता पर किए गए हितग्राही सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ कि 62 प्रतिशत माता—पिता आर.टी.ई. अधिनियम से अवगत नहीं थे। इस प्रकार, विभाग/एस.एम.सी. आर.टी.ई. अधिनियम और प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालकों के अधिकार के बारे में माता—पिता के बीच जागरूकता फैलाने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि आर.टी.ई. के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में माता—पिता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

7.4 प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका

मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम 2(छ) विनिर्दिष्ट करता है कि जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी है। नियम 11(9) के प्रावधान के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, जहां पर विद्यालय संचालित है, के स्थानीय प्राधिकारी को मान्यता प्रदान करने की सूचना देने हेतु जिम्मेदार है,

नमूना जांच किए गए जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.ई.ओ. द्वारा मान्यता की सूचना स्थानीय प्राधिकारी को नहीं भेजी गई थी। आगे, आर.टी.ई. के अंतर्गत आवश्यक निजी क्षेत्र के विद्यालयों में बालकों की प्रवेश प्रक्रिया और निजी विद्यालयों की फीस संरचना की निगरानी डी.ई.ओ. नहीं कर रहे थे, जिसकी पूर्व पैराग्राफ 6.2.1 और 6.2.2 में चर्चा की गई है।

मध्य प्रदेश में, 89 आदिवासी विकास खण्ड हैं। इन आदिवासी विकास खण्डों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी आदिवासी कल्याण विभाग की थी। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (ए.सी.टी.डी.) एवं विकास खण्ड स्तर पर 74 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का इन आदिवासी विकास खण्डों में शिक्षकों और विद्यालयों के प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण था।

इस प्रकार, डी.ई.ओ. की भूमिका, जो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में थे, आदिवासी विकास खण्डों में सीमित थी और मुख्य रूप से निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु सीमित थी। तथापि, आदिवासी विकास खण्डों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में ए.सी.टी.डी. की भूमिका जो कि मुख्यतः इन क्षेत्रों में प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी थे, को एम.पी.आर.टी.ई. नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7.5 जन शिक्षक द्वारा विद्यालयों की निगरानी

एम.पी.आर.टी.ई. नियम के अधीन जन शिक्षक संसाधन शिक्षक हैं जो स्कूल के समूह में शैक्षणिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। एक उच्च प्राथमिक विषय विशिष्ट शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए जन शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। आर.टी.ई. अधिनियम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिये जन शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वह विद्यालयों के लिये प्रारंभिक निगरानी प्राधिकारी होता है। वह अपने क्षेत्राधिकार में सभी बालकों के नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी है। जन शिक्षक को शाला से बाहर बच्चों की जानकारी के साथ विद्यालयों से सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित कर, जानकारियों का विश्लेषण करता है एवं उसको विकास खण्ड स्तर पर प्रस्तुत करता है।

जन शिक्षकों
ने मान के
अनुसार
विद्यालयों में
भ्रमण नहीं
किया था एवं
जन शिक्षक
के 914 पद
रिक्त थे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जन शिक्षा केंद्र (क्लस्टर) स्तर पर, प्रारंभिक शिक्षा के निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुदेश जारी किए थे (अक्टूबर 2010 तथा अगस्त 2012)। जन शिक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार के अंदर के सभी विद्यालयों का महीने में कम से कम दो बार भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया गया था। विद्यालय भ्रमण की रिपोर्ट बी.आर.सी.सी तथा जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को सौंपी जानी थी। जन शिक्षक द्वारा विद्यालय भ्रमण के परिणाम की समीक्षा करने के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, प्रत्येक माह, एक कार्यशाला आयोजित की जानी थी।

राज्य में, 5,320 जन शिक्षक के स्वीकृत पद के विरुद्ध 4,406 जन शिक्षक पदस्थ थे एवं 914 जन शिक्षक के पद रिक्त थे। नमूना जांच किए गए विकास खण्डों में पर्यवेक्षित 5,157 विद्यालयों के 162 जन शिक्षकों से एकत्रित की गई जानकारी के विश्लेषण से निम्न प्रकार परिलक्षित हुआ :

- पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार 18 विद्यालयों पर एक जन शिक्षक होना चाहिये। परन्तु, 143 जन शिक्षकों के क्षेत्राधिकार में अनुमोदित मान से अधिक संख्या में विद्यालय थे एवं यह 19 से 50 विद्यालय के मध्य था।

- 35 जन शिक्षकों ने 50 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों का भ्रमण महीने में दो बार नहीं किया। आगे, दो भ्रमण के मान के विरुद्ध, 3,313 विद्यालयों का भ्रमण महीने में सिर्फ एक बार किया गया था।
- वर्ष 2010–16 के दौरान, 148 में से 35 जन शिक्षा केंद्रों में, 1,860 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के विरुद्ध 1,562 बैठकें आयोजित की गई थीं। आगे, 63 जन शिक्षा केंद्रों में 576 विद्यालय के प्रतिनिधि मासिक कार्यशाला में उपस्थित नहीं हुए थे।
- इस प्रकार जन शिक्षकों के कमी के कारण निगरानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई। आगे, विषय विशिष्ट शिक्षक को जन शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करने की नीति की समीक्षा की आवश्यकता थी, क्योंकि राज्य में विषय विशिष्ट शिक्षकों की पहले से ही कमी थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि राज्य में शिक्षकों की कमी थी तथा कुछ जन शिक्षा केंद्रों में जन शिक्षक के पद रिक्त थे जिसके कारण जन शिक्षक लक्ष्य से अधिक विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये जिलों में जन शिक्षकों द्वारा विद्यालयों के भ्रमण के लक्ष्य हासिल नहीं किये गये थे।

7.6 विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर विद्यालयों की निगरानी

स्कूल शिक्षा विभाग ने विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों तथा जन शिक्षा केंद्रों की निगरानी हेतु अनुदेश जारी किया था (अगस्त 2009 तथा सितम्बर 2012)। विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा जन शिक्षा केंद्रों को सम्मिलित करते हुए 30 विद्यालयों का मासिक भ्रमण करना था। इसी तरह जिला स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक माह 30 विद्यालयों का भ्रमण करना था। भ्रमण का विवरण शिक्षा पोर्टल पर दर्ज किया जाना था। निरीक्षण करने के मान नीचे तालिका 7.2 में दिए गए हैं।

तालिका 7.2: विद्यालय के निरीक्षण के लिए मानदंड

सं. क्र.	विभिन्न स्तर पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी	मासिक भ्रमण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या
1	विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा विकास खण्ड शैक्षणिक समन्वयक	प्रत्येक को कम से कम 30 विद्यालय (20 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय)
2	जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, डी.पी.सी., जेण्डर समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक	प्रत्येक को कम से कम 30 विद्यालय (20 प्राथमिक विद्यालय तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय)

(स्रोत : स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश)

आर.एस.के. के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि:

- वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए विद्यालयों की संख्या, 15,300 प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरुद्ध 853 से 11,047 के मध्य थी। विकास खण्ड स्तर पर, बीईओ द्वारा 1,413 से 6,904 विद्यालयों का

जिला स्तर
एवं
विकासखण्ड
स्तर के
अधिकारियों
द्वारा
विद्यालयों के
निरीक्षण हेतु
निर्धारित लक्ष्य
हासिल नहीं
हुई थी।

निरीक्षण किया गया। बी.आर.सी.सी द्वारा 88,800¹ विद्यालयों के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 32,267 से 52,936 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। बी.आर.सी. कार्यालयों ने 2.57 लाख² विद्यालयों के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 2.13 लाख से 2.63 लाख विद्यालयों का निरीक्षण किया।

- जिला स्तर पर सहायक परियोजना समन्वयक के 129 पद और विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक, विकासखण्ड शैक्षणिक समन्वयक, विकासखण्ड जेप्डर समन्वयक के 781 पद रिक्त थे। निरीक्षण कर्मियों के इन रिक्त पदों ने विद्यालयों के निरीक्षण को प्रभावित किया।
- निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि निरीक्षण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिलों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

7.7 आर.टी.ई अधिनियम का मूल्यांकन अध्ययन / प्रभावी आंकलन

राज्य में किए गए आर.टी.ई. अधिनियम से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन का विवरण तालिका 7.3 में दिया गया है।

तालिका 7.3 – आर.टी.ई मुद्दों पर किए गए अध्ययन की स्थिति

स.क्र.	विषय	अध्ययन का वर्ष	संस्था / एजेंसी जिसके द्वारा सर्वे किया गया
1	शिक्षा का अधिकार, (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन तथा निदानात्मक सुझाव	2011–12	डाइट खण्डवा, खरगौन तथा बड़वानी
2	आर.टी.ई. 2009 के परिप्रेक्ष्य में सीडल्यूएसएन बालकों की पहचान करने में आने वाली समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन	2013–14	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, खण्डवा
3	आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रावधानों का विशेषकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चयनित मोहल्ला/क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बच्चों, कक्षा I से VIII में के प्रवेश व ठहराव पर प्रभाव	2013–14	प्रगत शैक्षिक भोपाल संस्थान,
4	आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित बच्चों एवं अन्य सामान्य वर्ग के साथ उनकी तुलना के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन।	2014–15	प्रगत शैक्षिक भोपाल संस्थान,
5	आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अनुदान अप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अलाभित समूह तथा दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आरक्षण के प्रावधान का कार्यान्वयन	2015–16	यूनाईटेड चिल्ड्रेन्स फण्ड, भोपाल नेशन्स

(स्रोत: आर.एस.के. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मूल्यांकन अध्ययन के संप्राप्तियों/सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आयुक्त, आर.एस.के ने बताया (जुलाई 2016) कि अनुशंसाओं को परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

¹ निरीक्षण के लक्ष्य = प्रति बी.आर.सी.सी. प्रति वर्ष 300×296 कार्यरत बी.आर.सी.सी।

² निरीक्षण के लक्ष्य = प्रति बी.आर.सी. प्रति वर्ष 300×855 कार्यरत अमले।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि अनुसंशाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7.8 शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग

भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 से कक्षा एक से आठ के विद्यालयों के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डाईस) का आरंभ किया, जिसमें विद्यालयों को एक 11 अंक का एकीकृत कोड आवंटित किया जाता है। यू–डाईस प्रारम्भिक स्तर पर छात्रों व शिक्षकों तथा अधोसंरचना से संबंधित महत्वपूर्ण मानदण्डों की जानकारी प्रदान करता है।

विद्यालयों के प्रभारी को यू–डाईस के प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। कलस्टर रिसोर्स केंद्र पर जनशिक्षक अपने क्षेत्राधिकार के भीतर के विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप में भरे हुये यू–डाईस डाटा को एकत्रित करने हेतु उत्तरदायी थे। इन भरे हुए यू–डाईस के प्रारूप की सत्यता हेतु उनके द्वारा जांच की जानी थी। विकास खण्ड स्तर के प्राधिकारियों 10 प्रतिशत सत्यापन के लिए उत्तरदायी थे तथा प्रत्येक जिला स्तर के प्राधिकारी को पांच प्रारूपों की नमूना जांच की जानी थी। कम्प्यूटर में डाईस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां जिले स्तर पर प्रोग्रामर तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड मैनेजमेण्ट इन्फार्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) समन्वयक के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में की जानी थी। यू–डाईस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां करने के बाद, स्कूल रिपोर्ट कार्ड की प्रिटेंड प्रतियाँ जनरेट की जाती हैं तथा विद्यालय को पुनः सत्यापन हेतु भेजी जाती है। सुधार के बाद डाईस प्रारूप यदि कोई हो, सॉफ्टवेयर में संशोधन के लिए, जिला कार्यालय को लौटाना होता है।

पी.ए.बी. ने बेहतर गुणवत्ता तथा यू–डाईस डाटा के विश्लेषण को सुनिश्चित करने के लिए विकासखण्ड एम.आई.एस. समन्वयक के रिक्त पदों को तत्काल भरने का सुझाव दिया था (मार्च 2012)। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 130 प्रोग्रामर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा विकासखण्ड एमआईएस समन्वयक के पद मार्च 2016 को रिक्त थे।

आगे, संवीक्षा में, नमूना जांच किए गए जिलों में यू–डाईस डाटा में विसंगतियाँ परिलक्षित हुई। यू–डाईस में “विद्यालय प्रबंधन” फिल्ड में विद्यालयों को समुचित रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप छह जिलों में 52 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय यू–डाईस के अनुदान प्राप्त विद्यालयों की सूची में दिख नहीं रहे थे। इन स्कूलों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण अनुदान अप्राप्त विद्यालयों में किया गया था। डी.पी. सी ने बताया कि श्रेणी परिवर्तित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

**जिले एवं
विकासखण्ड
स्तर पर
यू–डाईस
डाटा सही
ढंग से
प्रतिवेदित
नहीं किया
गया था।**

विद्यालयों के नमूना जांच के दौरान, लेखा परीक्षा ने यू–डाईस में दर्ज जानकारी तथा चयनित विद्यालयों की वास्तविक स्थिति में भिन्नता पाई। नामांकन, अध्यापक स्थिति तथा आधारभूत अधोसंरचना सुविधाओं की जानकारी में भिन्नता थी जिसे **परिशिष्ट 7.1** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, जिला स्तर पर प्रोग्रामर एवं विकास खण्ड स्तर पर एम.आई.एस. समन्वयक द्वारा यू–डाईस डाटा सही ढंग से प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण यू–डाईस डाटा संधारित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए थे। विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर तैनात एम.आई.एस. समन्वयक तथा प्रोग्रामर को त्रुटिहीन डाटा के संकलन तथा उसके उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। आरक्षित वर्ग के अस्थर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, एम.आई.एस. समन्वयक तथा प्रोग्रामर के रिक्त पद नहीं भरे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के विभिन्न अनुदेशों के बावजूद यू-डाईस डाटा में विसंगतियां थीं। आगे, लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई त्रुटियों के सुधार हेतु की गयी कार्यवाही के बारे में, विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

7.9 शिक्षकों की शिकायत निवारण

एम.पी.आर.टी.ई का नियम 16 यह विनिर्दिष्ट करता है कि स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षकों की शिकायत दूर करने का प्रथम स्तर होगा। स्कूल के शिक्षक को नियंत्रण अधिकारी को शिकायत भेजनी चाहिए, जो शिकायत की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करेगा और तदनुसार शिक्षक को सूचित करेगा।

एम.पी.आर.टी.ई. नियम आगे विनिर्दिष्ट करता है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक सात सदस्यों की शिकायत निवारण समिति होगी। जिलाधीश, समिति का अध्यक्ष होगा और डी.ई.ओ. समिति का संयोजक होगा। समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। यदि कोई शिक्षक नियंत्रण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत लिखित में समिति के संयोजक को प्रस्तुत कर सकता है। संयोजक, समिति का निर्णय, निर्णय के एक महीने के भीतर, शिक्षक को बतायेगा।

नमूना जांच किए गए जिलों के डी.ई.ओ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

जिला स्तरीय
शिकायत
निवारण
समितियाँ
गठित नहीं
हुयी थी।

- नमूना जांच किए गए तेरह जिलों में से पाँच जिले धार, इंदौर, रतलाम, शहडोल एवं सिंगरौली में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति गठित की गई थी।
- जिला सिंगरौली के अतिरिक्त किसी भी जिले में शिक्षकों से शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। 2010–16 के दौरान, प्राप्त हुई 76 शिकायतों में से 14 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 62 प्रकरण लंबित थे। 62 लंबित प्रकरणों में से 55 प्रकरण, वर्ष 2010–14 से और शेष 7 प्रकरण वर्ष 2014–16 से संबंधित थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि शिक्षकों एवं अन्य अमले के लिये शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। ई-शिक्षा मित्र अप्लीकेशन विकसित किया गया एवं शिक्षक अब अपनी शिकायतें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने आगे बताया कि शिक्षकों के मुद्दों के निपटान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण कक्ष की व्यवस्था थी, इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एम.पी.आर.टी.ई नियमावली के अधीन आवश्यक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन नमूना जांच किए गए आठ जिलों में नहीं हुआ था।

7.10 बालकों के अधिकारों का संरक्षण

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 31 के अनुसार राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, (एस.सी.पी.सी.आर.) आर.टी.ई. अधिनियम द्वारा या अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षा उपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करेगा एवं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालकों के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करेगा।

मध्य प्रदेश राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि 2010–16 के दौरान प्राप्त 426 शिकायतों में से 128 शिकायतों का निपटान हुआ था।

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने सूचित किया (मार्च 2016) कि दिसंबर 2015 से अध्यक्ष / सदस्यों के रिक्त पदों के कारण शिकायतें लंबित थीं।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके हैं।

स्थानीय प्राधिकारियों ने बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु शिकायत सेल गठन नहीं किये थे।

- अधिनियम की धारा 32 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा, जो कि तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत; एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को शिकायत सेल और सेल के प्रभारी की नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2011)। शिकायतों की एक पंजी संधारित की जानी थी और सेल की जानकारी स्थानीय समाचार पत्र में जन-सूचना के लिए विज्ञापित की जानी थी। नमूना जांच किये गये जिलों में यह पाया गया कि संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कार्यालय में शिकायत निवारण सेल की स्थापना करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये जिलों में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आर.टी.ई अधिनियम की धारा 32 के अधीन शिकायत निवारण हेतु कोई कार्रवाही नहीं की गयी थी।

7.11 अनुशंसाएँ

- राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों की समय से नियुक्ति और परिषद की नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विभाग ने लेखापरीक्षा की अनुशंसा स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2016)।

- विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अपेक्षित सदस्य संख्या के साथ किया जाना चाहिए तथा बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को आर.टी.ई. अधिनियम में विहित अपने कार्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए तथा नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा सदस्यों को सशक्त करने की जरूरत है।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधान एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्यों को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के माड्यूल में शामिल कर लिया गया था।

- स्कूल प्रबंधन समिति को आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार, बालकों के अधिकार के बारे में माता-पिता के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए।
- विद्यालय निरीक्षण व विद्यालय भ्रमण के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां सुनिश्चित करने हेतु, विभाग को, जिला व विकासखण्ड स्तर पर, रिक्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के पदों को भरने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- आर.टी.ई. अधिनियम के बिंदुओं पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में बताई गई अनुसंशाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

- यू—डाईस डाटा के गुणात्मक तथा प्रभावी संधारण को सुनिश्चित करने हेतु जिले स्तर पर प्रोग्रामर तथा एम.आई.एस. समन्वयक के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।
- विसंगतियों से बचने के लिए विभाग को यू—डाईस डाटा के विश्लेषण एवं सत्यापन की दृढ़ प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यू—डाईस डाटा बेस में विद्यालयों के डाटा की सही प्रविष्टि करने के लिए उचित स्तर पर जिम्मेदारियां निर्धारित की जानी चाहिए।
- जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि जिले स्तर पर शिकायत निवारण सेल को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा था।

- बालकों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की समय से नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके थे।

अध्याय VIII

निष्कर्ष

अध्याय VIII

निष्कर्ष

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने वाली 86 वां संवैधानिक संशोधन के 13 वर्ष और आर.टी.ई अधिनियम के अधिनियमन के छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, राज्य में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का उददेश्य हासिल नहीं किया जा सका था। स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्य, जैसा की अधिनियम में निर्धारित है; उनके द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे। छः से 14 वर्ष के आयुवर्ग में बाल जनसंख्या का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा किए गए परिवार सर्वेक्षण में सबसे कमजोर वर्ग के बालकों, स्ट्रीट चिल्ड्रन और पलायन कर अनाधिकृत बस्तियों में रहने वाले बच्चों को समाविष्ट नहीं किया गया था।
- जिला और राज्य स्तरीय डाटा के मध्य और वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. से संकलित और यू—डाईस द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के मध्य बड़ी विसंगतियाँ हैं। ये भिन्नता बच्चों की पहचान एवं तत्पश्चात उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों में गंभीर संशय उत्पन्न करता है। विभाग ने शाला में फर्जी नामांकन, विद्यार्थियों के दोहरीकरण एवं यू—डाईस में नामांकन की गलत प्रविष्टि के मामलों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। इस प्रकार, नामांकन और विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सभी बसाहटों में विद्यालयीन सुविधा, अधिनियम के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के भीतर सुनिश्चित नहीं की गई थी। पडोस के क्षेत्र की सीमा जहाँ परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी थी, अधिसूचित नहीं की गई थी।
- छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक था, सुनिश्चित नहीं किया गया, क्योंकि 10.25 लाख बच्चों ने प्राथमिक स्तर (कक्षा V) के बाद विद्यालय छोड़ दिया जबकि 4.09 लाख विद्यार्थियों ने कक्षा VII के बाद कक्षा VIII में नामांकन कराए बिना विद्यालय छोड़ दिया। 2013–16 के दौरान, नामांकन में सात से दस लाख की अत्यधिक गिरावट पाई गई।
- प्रत्येक वर्ष विद्यालय से बाहर के बच्चों का पता चलना, प्रतिधारण और झाप आउट के अनुपयुक्त निगरानी को दर्शाता है। विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए विलंबित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के कारण सभी पहचान किए गए बच्चों को कवर नहीं किया जा सका। मात्र 18 से 80 प्रतिशत विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ा गया था, जो कि बालकों को पता लगाने के तंत्र की कमी को दर्शाता है। आगे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं।
- तीन वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों को आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय पूर्व सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई थी। अभी भी राज्य, इस उददेश्य के लिए ऑंगनवाड़ी पर निर्भर था।

- शिक्षा के क्षेत्र में इच्छित परिणाम हासिल न होने के लिए राज्य निधियों की कमी को जिम्मेदार ठहराता है। तथापि, विभाग आर.टी.ई. अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने में असफल रहा और 2010–16 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधि का 23 से 52 प्रतिशत अनुपयोगित रहा। निधियों की बड़ी रकम आर.एस.के. और जिला स्तरीय बैंक खातों में पड़े रहे। विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक बकाया अग्रिम असमायोजित पड़ा रहा। अव्ययीत शेष और असमायोजित अग्रिम की बड़ी राशियाँ, राज्य के कमजोर वित्त आयोजना और नियंत्रण का सूचक है।
- मार्च 2016 को स्थिति में, राज्य के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 63,851 शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों के पद रिक्त थे। तथापि, कई जिलों/विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना के साथ–साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त थे। शिक्षकों की पदस्थापना का युक्ति–युक्तकरण नहीं किया गया था। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई क्योंकि 2010–16 के दौरान, 17,938 से 20,245 विद्यालयों में एक शिक्षक थे। राज्य में, 32,703 विद्यालयों में इच्छित छात्र–शिक्षक अनुपात हासिल नहीं हुआ था। अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम कार्य–दिवस की संख्या, शिक्षण घंटे और प्रति सप्ताह कार्य घंटों का पालन नहीं हुआ था। विद्यालयों में पालक शिक्षक बैठके नियमित रूप से नहीं हुई थीं और हमने हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान पाया कि अधिकांश पालक आर.टी.ई. अधिनियम से अवगत नहीं थे।
- आधारभूत अधोसंरचना के लिए अधिनियम में निर्धारित मान एवं मानकों का पालन विद्यालयों में तीन वर्ष के भीतर नहीं किया गया, जैसा कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। तथापि, राज्य के शासकीय विद्यालयों में कुछ अधोसंरचना मानकों में सुधार हुआ किन्तु, जहाँ इसे होना चाहिए था उससे यह काफी पीछे था। शासकीय विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी पढ़, लिख या शब्द पहचान करने में सक्षम नहीं थे और उनमें आयु के अनुरूप गणितीय योग्यता नहीं थी।
- निजी विद्यालयों के प्रारंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था। निजी क्षेत्र विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने में विलंब हुआ था और विद्यालयों को अपेक्षित अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही मान्यता दी गई थी। आगे, सभी अनुदान अप्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभान्वित समूह और कमजोर वर्ग के बालकों का 25 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, माता–पिता और अभिभावक के सदस्य के रूप में आवश्यक संख्या पूर्ण किये बिना ही कार्यशील थीं एवं समितियों के लिये निर्धारित क्रियाविधि का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण और निगरानी के लिए निर्धारित लक्ष्य, मानवशक्ति की कमी के कारण हासिल नहीं हुये।
- राज्य सलाहकार परिषद की बैठक नामांकित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियमित अंतराल पर नहीं हुई और विभाग द्वारा परिषद की सलाह पर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई। जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध नहीं था। अध्यक्ष/सदस्यों की विलंबित/पदस्थापना न होने से

बालक के अधिकार से संबंधित प्रकरण राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास लंबित थे।

आर.टी.ई. अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान था और यह एक प्रयास था जिससे सार्वभौमिक पहुँच एवं प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण और छह से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को प्राप्त करना था। तथापि, सभी के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य द्वारा सभी पात्र बालकों की पहचान नहीं की जा सकी थी और उनका पता नहीं लगाया जा सका था, उपेक्षित बच्चों को नजरअंदाज किया गया था, विद्यालयों के लिये अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता के न्यूनतम मानकों को अभी भी प्राप्त करना था।

ग्वालियर

दिनांक: 17 जुलाई 2017

(पराग प्रकाश)

प्रधान महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली


दिनांक: 19 जुलाई 2017

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 संदर्भः कंडिका 1.1.1, पृष्ठ 3) संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट 1.2
संदर्भ: कंडिका 1.3, पृष्ठ 4)
चयनित जिलों एवं विकासखण्डों की सूची

स.क्र	जिला का नाम	विकास खण्डों की कुल संख्या	चयनित विकास खण्डों की नाम	चयनित विकास खण्डों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बालाघाट	10	परसवाड़ा	04
			बैहर	
			खैरलांजी	
			बालाघाट	
2	भोपाल	04	बैरसिया	04
			फन्दा न्यू सिटी	
			फन्दा ओल्ड सिटी	
			फन्दा ग्रामीण	
3	बुरहानपुर	02	बुरहानपुर	02
			खकनार	
4	छिन्दवाड़ा	11	छिन्दवाड़ा	04
			तामिया	
			परासिया	
			हरई	
5	दतिया	03	भाण्डेर	03
			दतिया	
			सेवढ़ा	
6	घार	13	कुक्षी	04
			बाग	
			धार	
			तिरला	
7	इन्दौर	05	देपालपुर	04
			महू	
			इन्दौर	
			सॉवेर	
8	झाबुआ	06	रानापुर	04
			रामा	
			मेघनगर	
			झाबुआ	
9	मुरैनां	07	अम्बाह	04
			पोरसा	
			मुरैना	
			कैलारस	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	પન્ના	05	અજયગઢ़	04
			ગુંનૌર	
			પન્ના	
			પવર્ઝ	
11	રતલામ	06	સૈલાના	04
			આલોટ	
			રતલામ	
			જાવરા	
12	શહડોલ	05	બુઢાર	04
			ગોહપારુ	
			જયસિંહ નગર	
			સોહાગપુર	
13	સિંગરાલી	03	ચિતરંગી	03
			દેવસર	
			બૈઢન	
	યોગ	80		48

परिशिष्ट 1.3
संदर्भ: कंडिका 1.3, पृष्ठ 4)
चयनित विद्यालयों की सूची

सं. क्र.	जिला का नाम	चयनित विकास खण्डो का नाम	शासकीय/अनुदान प्राप्त/ विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	चयनित विद्यालयों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बालाघाट	परसवाड़ा	शासकीय	पी.एस. इंगिलश आश्रम परसवाड़ा
2			शासकीय	एम.एस. पौंगारझोड़ी
3			शासकीय	पी.एस. लिंगा
4			शासकीय	पी.एस. पौंडी
5			शासकीय	एम.एस. अरंणिड्या
6			शासकीय	एम.एस. धुर्वा
7		बैहर	शासकीय	पी.एस. आमगहन
8			शासकीय	पी.एस. बन्ना
9			शासकीय	एम.एस. बिरवा
10			शासकीय	पी.एस. खोलवा
11			शासकीय	एम.एस. बिजोरा
12			शासकीय	एन.एम.एस. गोहारा
13			निजी अनुदान प्राप्त	मिशन सह-शिक्षा पी.एस. बैहर
14			निजी अनुदान प्राप्त	मिशन सह-शिक्षा एम.एस. बैहर
15		खेरलांजी	शासकीय	एम.एस. नवेंगांव (खा)
16			शासकीय	एन.एम.एस. चुटिया
17			शासकीय	जी.पी.एस. कुम्हलई
18			शासकीय	जे.पी.एस. कोथुराना
19			शासकीय	जी.बी.पी.एस. आमई
20			शासकीय	जी.एम.एस. आमई
21			निजी अनुदान प्राप्त	मदरसा अंजुमन इस्लामिया आरम्भा
22			निजी अनुदान प्राप्त	अस्वच्छ धन्धा ब्यायज आश्रम खेरलांजी
23		बालाघाट	शासकीय	पी.एस. हरदोली
24			शासकीय	एम.एस. भटेरा
25			शासकीय	एम.एस. हरदोली
26			शासकीय	पी.एस. मानेंगांव
27			शासकीय	पी.एस. हीरापुर
28			शासकीय	एम.एस. डाइट बालाघाट
29			निजी अनुदान प्राप्त	मदरसा गोसिया बालाघाट
30			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल स्कूल भरवेली
31	भोपाल	बैरसिया	शासकीय	जी.एम.एस. बरखेड़ा बरामद
32			शासकीय	जी.पी.एस. रुसल्ली
33			शासकीय	जी.पी.एस. विमुक्ति जाति आश्रम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34			शासकीय	जी.एम.एस. मंगलगढ़
35			शासकीय	जी.पी.एस. दामखेड़ा
36		फण्डा ग्रामीण	शासकीय	जी.एम.एस. जामुनियाकलौं
37			शासकीय	जी.एम.एस. बगरोदा
38			शासकीय	जी.पी.एस. धामनिया
39			शासकीय	जी.पी.एस. मुबारकपुर
40			शासकीय	शासकीय एम.एस. बिलखिरिया
41		फण्डा न्यू सिटी	शासकीय	जी.एम.एस. सिक्योरिटी लाईन
42			शासकीय	जी.एम.एस. ब्यायज बरखेड़ा (भेल)
43			शासकीय	जी.एम.एस. बैरागढ़ नं-1
44			शासकीय	शासकीय पी.एस. सम्राट अशोक
45			शासकीय	शासकीय पी.एस. सुल्तानिया इन्फेन्ट्री
46			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एम.एस. (1-8) ब्राईट कैरियर एमएस, बुधवारा
47			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एम.एस. (1-8) न्यू रानी कमलापति एमएस, बजरिया रोड़
48			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	केन्द्रीय विद्यालय नं-2 शिवाजी नगर
49			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एम.एस. (1-8) सिन्धु मिडिल स्कूल संत कन्वाराम रोड़
50		फण्डा ओल्ड सिटी	शासकीय	जी.पी.एस. फूलमहल (नं.-1)
51			शासकीय	जी.पी.एस. गर्ल्स बरखेडी (लिली टाकीज)
52			शासकीय	जी.एम.एस. द्वारकानगर
53			शासकीय	शासकीय एम.एस. विवेकानन्द
54			शासकीय	शासकीय पी.एस. अलीगंज
55			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एच.एस.एस. (1-12) बाल निकेतन एच.एस.एस., हमीदिया रोड बस स्टैण्ड भोपाल
56			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एम.एस. (1-8) न्यू किलोल एम.एस., कबीतपुरा
57			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एम.एस. (1-8) साधू वासवानी स्कूल बैरागढ़
58			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एच.एस.एस. (1-12) किलोल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, रेजीमेण्ट रोड शाहजहांनाबाद भोपाल
59			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एम.एस. (1-8) नवीन इन्ड्र कामा माध्यमिक शाला मंगलवारा भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एम.एस. (1-8) जवाहर सिंचू एमएस, नियर सब्जी मण्डी बैरागढ़
61	बुरहानपुर	बुरहानपुर	शासकीय	न्यू ब्वायज हिन्दी एम.एस. लालबाग
62			शासकीय	जी.पी.एस. जैनाबाद
63			शासकीय	न्यू एम.एस. बडगाँव माफी
64			शासकीय	मराठी पी.एस. नाचनखेड़ा
65			शासकीय	नागझिरी हिन्दी पी.एस.
66			शासकीय	पी.एस. चुलखान
67			शासकीय	मराठी पी.एस. हथनूर
68			शासकीय	न्यू उर्दू एम.एस. बहादरपुर
69			शासकीय	पुरुषार्थी हिन्दी एम.एस.
70			शासकीय	सुभाष एम.एस. बुरहानपुर
71			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एच.एस.एस. लाल बाग बुरहानपुर
72			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एच.एस.एस. श्री गणेश बुरहानपुर
73			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एच.एस.एस. हकीमिया मल्टीपर्पज बुरहानपुर
74			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एच.एस.एस. गल्स कादरिया बुरहानपुर
75			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एच.एस.एस. अंसार इफतेखार बुरहानपुर
76			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एच.एस.एस. भारती बुरहानपुर
77			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल स्कूल मोहम्मदपुरा
78		खाकनार	शासकीय	पी.एस. खापरखेड़ा
79			शासकीय	न्यू एम.एस. खापरखेड़ा
80			शासकीय	पी.एस. ढाबा
81			शासकीय	पी.एस. खाकनारकलां
82			शासकीय	पी.एस.सातोड
83			शासकीय	एम.एस. पलासुर
84			शासकीय	एम.एस. गल्स खकनार खुर्द
85			शासकीय	न्यू एम.एस.ढाबा
86			शासकीय	पी.एस. खाकनार खुर्द
87			शासकीय	न्यू एम.एस. मॉजरोदकलां
88			निजी अनुदान प्राप्त	नूतन विद्यामंदिर शेखापुर
89			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एचएसएस नेपानगर
90			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल गर्वनमेंट एच.एस.एस. नेपानगर (केन्द्रीय विद्यालय)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	शासकीय	शासकीय एम.एस. खपाभाट
92			शासकीय	शासकीय पी.एस. खेरीभुताई
93			शासकीय	शासकीय एम.एस.गल्स आश्रम नवीन छिन्दवाड़ा
94			शासकीय	शासकीय पी.एस. बर्डाना गांगीवाड़ा
95			शासकीय	शासकीय एम.एस. थुनियावन
96			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल स्कूल
97			निजी अनुदान प्राप्त	एच.एस. जगन्नाथ छिन्दवाड़ा
98			निजी अनुदान प्राप्त	भारती विद्या मन्दिर छिन्दवाड़ा
99			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. मिशन चर्च
100			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. मिशन गल्स टानीगंज
101			निजी अनुदान प्राप्त	ब्यायज पी.एस. जगन्नाथ
102			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. मिशन छोटा बाजार
103		तामिया	शासकीय	शासकीय पी.एस. केवलारी
104			शासकीय	शासकीय एम.एस. दहियर
105			शासकीय	शासकीय पी.एस. घटलिंगा
106			शासकीय	शासकीय पी.एस. नजरपुरकामठी
107			शासकीय	शासकीय एम.एस. मारकाधाना
108			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. मिशन बिजोरी (एडेड)
109		परासिया	शासकीय	शासकीय पी.एस. कैलकचारढाना
110			शासकीय	शासकीय पी.एस. भाजीपानी
111			शासकीय	शासकीय एम.एस. पेंचवैली परासिया
112			शासकीय	शासकीय एम.एस. बाधबर्धिया
113			शासकीय	शासकीय पी.एस. पायली
114			निजी अनुदान प्राप्त	एच.एस.एस. मिशन बड़कुही
115			निजी अनुदान प्राप्त	उर्दू पी.एस.चंदामेट
116		हरई	शासकीय	शासकीय पी.एस. खमतरा
117			शासकीय	शासकीय एम.एस. बम्होरी
118			शासकीय	शासकीय एम.एस. चिखला
119			शासकीय	शासकीय एम.एस. रातेर
120			शासकीय	शासकीय पी.एस. धाधरा
121	दतिया	भाण्डेर	शासकीय	एम.एस. चन्द्रौल
122			शासकीय	एम.एस. नं. 2 भाण्डेर
123			शासकीय	पी.एस. चन्द्रौल
124			शासकीय	पी.एस. सिमथरा
125			शासकीय	एम.एस. बराना
126			शासकीय	पी.एस. नं.-1 भाण्डेर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
127			शासकीय	पी.एस. ब्यायज (एस.सी.) आश्रम भाण्डेर
128			शासकीय	न्यू एम.एस. सुनारी
129		दतिया	शासकीय	न्यू एम.एस. सीतापुर
130			शासकीय	न्यू एम.एस. झड़िय
131			शासकीय	पी.एस. चोपरा
132			शासकीय	न्यू एम.एस. पुलिस लाईन दतिया
133			शासकीय	एम.एस. नं. 6 दतिया
134			शासकीय	एम.एस. इमलिया
135			शासकीय	पी.एस. रामनगर
136			शासकीय	पी.एस. 29 बटालियन दतिया
137			शासकीय	पी.एस. सिविल लाईन पीताम्बरा पीठ
138			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	गर्वनमेंट केन्द्रीय विद्यालय दतिया
139			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड पी.एस. बागेधरी सानी
140			निजी अनुदान प्राप्त	शासकीय एस.सी./एस.टी. पी.एस. शहरयाने (आरईओ)
141			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड पी.एस. पिसनारी
142		सेवढा	शासकीय	पी.एस. कबीर नगर
143			शासकीय	पी.एस. तालपुरा इन्दरगढ़
144			शासकीय	न्यू एम.एस. पिपरउआ
145			शासकीय	न्यू एम.एस. नेतुआपुरा
146			शासकीय	न्यू ब्यायज पी.एस. नहला
147			शासकीय	पी.एस. गल्स आश्रम इन्दरगढ़
148			शासकीय	एम.एस. गल्स इन्दरगढ़
149			शासकीय	गल्स पी.एस. सेवढा
150			शासकीय	न्यू एम.एस. महोनजाट
151	घार	कुक्षी	शासकीय	एन.पी.एस. (ईजीएस) शीतलामाता
152			शासकीय	ए.जे.के.ए. कुक्षी
153			शासकीय	एन.पी.एस. (ईजीएस) बेदीपुरा
154			शासकीय	एम.एस. थुवाटी
155			शासकीय	एस.एस. बांकी
156			निजी अनुदान प्राप्त	वर्धमान जैन बाल मन्दिर कुक्षी
157			निजी अनुदान प्राप्त	साफिया मदरसा कुक्षी
158			निजी अनुदान प्राप्त	स्वामी विवेकानन्द आदिवासी आश्रम जगतलाई
159			निजी अनुदान प्राप्त	डा. भीमराव आम्बेडकर आदिवासी आश्रम खेड़ली
160		बग	शासकीय	एम.एस. खरवाली
161			शासकीय	न्यू एम.एस. जेतगढ़
162			शासकीय	जी.पी.एस. बाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
163			शासकीय	नवीन एम.एस. बाकी
164			शासकीय	पी.एस. बांकी
165			निजी अनुदान प्राप्त	डा. राजेन्द्र प्रसाद आदिवासी आश्रम बेकलिया बाग
166			निजी अनुदान प्राप्त	राजेन्द्र जैन मन्दिर बाग
167			निजी अनुदान प्राप्त	महेश्वर मिडिल स्कूल बाग
168		धार	शासकीय	गल्स एम.एस. नं.-3 धार
169			शासकीय	पी.एस. नं.-4 धार
170			शासकीय	पी.एस. सुनारखेड़ी
171			शासकीय	पी.एस. नं.-8 धार
172			शासकीय	न्यू.एम.एस. बगडीताज
173			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	केन्द्रीय विद्यालय धार
174			निजी अनुदान प्राप्त	श्वेताम्बर महावीर जैन स्कूल धार
175			निजी अनुदान प्राप्त	कमालिया उर्दू धार
176		तिरला	शासकीय	जी.पी.एस. चिकलिया
177			शासकीय	एम.एस. हिम्मतगढ
178			शासकीय	के.ए. गंगानगर
179			शासकीय	एम.एस. मोहनपुरा
180			शासकीय	एम.एस. माण्डली
181	इन्दौर	छेपालपुर	शासकीय	जी.पी.एस. नं.-1 देपालपुर
182			शासकीय	उन्नत जी.एम.एस. देपालपुर
183			शासकीय	जी.एम.एस. जलोदिया ज्ञान
184			शासकीय	जी.पी.एस. नं.-2 बेटमा
185			शासकीय	जी.एम.एस. चान्देर
186		महू	शासकीय	गल्स जी.पी.एस. हसलपुर
187			शासकीय	गल्स जी.एम.एस. हरसोला
188			शासकीय	जी.पी.एस. शेरपुर
189			शासकीय	जी.पी.एस. उमरिया
190			शासकीय	जी.एम.एस. धारनाका
191			निजी अनुदान प्राप्त	मराठी पी.एस. महू
192			निजी अनुदान प्राप्त	मराठी एम.एस. महू
193			निजी अनुदान प्राप्त	मसीही हाईस्कूल रासलपुरा महू
194			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	केन्द्रीय विद्यालय महू
195		इन्दौर	शासकीय	गल्स एम.एस. नेहरू नगर
196			शासकीय	गल्स एम.एस. बीजलपुर
197			शासकीय	गल्स पी.एस.नं.-20 बड़ा गणपति
198			शासकीय	जी.पी.एस. नं.-111 भागीरथपुरा
199			शासकीय	एम.एस. नं. 48 धनवंतरि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
200			निजी अनुदान प्राप्त	शम्भाजी स्मृति बाल मन्दिर हायर सेकेण्ड्री स्कूल इन्दौर
201			निजी अनुदान प्राप्त	सरस्वती महिला शिक्षण सेवा इन्दौर
202			निजी अनुदान प्राप्त	जैन मिडिल स्कूल इन्दौर
203			निजी अनुदान प्राप्त	बाल विनय मन्दिर छत्रीबाग इन्दौर
204			निजी सहायता प्राप्त	श्री महेश्वरी हायर सेकेण्ड्री स्कूल इन्दौर
205		सॉवेर	शासकीय	गल्स जी.पी.एस. क्षिप्रा
206			शासकीय	जी.पी.एस. रंगकराडिया
207			शासकीय	जी.पी.एस. पालिया
208			शासकीय	उन्नत जी.एम.एस. मगरखेड़ा
209			शासकीय	उन्नत जी.एम.एस. रांवेर
210			निजी अनुदान प्राप्त	कस्तूरबा महिला सेवा सदन चन्द्रावती गंज सॉवेर
211	झाबुआ	रानापुर	शासकीय	शासकीय पी.एस. भूतखेड़ी
212			शासकीय	एन.एम.एस. रानापुर (डब्ल्यू-12)
213			शासकीय	शासकीय पी.एस. भूरीमाटी
214			शासकीय	शासकीय एम.एस. भूरीमाटी
215			शासकीय	शासकीय एम.एस. बुनियादी एसएन-1 रानापुर
216			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. माता चामुण्डा आदिवासी वागी
217			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एच.एस. निर्मला भूरीमाटी रानापुर
218			निजी अनुदान प्राप्त	इन्दिरा गांधी बायज आश्रम धामनी चामना
219			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट एच.एस. विद्या मन्दिर रानापुर
220			निजी अनुदान प्राप्त	एम.एस. ग्राम स्वराज आश्रम माण्डलीनाथू
221			निजी अनुदान प्राप्त	एम.एस. शबरी गल्स आश्रम माण्डलीनाथू
222		रामा	शासकीय	एन.एम.एस. गोलाबाड़ी
223			शासकीय	पी.एस. कोकावद
224			शासकीय	पी.एस. झारन्या
225			शासकीय	पी.एस. स्कूल एफ. नवापाडा (मचालिया)
226			शासकीय	जी.एम.एस. कालीदेवी
227			निजी अनुदान प्राप्त	जी.पी.एस. इन्दिरा गांधी आश्रम झके

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
228			निजी अनुदान प्राप्त	राजीव गांधी ब्वायज आश्रम रहेन्दा
229		मेघनगर	शासकीय	शासकीय पी.एस. उपशाला मेघनगर
230			शासकीय	शासकीय एम.एस. नोगांव
231			शासकीय	शासकीय पी.एस. गोपालपुरा
232			शासकीय	शासकीय एस.बी. एम.एस. रम्भापुर
233			शासकीय	शासकीय एम.एस. गुडाछोटा
234		झाबुआ	शासकीय	पी.एस. खेड़ी
235			शासकीय	पी.एस. मौजीपाड़ा
236			शासकीय	पी.एस. रातीतलाई वार्ड-11 झाबुआ
237			शासकीय	एन.एम.एस. गेलारबाड़ी
238			शासकीय	एम.एस. रातीतलाई वार्ड-11 झाबुआ
239			निजी अनुदान प्राप्त	राजीव गांधी एम.एस. आश्रम किशनपुरी
240			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल स्कूल झाबुआ
241	मुरैना	अम्बाह	शासकीय	शासकीय एम.एस. दिमनी
242			शासकीय	शासकीय पी.एस. (ईजीएस) खोखल का पुरा
243			शासकीय	शासकीय पी.एस. कोडार
244			शासकीय	शासकीय एम.एस. माताबन्दाका पुरा
245			शासकीय	शासकीय एन.पी.एस. खेरा
246			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. चिरपुरा
247			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. बहादुरकापुरा
248			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. भोलाराम का पुरा
249		पोरसा	शासकीय	शासकीय एम.एस. गढ़िया रायपुर
250			शासकीय	शासकीय (ईजीएस) पटेल का पुरा
251			शासकीय	शासकीय पी.एस. गोपालपुरा
252			शासकीय	शासकीय जी.पी.एस. महुआ
253			शासकीय	शासकीय जी.एम.एस. राछेड
254			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. रायचंद का पुरा
255			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. गांधीनगर पोरसा
256		मुरैना	शासकीय	शासकीय पी.एस. गुलेन्द्री
257			शासकीय	शासकीय एम.एस. नं-4
258			शासकीय	शासकीय पी.एस. नरिहई का पुरा
259			शासकीय	शासकीय एम.एस. कोठे का पुरा
260			शासकीय	शासकीय एम.एस. जीगनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
261			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. सिहोरा
262			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. सर्वोदय संगीत स्कूल
263			निजी अनुदान प्राप्त	एम.एस. एम.जी.बी.क्यू.ए.एम.यू. मुरैना
264			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. के एस मुरैना
265		कैलारस	शासकीय	शासकीय एम.एस. कोटसिरथरा
266			शासकीय	शासकीय पी.एस. परनसुककापुरा
267			शासकीय	शासकीय पी.एस. सुरपुरा
268			शासकीय	शासकीय एम.एस. सुजर्मा
269			शासकीय	शासकीय एम.एस. वीरावली
270			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. गरमोरा
271	पन्ना	अजयगढ़	शासकीय	शासकीय एम.एस. बगहा
272			शासकीय	एम.एस. तरोनी
273			शासकीय	यूई.जी.एस. मेंहदी का पुरवा
274			शासकीय	यूई.जी.एस. धोबिन पुरवा
275			शासकीय	पी.एस. गडरियनपुरवा बन्हारी
276			शासकीय	पी.एस. उर्दू अमरची
277			शासकीय	पी.एस. नारायनछुआ
278		गुन्नौर	शासकीय	यूई.जी.एस. हरिजन बस्ती पटनाकलौ
279			शासकीय	पी.एस. धरवारा
280			शासकीय	पी.एस. भटनवारा
281			शासकीय	पी.एस. घटारी
282			शासकीय	एम.एस. तिघरा बुजुर्ग
283			शासकीय	एम.एस. पिपरवाह
284			शासकीय	एम.एस. छपरवारा
285		पवई	शासकीय	एम.एस. ब्यायज हथकुरी
286			शासकीय	एम.एस. ब्यायज कृष्णगढ़
287			शासकीय	पी.एस. जगदीशपुरा
288			शासकीय	पी.एस. गल्स टिकरिया
289			शासकीय	एम.एस. बोदा
290			शासकीय	पी.एस. गुड़मनिया
291			शासकीय	एम.एस. नन्ही पवई
292		पन्ना	शासकीय	एम.एस. गल्स बृजपुर
293			शासकीय	पी.एस. बामुरी
294			शासकीय	पी.एस. राजापुर
295			शासकीय	पी.एस. दमचुआ
296			शासकीय	एम.एस. सिलगी
297			शासकीय	एम.एस. सिरस्वाह
298			शासकीय	एम.एस. हीरापुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
299			વિનિર્દિષ્ટ પ્રવર્ગ	સેન્ટ્રલ સ્કૂલ
300			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	એસ.કે.એન. ધામ
301	રતલામ	સૈલાના	શાસકીય	પી.એસ. કપાસિયા
302			શાસકીય	પી.એસ. બાન્દ્રિયા કમાલ
303			શાસકીય	પી.એસ. બખતપુરા ખુર્ડ
304			શાસકીય	જી.એમ.એસ. અમરગઢ
305			શાસકીય	નવીન એમ.એસ. જમદાભિલાન
306		આલોટ	શાસકીય	જી.એમ.એસ. થૂરિયા
307			શાસકીય	જી.એમ.એસ. કોટકરાડિયા
308			શાસકીય	પી.એસ. નારાયનગર
309			શાસકીય	પી.એસ. આલાખેડા
310			શાસકીય	એમ.એસ. બાપચા
311		રતલામ	શાસકીય	પી.એસ. બડોડા
312			શાસકીય	એમ.એસ. અલકાપુરી
313			શાસકીય	પી.એસ. ઘટવાસ
314			શાસકીય	પી.એસ. ચાવરા
315			શાસકીય	એમ.એસ. બરોદિયા
316			શાસકીય	એમ.એસ. બમ્હોરી
317			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	પી.એસ. ગુજરાતી સમાજ
318			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	પ્રાઇવેટ એચ.એસ.એસ. એમજીએમ ઉર્દૂ રતલામ
319			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	પી.એસ. શંકર રતલામ
320			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	પી.એસ. સેરનિયા રતલામ
321			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	પી.એસ. એમજીએમ ઉર્દૂ રતલામ
322			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	એમ.એસ.જી. જૈન સ્કૂલ રતલામ
323			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	એમ.એસ. મસીહી સ્કૂલ રતલામ
324			વિનિર્દિષ્ટ પ્રવર્ગ	સેન્ટ્રલ ગવર્નમેણ્ટ એચ.એસ.એસ. (કેન્દ્રીય વિદ્યાલય) રતલામ
325		જાવરા	શાસકીય	એમ.એસ. મુણ્ડલારામ
326			શાસકીય	પી.એસ. હૂનખેડી
327			શાસકીય	એમ.એસ. વીરપુરા
328			શાસકીય	એમ.એસ. મોયાખેડા
329			શાસકીય	પી.એસ. અર્જલા
330			નિજી અનુદાન પ્રાપ્ત	પ્રાઇવેટ એચ.એસ.એસ. વેણુગોપાલ જાવરા
331	શહડોલ	બુઢાર	શાસકીય	પી.એસ. બચરવાર
332			શાસકીય	એમ.એસ. જરવાહી
333			શાસકીય	પી.એસ. મૌહર ટોલા
334			શાસકીય	એમ.એસ. સાબો બર્સ્ટી
335			શાસકીય	પી.એસ. કોલાન ટોલા

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
336		गोहपारू	शासकीय	एम.एस. देवगढ़
337			शासकीय	पी.एस. दियापीपर
338			शासकीय	पी.एस. लोडी
339			शासकीय	एम.एस. पटोरी
340			शासकीय	एम.एस. बेती
341		जयसिंह नगर	शासकीय	पी.एस. देवरा रोड
342			शासकीय	पी.एस. झारा
343			शासकीय	पी.एस. बड़काटोला
344			शासकीय	एम.एस. बार टोला
345			शासकीय	पी.एस. पोण्डीकला
346			निजी अनुदान प्राप्त	प्राइवेट आदिवासी गर्ल्स शिक्षा परिसर
347			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड एचएसएस. गर्ल्स एडीआई परिसर
348			निजी अनुदान प्राप्त	एम.एस. आवासीय हाईस्कूल
349			निजी अनुदान प्राप्त	एम.एस. आवासीय आदिवासी टिकही
350			निजी अनुदान प्राप्त	एडेड आदिवासी गर्ल्स शिक्षा परिसर
351			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. एडेड आदर्श आदिवासी कन्या परिसर
352			निजी अनुदान प्राप्त	पी.एस. एडेड आदर्श आदिवासी कन्या परिसर
353		सोहागपुर	शासकीय	एम.एस. कन्या शिक्षा परिसर
354			शासकीय	पी.एस. हर्री
355			शासकीय	पी.एस. बंधवाटोला खोह
356			शासकीय	एम.एस. भानपुर
357			शासकीय	एम.एस. नौगवाँ
358			शासकीय	एम.एस. निपनिया
359			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल स्कूल
360			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	सेन्ट्रल स्कूल
361	सिंगरौली	चितरंगी	शासकीय	पी.एस. बड़कुड़
362			शासकीय	एम.एस. चकरिया
363			शासकीय	पी.एस. देवरी
364			शासकीय	एम.एस. महदेईया
365			शासकीय	यूई.जी.एस. एंगूरा
366			शासकीय	पी.एस. बावडी
367			शासकीय	यूई.जी.एस. मौहरिया
368			शासकीय	एच.आर.एस. गोरबी
369			शासकीय	एम.एस. बड़कुड़
370		देवसर	शासकीय	पी.एस. बरगवाँ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
371			शासकीय	पी.एस. भलूही
372			शासकीय	एम.एस. गलर्स बरगवॉ
373			शासकीय	पी.एस. बाघाडीह
374			शासकीय	एम.एस. जोगिनी
375			शासकीय	यू.ई.जी.एस. खदिहवा ठोला बाघाडीह
376			शासकीय	एम.एस.बहेरवादंद
377			शासकीय	एम.एस. पोखरा
378			शासकीय	एम.एस. बरगवॉ
379		बैढ़न	शासकीय	यू.ई.जी.एस. मानिकचौरा
380			शासकीय	एम.एस. पोड़ीनौगाई
381			शासकीय	एम.एस. रैला
382			शासकीय	पी.एस. करामी
383			शासकीय	एम.एस. परसौना
384			शासकीय	पी.एस. धुरीताल
385			शासकीय	पी.एस. एटमा
386			शासकीय	एम.एस. चिनगीटोला
387			शासकीय	एम.एस. ब्यायज बैढ़न
388			शासकीय	पी.एस. ब्यायज माड़ा
389			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	केन्द्रीय विद्यालय सी.डब्ल्यू.एस. जयंत, सिंगरौली
390			विनिर्दिष्ट प्रवर्ग	केन्द्रीय विद्यालय सिंगरौली

परिशिष्ट 3.1

संदर्भ: कंडिका 3.1.2, पृष्ठ 20)

नमूना जांच किये गये जिलों में 2015–16 के दौरान शैक्षिक संकेतकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सं. क्र	जिलों का नाम	जी.ई.आर.		इपाइट दर		अवधारण दर		औसत उपरिक्षिति		प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की दर्जिशन दर
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	
1	बालाधार	104.3	98.1	01.40	01.10	98.60	98.90	88.70	90.20	99.80
2	भोपाल	110.07	102.56	4.77	3.86	95.23	96.14	99.90	99.92	88.28
3	बुरहानपुर	99.28	98.97	8.82	8.40	91.18	91.60	86	85.29	82.49
4	छिन्दवाड़ा	108.64	94.12	2.70	6.19	89.13	95.95	—	—	97.20
5	दतिया	103.74	96.97	13.35	07.08	78.34	82.31	—	—	85.02
6	घार	99.7	93.7	0.84	0.86	96.40	98.70	84.5	86.7	68.84
7	इन्दौर	121.00	115.00	01.70	02.90	98.29	97.10	74.67	76.87	95
8	झाबुआ	108.24	78.14	11.57	13.66	84.10	84.60	—	—	71.59
9	मुरैना	103.5	103.8	0.27	0.28	99.73	99.72	67	70	92.29
10	पन्ना	114.2	104.2	9.5	6.3	100	—	72	64	100
11	रतलाम	99.89	99.75	9.82	5.24	96.25	95.45	58.5	61.5	87.01
12	शहडोल	104	93.37	3.15	4.49	96.85	95.51	83.35	87.65	96.00
13	सिंगरारी	107.1	105.9	3.8	6.2	97	92	65	68	92.00

(स्रोत: नमूना जांच किये जिलों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.2**संदर्भ: कंडिका 3.3, पृष्ठ 24)****नमूना जांच किये गये जिलों में विद्यालयीन सुविधा रहित बसाहटें****(आंकड़े संख्या) में**

स.क्र.	विवरण	2012–13	2015–16
1	कुल बसाहटें	12187 (पॉच जिले)	5976 (तीन जिले)
प्राथमिक स्तर			
2	एक कि.मी. में प्राथमिक विद्यालय वाली बसाहट	11225	5860
3	एक कि.मी. में बिना प्राथमिक विद्यालय वाली बसाहट	431	116
4	राज्य के मानदण्ड अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिये पात्र बसाहट	128	02
5	बसाहट जो प्राथमिक विद्यालय हेतु पात्र नहीं थी	303	114
6	ऐसी बसाहटों में बच्चों की संख्या (4) एवं (5)	14161	2071
उच्च प्राथमिक स्तर (कुल बसाहटें)		12975 (छ: जिले)	7673 (चार जिले)
7	तीन कि.मी. में उच्च प्राथमिक विद्यालय सुविधावाली बसाहट	9745	7449
8	तीन कि.मी. में बिना उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा वाली बसाहट	3230	224
9	राज्य के मानदण्ड अनुसार पात्र बसाहट	64	4
10	राज्य के मानदण्ड अनुसार अपात्र बसाहट	3166	220
11	बसाहट में बच्चों की संख्या	6837	2056

(स्रोत: नमूना जांच किये जिलों की ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.)

परिशिस्ट 3.3

संदर्भ: कांडिका 3.7.1, पृष्ठ 35)

प्रशिक्षण में शामिल एवं मुख्य धारा में जोड़े गये शाला से बाहर के बच्चों की दर्शित रिथाति

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	प्रशिक्षण	पी.ए.बी. द्वारा अनुमोदित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत लक्ष्य	प्रशिक्षण में नामंकित बच्चों की संख्या	बच्चों की संख्या (रुलाख में)	वित्तीय केन्द्रों की संख्या	वित्तीय (रुलाख में)	प्रशिक्षण में जोड़ गये विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या (प्रतिशत)	मुख्य धारा में जोड़ गये विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या (प्रतिशत)	वी.ई.आर. के अनुसार पहचान किये गये विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	नियार्थी रत लक्ष्य	कावरेज में अंतर
2011–12	आर.एस.टी. एन.आर.एस.टी.	41589 16533	5086.10 330.66	41589 16533	832 1654	5086.10 330.66	35552 15475	27191 9489	70486	65322	5164	
	सीजनल छात्रावास प्लॉटफार्म स्कूल / मानव विकास केन्द्र	85557 6700	752.85 324.00	500 6700	. 261	487.65 324.00	0 4422	0 2729				
	योग	73379	6493.61	65322	2747	6228.41	55449(85)	39409(71)	70486	65322	5164	
2012–13	आर.एस.टी. एन.आर.एस.टी.	53511 61595	7991.03 1847.85	53511 61595	1070 6160	7991.03 1847.85	39727 141297	15927 82639	126485	12146 5	5020	
	सीजनल छात्रावास	6359	317.95	6359	127	317.95	2958	2958				
	योग	121465	10156.83	121465	7357	10156.83	183982(151)	101524(55)	126485	12146	5020	
2013–14	आर.एस.टी. एन.आर.एस.टी.	29984 11447	3598.56 171.71	29984 11447	600 1145	3598.56 171.71	22685 15875	18085 11810	74415	47682	26733	
	सीजनल छात्रावास	6251	200.03	6251	.	200.03	4304	4304				
	योग	47682	3970.30	47682	1745	3970.30	42864(90)	34199(80)	74415	47682	26733	
2014–15	आर.एस.टी. एन.आर.एस.टी.	22288 12285	2700.79 184.275	22288 12285	447 615	2700.79 184.275	14688 14705	10655 11059	63587	39262	24325	
	सीजनल छात्रावास	4689	150.048	4689	95	150.048	4091	4091				
	योग	39262	3035.11	39262	1157	3035.11	33484(85)	25805(77)	63587	39262	24325	
2015–16	आर.एस.टी. एन.आर.एस.टी.	6600 21386	1320 320.79	6600 21386	51 1069	1320 320.79	3970 12700	3321 10283	101234	39245	61989	
	सीजनल छात्रावास	11259	548.03	11259	.	548.03	4903	4903				
	योग	39245	2188.82	39245	1120	2188.82	18507(55)	18507(86)	101234	39245	61989	

आर.एस.टी.–आवासीय विशेष प्रशिक्षण, एन.आर.एस.टी.– गैर– आवासीय विशेष प्रशिक्षण
(स्पोट. ए.डब्ल्यू.पी. एड बी. एवं आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.4

संदर्भ: कंडिका 3.7.1, पृष्ठ 36)

नमूना जांच किये जिलों में विद्यालय से बाहर के बच्चों, प्रशिक्षण एवं विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(आंकड़े संख्या में)

सं. क्र.	जिले का नाम	2010–16 में विद्यालय से बाहर के बच्चे एवं प्रशिक्षण		2010–15 में विद्यालय से बाहर के बच्चे एवं मुख्यधारा	
		विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या	प्रशिक्षित विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या	मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दी गई विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या
1	बालाघाट	5050	362	4542	617
2	भोपाल	5952	2837	5553	1957
3	बुरहानपुर	14351	8045	12559	1425
4	छिन्दवाड़ा	6509	5515	5987	4928
5	दतिया	1709	1198	1587	670
6	धार	14314	7163	10885	4224
7	इन्दौर	8870	2219	7936	2061
8	झाबुआ	36210	122	29602	19878
9	मुरैना	8487	0	7566	0
10	पन्ना	3240	0	2731	1587
11	रतलाम	8659	6975	8584	3206
12	शहडोल	1429	1538	1044	1078
13	सिंगरौली	0	103	0	0
	योग	114780	36077	98576	41631

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जिलों की ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. एवं जिलों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 4.1

संदर्भ: कंडिका 4.1.1, पृष्ठ 48)

नमूना जांच किये जिलों में प्रतिकूल पी.टी.आर. वाले प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(आंकड़े संख्या में)

सं. क्र	जिले का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या	प्रतिकूल पी.टी. आर. वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्रतिकूल पी.टी.आर. वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1	बालाघाट	2011	780	180	407
2	भोपाल	823	374	127	168
3	बुरहानपुर	521	214	230	137
4	छिन्दवाड़ा	2689	1045	130	157
5	दतिया	872	384	163	207
6	धार	3319	856	781	292
7	इन्दौर	1114	591	126	85
8	झाबुआ	1989	427	1123	192
10	पन्ना	1627	714	137	203
11	रतलाम	1623	561	306	176
12	शहडोल	1630	494	475	325
13	सिंगराँली	1518	509	297	146
	योग	19736	6949	4075	2495

(स्रोत: यू-डाइस)

ਪਰਿਸ਼ਿ਷ਟ 4.2

ਸੰਦਰ्भ: ਕਾਂਡਿਕਾ 4.1.1, ਪ੃਷ਠ 48)

ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਕਿਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਵਿਦਾਲਿਆਂ ਏਵਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਵਿਦਾਲਿਆਂ ਕੀ ਸੰਖਧਾ ਕੋ ਦਰਸਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਰਣ ਪਤ੍ਰਕ

(ਆਂਕਡੇ ਸੰਖਧਾ ਮੌ)

ਸ.ਕ੍ਰ	ਜਿਲੇ ਕਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਵਿਦਾਲਿਆਂ ਕੀ ਸੰਖਧਾ	ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਰ. ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਵਿਦਾਲਿਆਂ ਕੀ ਸੰਖਧਾ
1	ਬਾਲਾਘਾਟ	2	2
2	ਮੋਪਾਲ	0	3
3	ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ	8	7
4	ਛਿੰਦਵਾੜਾ	6	7
5	ਦਤਿਆ	3	4
6	ਧਾਰ	5	4
7	ਇੰਦੌਰ	0	1
8	ਯਾਬੁਆ	11	1
9	ਮੁਰੈਨਾ	5	6
10	ਪਨਾ	4	10
11	ਰਤਲਾਮ	4	6
12	ਸ਼ਹੌਲ	3	7
13	ਸਿੰਗਰੌਲੀ	6	9
	ਯੋਗ	57	67

(ਸਤ੍ਰੋਤ: ਵਿਦਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨਕਾਰੀ)

परिशिष्ट 4.3

संदर्भ: कंडिका 4.5, पृष्ठ 51)
शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लक्ष्य एवं प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(आंकड़े संख्या में)

संक्र.	प्रशिक्षण की प्रकृति	वर्ष									
		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	बीआरसी रस्तर पर रिफेसर सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण एवं 10 दिवसों से अधिक	139482	96392	147026	82284	196713 दिवस)	(5)	178645	-	-	-
2	एक दिन मासिक कलस्टर स्तर की बैठक और 10 माहों के लिये हर साल बीआरसी रस्तर पर सभी शिक्षकों के लिये सहकर्मी समूह प्रशिक्षण सत्र –8 दिवस	278943	135191	112051	108097	-	-	-	-	-	-
3	नये भर्ती शिक्षकों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण 15 एवं 30 दिवस	91655	(15 दिवस)	(15 दिवस)	0	24411 (30 दिवस)	(30 दिवस)	68011 (30 दिवस)	20746	-	-
4	दो वर्ष की अवधि में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिये अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष 60 दिवसों की दूरस्थ शिक्षा में सम्पूर्ण सत्र	13584	7600	15101	7600	-	-	-	-	-	-
5	प्रत्येक वर्ष 10 दिवसों के लिये सभी संसाधन व्यक्तियाँ, मास्टर प्रशिक्षकों, बीआरसी एवं बीआरसी संकाय और समनचयकों के लिये रिफेशर प्रशिक्षण	20147	0	8452	8452	-	-	-	-	-	-
6	प्रधान अध्ययापक – रिफेशर आवासीय सेवाकालीन बीआरसी रस्तर पर 10 दिन के लिए एवं अधिक	-	-	14724	14724	-	-	-	-	-	-
7	दो दिवस के लिये कलस्टर रस्तीय बैठक	-	-	-	-	196713	196713	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	बीआरसी स्तर पर कक्षा I एवं II के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹ 100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	70360	70360	-	-
9	सीआरसी स्तर पर कक्षा I एवं II के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹ 100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	70360	70360	-	-
10	बीआरसी स्तर पर कक्षा III, IV एवं V के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹ 100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	70360	70360	-	-
11	सीआरसी स्तर पर कक्षा III, IV एवं V के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹ 100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	70360	70360	-	-
12	बीआरसी स्तर पर कक्षा VI , एवं VII , VIII (गणित एवं विज्ञान) के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹ 100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	17234	17234	-	-
13	बीआरसी स्तर पर कक्षा VI , एवं VII , VIII (गणित एवं विज्ञान) के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹ 100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	17234	17234	-	-
14	समस्त समाधान व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण (अदिवस प्रतिदिन ₹100 की दर से)	-	-	-	-	-	-	5152	5152	-	-
15	बीआरसी स्तर पर रिफेसर सेवाकालीन प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	58564	0
i	कक्षा I एवं II	-	-	-	-	-	-	71370	0	-	-
ii	कक्षा III एवं V	-	-	-	-	-	-	70360	0	-	-
iii	कक्षा VI एवं VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	58564	0
16	सीआरसी स्तर पर बैठकों का पालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	कक्षा I एवं II	-	-	-	-	-	-	-	-	125946	125946
ii	कक्षा III एवं V	-	-	-	-	-	-	-	-	70360	70360
iii	कक्षा VI एवं VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	58564	58564

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	मास्टर ट्रेनर्स एवं संसाधन व्यवितरणों के लिए प्रशिक्षण (इसमें श्री.आर.सी.सी., श्री.आर.पी.एस., श्री.आर.सी.सी., डॉ.इट फैफल्टी एवं अन्य व्यवित जो संसाधन व्यवित के रूप में नामित हो)										
i	कक्षा I एवं II	-	-	-	-	-	-	-	-	800	0
ii	कक्षा III एवं V	-	-	-	-	-	-	-	-	800	0
iii	कक्षा VI एवं VII	-	-	-	-	-	-	-	-	510	0
18	एन्हूईपीए विद्यालय नेतृत्व कार्ग्रहम	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.
i	आर.पी. प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ii	प्रधान अध्यापक प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
	योग	543811	239183	321765	221157	461437	396104	321060	321060	457874	255470

(स्नोतः आर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 5.1

संदर्भ: कंडिका 5.1, पृष्ठ 58)

नमूना जांच किये गये विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(आंकड़े संख्या में)

सं. क्र	जिले का नाम	ग्रमण किए गये विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक शिक्षक एक कक्षा एवं कार्यालय सह प्रधान अध्यापक कक्ष	बाधा रहित पहुँच	बालक बलिकाओं के लिये अलग शौचालय	सुरक्षित एवं पायापूर्ति का पानी	रसोई शेड	खेत का मैदान	बाउण्ड्रीवाल / केसि ग
1	बालाघाट	30	05	21	09	03	03	08	17
2	भोपाल	30	02	25	02	01	17	10	16
3	बुरहानपुर	30	05	27	05	01	17	06	15
4	छिन्दवाड़ा	30	01	03	03	0	03	04	15
5	दतिया	30	10	28	10	03	15	06	10
6	धार	30	13	26	06	04	16	09	20
7	इन्दौर	30	03	20	06	04	15	10	12
8	आबुआ	30	10	17	03	0	09	12	17
9	मुरैना	30	04	16	03	03	11	08	15
10	पन्ना	30	04	13	04	05	08	10	20
11	रतलाम	30	06	20	09	09	17	05	18
12	शहडोल	30	02	05	05	0	07	04	13
13	सिंगरीती	30	05	13	13	04	07	13	20
	योग	390	70	234	78	37	145	105	208

(लेटेट: विद्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 5.2

संदर्भ: कंडिका 5.1. पृष्ठ 58)

नमूना जांच किये गये विद्यालयों में जिलेवार अनुपलब्ध सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(आंकडे संख्या में)

संक्र	जिले का नाम	भ्रमण किए गये विद्यालयों की संख्या	स्कूल भवन अच्छी हालत में	प्रयोग करने योग्य शोचालय	पुस्तका लय सुविधाये	विद्युत सलाई	कम्प्यूटर	फहुँच मार्फ	डेटक में बैठक व्यवस्था	दिवांग अनुकूल शोचालय
1	बालाघाट	30	01	06	03	22	27	06	25	28
2	भोपाल	30	04	0	02	12	20	01	21	25
3	बुरहानपुर	30	0	0	03	11	16	05	26	28
4	छिद्वाड़ा	30	04	02	04	17	24	02	17	17
5	दतिया	30	05	04	10	21	26	04	25	28
6	धार	30	02	03	16	16	25	03	23	28
7	इन्दौर	30	05	01	10	12	18	01	13	25
8	झाबुआ	30	02	01	16	16	21	04	19	26
9	मुरैना	30	06	01	15	25	27	05	27	28
10	पन्ना	30	07	02	10	23	24	02	29	24
11	रतलाम	30	03	07	13	19	23	04	18	28
12	शहडोल	30	04	04	15	18	20	01	25	26
13	सिंगरारी	30	08	06	16	19	25	05	27	21
	योग	390	51	37	133	231	296	43	295	332

(लेटो: विद्यालयों क्षारा प्रदाय की गई जानकारी)

परिशिष्ट 5.3

मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच किये गये जिलों में अपूर्ण निर्माण कार्यों की स्थिति
संदर्भ: कंडिका 5.2.2, पृष्ठ 62)

सं. क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्य की अवधि	कार्यों की कुल संख्या	(₹ करोड़ में)	कार्यों का विवरण (संख्या में)						
					जारी राशि	(₹ करोड़ में)	अतिरिक्त कक्ष	प्रधानाध्याक्ष कक्ष	बालिका शोचालय	भवन	पीने का पानी
1	बालाघाट	2005-15	203	3.87	98	2	.	.	.	103	.
2	भोपाल	2015-16 तक	184	.	124	22	.	.	03	12	23
3	बुरहानपुर	2003-13	94	2.43	87	07	.
4	छिंदवाड़ा	2010-15	106	4.86	42	15	.	.	.	49	.
5	दतिया	2003-15	137	5.25	90	16	.	.	1	30	.
6	धार	2007-15	409	2.81	286	50	.	.	28	45	.
7	इन्दौर	2007-15	123	4.23	103	11	.	.	02	07	.
8	झाबुआ	2007-16	316	9.55	241	21	.	.	17	37	.
9	मुरैना	2002-15	159	.	95	64	.
10	रतलाम	2007-16	648	7.86	202	35	345	28	38	.	.
11	सिंगरारी	2007-15	342	14.95	81	32	.	.	229	.	.
योग			2721	55.81	1449	204	345	79	621	23	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जिलों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 5.4

संदर्भ: कंडिका 5.2.2, पृष्ठ 62)
मार्च 2016 की स्थिति में नमूना जांच किये गये जिलों में अपारम्भ निर्माण कार्यों की स्थिति

सं. क्र	जिलों का नाम	स्वीकृत कार्य की अवधि	कार्यों की कुल संख्या	जारी राशि (₹ लाख में)	कार्यों का विवरण (संख्या में)			
					अतिरिक्त कक्ष	प्रधानाध्यापक कक्ष	बालिका शौचालय	पीने का पानी
1	भोपाल	2015–16 तक	69	.	68	1	—	—
2	बुरहानपुर	2010–12	10	27.02	09	0	—	—
3	धार	2007–15	95	84.93	34	1	—	—
4	इन्हौर	2007–13	82	.	60	22	—	—
5	दतिया	2006–13	47	73.26	23	5	1	17
6	झाबुआ	2007–13	24	.	21	0	—	2
7	मुरैना	2004–15	21	49.48	6	0	—	15
8	रतलाम	2009–15	29	14.18	13	1	12	3
9	शहडोल	2010–13	23	64.03	15	8	—	—
10	सिंभारेली	2001–12	23	64.11	11	4	—	8
	योग		423	377.01	260	42	13	17
							5	86

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जिलों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 5.5

संदर्भ: कंडिका 5.8, पृष्ठ 73
विद्यार्थियों की भाषा, गणित एवं अंग्रेजी विषय में योग्यता से संबंधित एनडलाइन टेस्ट (कक्षा I से VIII) के परिणाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक (प्रतिशत में)

कक्षा	भाषा का स्तर			गणित भाग-1			गणित भाग-2			गणित भाग-3			अंग्रेजी का स्तर								
	प्रारंभिक	वर्ण	शब्द	अनुच्छेद	कहानी	प्रारंभिक	अंक	संख्या पहचान (1-9)	जोड़	घटाना	गुण	भाग	मापन	जगामितीय आकृतियां	प्रारंभिक	बढ़े अंक	छोटे अंक	शब्द	सरल वाक्य		
कक्षा- I	57	35	6	1	1	51	37	12	12	4	2	2	42	58	16	84	59	25	13	2	1
कक्षा- II	24	45	23	5	2	22	42	36	24	12	5	2	54	46	21	79	27	38	29	6	1
कक्षा- III	14	33	30	13	9	16	33	51	36	24	12	5	63	37	29	71	17	35	33	13	3
कक्षा- IV	10	24	29	19	19	14	28	58	40	31	22	11	68	32	36	64	13	30	32	19	6
कक्षा- V	8	17	25	21	29	13	23	64	41	35	29	20	72	28	43	57	10	25	29	24	11
कक्षा- VI	9	16	20	20	35	12	22	66	47	38	33	26	74	26	44	56	13	24	27	22	15
कक्षा- VII	7	12	18	20	42	11	19	70	47	41	36	32	76	24	50	50	10	20	24	25	21
कक्षा- VIII	6	10	15	20	49	11	16	73	47	43	40	39	79	21	56	44	8	16	21	27	28
कुल	16	23	21	15	24	18	27	55	37	29	23	18	67	33	37	63	19	26	18	11	

(स्रोत: आर.एम.के. द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 7.1

संदर्भ: कंडिका 7.8, पृष्ठ 91)

नमूना जांच किये गये विद्यालयों में देखी गयी विसंगतियों की स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

संक्र.	मद	नमूना जांच किए गए विद्यालयों की संख्या
1	नामांकन	10
2	शिक्षकों की स्थिति	22
3	बालकों के शौचालय	22
4	बालिकाओं के शौचालय	22
5	बालकों के शौचालय, पानी की सुविधा सहित	34
6	बालिकाओं के शौचालय, पानी की सुविधा सहित	36
7	पीने के पानी की सुविधा	9
8	खेल का मैदान	19
9	विद्युत	31
10	प्रधानाध्यापक कक्ष	38
11	बाउण्ड्रीवाल	24
12	पुस्तकालय में पुस्तकें	50
13	रैम्प	33
14	शाला विकास योजना की तैयारी	76
15	एस.एम.सी. बैठक का आयोजन	59
16	रसोई शेड	40
17	सी.डब्ल्यू.एस.एन. बच्चों हेतु शौचालय की व्यवस्था	27

(स्रोत: यू-डाइस एवं भौतिक सत्यापन)

संक्षिप्तों की शब्दावली

संक्षिप्त	पूर्ण रूप (फुल फार्म)
एसीटीडी	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
एडीआईपी	निःशक्त व्यवित्रियों को सहायता
एपीसी	सहायक परियाजना समन्वयक
एपीएल	गरीबी रेखा के ऊपर
एडब्ल्यूपीएण्डबी	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट
बीईईओ	विकासखण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
बीईओ	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
बीएलओ	बूथ लेवल ऑफिसर
बीआरसी	विकासखण्ड संसाधन केन्द्र
बीआरसीसी	विकासखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक
सीएएल	कम्प्यूटर एडेड लर्निंग
सीसीई	व्यापक और सतत मूल्यांकन
सीईओ	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सीडब्ल्यूएसएन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
डीईएलईडी	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
डीआईईटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डीपीसी	जिला परियोजना समन्वयक
डीपीआई	लोक शिक्षण संचालनालय
ईसीसीई	आरंभिक बाल्यकाल देखभाल एंव शिक्षा
एफसी	वित्त आयोग
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीओआई	भारत सरकार
जीओएमपी	मध्य प्रदेश सरकार
एचएचएस	परिवार सर्वेक्षण
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
आईजीएनओयू	इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी
केवी	केन्द्रीय विद्यालय
एमडीजी	मिलिनियम डेवलपमेंट गोल
एमआईएस	मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम
एमओएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमपीआरटीई रूल	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011
एमआरसी	मोबाइल रिसोर्स कन्स्टलटेंट

एनएएस	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ	राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा
एनसीएलपी	राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना
एनसीपीसीआर	राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग
एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
एनईआर	निवल नामांकन अनुपात
एनआईसी	नैशनल इन्फारमेटिक सेंटर
एनपीईजीईएल	नैशनल प्रोग्राम फार एज्यूकेशन आफ गल्स एट इलीमेंटरी लेवल
ओओएससी	विद्यालय से बाहर के बच्चे
पीएबी	परियोजना अनुमोदन बोर्ड
पीपीएसडब्ल्यूओआर	प्रोबेबिलिटि प्रोपोर्सनेट सैम्पिलिंग विदआउट रिप्लेसमेंट
पीआरडीडी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पीएस	प्राथमिक विद्यालय
पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात
आरएसके	राज्य शिक्षा केन्द्र
आरटीईएक्ट	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
एससीईआरटी	राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद
एससीपीसीआर	राज्य बालक संरक्षण आयोग
एससीआर	छात्र-कक्षा अनुपात
एसएलएएस	राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एसएमसी	विद्यालय प्रबंधन समिति
एसआरएसडब्ल्यूओआर	सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग विदआउट रिप्लेसमेंट
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
टीईटी	अध्यापक पात्रता परीक्षा
यूएडीडी	नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग
यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूपीएस	उच्च प्राथमिक विद्यालय
वीईआर	ग्राम शिक्षा पंजी
डब्ल्यूएणडसीडी	महिला एंव बाल विकास
डब्ल्यूईआर	वार्ड शिक्षा पंजी



© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



पी.डी.एफ. ढाउनलोड करने के लिए यहाँ स्कैन करें



www.agmp.nic.in